

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 1400 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

DEVENDRA FAUJDAR

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH.

...RESPONDENTS

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	COMPLIANCE REPORT OF ORDER DATED 28.02.2025 ON THE BEHALF OF RESPONDENT NO.7-DIVISIONAL FOREST OFFICER, MATHURA, UTTAR PRADESH ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.	1-9
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Copy of the letter dated 11-03-2025 constituting the four-member Committee under the directions of the Divisional Forest Officer, Mathura.	10
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Copy of the comprehensive report prepared by the Divisional Forest Officer, Mathura, in compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT.	11-195
4.	<u>ANNEXURE-3</u> Copies of the Forest Offence Reports/ H2 cases and the complaint cases filed before the Learned Additional Chief	196-257

	Judicial Magistrate-I, Mathura.	
5.	<u>ANNEXURE-4</u> Copies of the First Information Report (FIR) no. 0341/2024 dated 22.11.2024 and the charge sheet filed before the Learned Additional Chief Judicial Magistrate-I, Mathura.	258-351
6.	<u>ANNEXURE-5</u> Copy of the letter issued to the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura, requesting action under the Environment Protection Act, 1986.	352
7.	<u>ANNEXURE-6</u> Copy of the letter of authorization issued by the Divisional Forest Officer, Mathura bearing no. 4776/35-3 dated 22.04.2025 authorizing the undersigned to file and handle matters pertaining to the captioned case.	353-354

Through

Date: 24.04.2025

Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR
STATE OF UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
[E-mail: advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 1400 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

DEVENDRA FAUJDAR

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH.

...RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT OF ORDER DATED 28.02.2025 ON BEHALF OF RESPONDENT NO.7- DIVISIONAL FOREST OFFICER, MATHURA, UTTAR PRADESH ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Hon'ble National Green Tribunal has passed an order dated 28.02.2025 in the matter of original application 1400/2024 Devendra Faujdar Verus State of Uttar Pradesh. The executive part of the order is as follows-

".....2. Learned counsel for the applicant has referred to the FIR (Annexure A – 3) which contains the details of the trees that have been uprooted. He has also referred to the photographs filed collectively as Annexure A –1 Pages 24 onwards to show that the JCB was used to uproot the trees and also to demonstrate that the trees have been uprooted in the area concerned. He has also referred to the complaint (Page 87) made to the District Magistrate, giving the details of the trees which have been uprooted and submits that in the FIR the proper sections have not been included and the

Forest Authorities have not taken action. He has further submitted that in respect of the uprooting of trees in Tikari Garden, Darah Ghat, Ramanreti, Vrindavan, OA No. 1246/2024 is already pending and that in Mathura the forest officers have failed to protect the trees, therefore, repeated incidents of uprooting of trees are taking place.

3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. The respondent no. 7 – Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks..."

2. That, in pursuance of the order dated **28-02-2025**; a **four-member Committee** was duly constituted under the directions of the Divisional Forest Officer by letter dated **11-03-2025**. The Committee comprised (i) the Sub-Divisional Forest Officer, Mathura; (ii) the Range Forest Officer, Unit Range Mathura; (iii) the Forester, Mathura Range; and (iv) the Forest Guard, Kosi Range. Copy of the letter dated 11-03-2025 constituting the four-member Committee under the directions of the Divisional Forest Officer, Mathura is annexed herewith and marked **ANNEXURE-1**.

3. That, in continuation of the constitution of the Committee, the aforesaid members, headed by the Sub-Divisional Forest Officer, Mathura, proceeded to carry out a joint inspection of Village Sheoba, Tehsil Govardhan, District Mathura. In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively and after analysis of the facts, a comprehensive report *'disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them'* has been prepared by Divisional Forest Officer, Mathura in compliance of the order dated 28.02.2025. The report of the committee has been attached as enclosure with the report of the Divisional Forest Officer. Copy of the comprehensive report prepared by the Divisional Forest Officer, Mathura, based on the field inspection conducted by the Committee and analysis of facts is annexed herein as **ANNEXURE-2.**

4. That, consequent upon the receipt of the information of the offence by forest authorities on 21.11.2024 and 08.12.2024, Forest Offence Reports/H2 cases were registered as **Case Nos. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024**, in accordance with the provisions of the *Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976*. The said Act imposes statutory restrictions on felling and removal of trees, and provides as follows:

Section 4 – Restriction on felling and removal of trees:

"Except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall—

(a) fell any tree standing on any land, whether included in a holding or not; or

(b) cut, remove or otherwise dispose of any tree other than a

tree which is completely dead and has fallen without the aid of human agency on any such land."

Section 10 – Penalty for contravention:

"Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or cuts, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of Section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both."

Additionally, since the area of offence falls in Taj Trapezium Zone, the Forest offence reports/ H2 cases mentioned offence of violation of directions of Hon'ble Supreme court of India. With respect to areas falling in Taj Trapezium Zone, Hon'ble Supreme court of India has directed in order dated 08.05.2015 in I.A. no. 527 in Writ Petition 13381/1984 (M.C. Mehta VS Union of India) that No Tree can be felled in TTZ area without prior permission of Hon'ble Supreme court. It is submitted here that the concerned authorities took sincere note of the complaint which was received regarding the illegal felling of trees and initiated immediate action without any delay.

5. That, in view of the above statutory violation, proceedings were initiated against the offenders and after due investigation by investigation officers, complaint cases based on investigation of Forest Offence Reports were duly filed by the Forest department before the Learned Additional Chief Judicial Magistrate- I, Mathura, on **29-03-2025**. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. **Copies of the Forest Offence reports/ H2 cases and the complaint cases filed in**

Ld. ACJM-I court have been enclosed in the report of Divisional Forest Officer and have been annexed herewith as ANNEXURE-3

6. In addition, thereto, a **First Information Report (FIR) no. 0341/2024 dated 22.11.2024** based on written complaint/ Tehrir of forest authorities was lodged for appropriate penal action under the applicable legal provisions. The investigation was also completed by the investigating officer of F.I.R. and charge sheet has been filed by the police in the Ld. Court of Additional Chief Judicial Magistrate-I Mathura. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court, Mathura for trial and punishment. **Copies of the FIR and the charge sheet have been enclosed in the report of Divisional Forest Officer and have been annexed herewith as ANNEXURE-4.**
7. The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which has been verified by the enquiry committee.
8. A request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. **Copy of the letter issued by the Divisional Forest Officer/ Divisional Director, Social Forestry Division, Mathura to the regional officer UPPCB is annexed herein as ANNEXURE-5.**
9. The conclusion of the report submitted by Divisional Forest Officer herewith as Annexure -2 concludes as follows:-

“In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for

compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

- a) Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
- b) The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
- c) Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
- d) Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.”

10. That the undersigned has been duly authorised by the Divisional Forest Officer, Mathura, file and handle all matters pertaining to the captioned case by the letter no. **4776/35-3 dated 22.04.2025. Copy of the authorisation letter is being annexed herein as ANNEXURE-6.**

11. That, in view of the compliance measures detailed hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the present Compliance Report on record. It is further submitted that the operative portion of the Hon'ble Tribunal's order dated 25-10-2024 has been duly complied with, and the same is tendered herewith for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is also submitted that any

further directions as may be issued by this Hon'ble Tribunal shall be duly complied with, in a timely manner and in the larger interest of environmental protection and public welfare.

Through

Date: 24.04.2025

Place: New Delhi



PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
[E-mail: advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION 1400 OF 2024

IN THE MATTER OF:

DEVENDRA FAUJDAR

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, **Sushil Kumar Singh** aged about 54 years S/o Lt. Shri Rama Singh presently posted as Sub-Divisional Forest Officer, Mathura, Uttar Pradesh having an office at Mathura. Presently in New Delhi

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal on behalf of Respondent no.7- Divisional Forest Officer.
2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions based on the official Records.
3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.







DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this **24 APR 2025** day of April, 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT


 A/6007/2022
 I identified the deponent who
 has signed in my presence


ATTESTED
 NOTARY PUBLIC
 (INDIA)

24 APR 2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।
पत्रांक 4115 / 35-3 मथुरा, दिनांक 11/03).2025

आदेश

मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल मूल आवेदन सं0-1400/2024 देवेन्द्र फोजदार बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु निम्न प्रकार जाँच समिति गठित की जाती है-

- | | |
|---|---------|
| 1-श्री सुशील कुमार सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा | अध्यक्ष |
| 2-श्री बृजेश सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, यूनिट रेंज | सदस्य |
| 3-श्री श्याम सिंह, वनदरोगा | सदस्य |
| 4-श्री नरेन्द्र कुमार, वनरक्षक | सदस्य |


उक्त जाँच समिति उपरोक्त प्रकरण की जाँच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस जारी आदेश दिनांक से विलम्बतम सात दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। चूँकि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4115 / दिनांकित ।

1-प्रतिलिपि उपरोक्त जाँच समिति के अध्यक्ष/सभी सदस्यों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त जाँच समिति को यथाआवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

Report of Divisional Director, Social Forestry Division, Mathura in compliance of order dated 28.02.2025 of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. -1400/2024

A) Background:

The Hon'ble National Green Tribunal has issued an order dated 28.02.2025 in OA 1400/2024 (Devendra Faujdar Vs. State of UP & Ors.) filed by the Petitioner Shri Devendra Faujdar. The effective portion of the order is as follows:-

"...3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5. List on 30.05.2025."

B) Details of the incident and investigation: -

A 4 member committee was formed by the order dated 11.03.2025 Of divisional director, social forestry division, Mathura under chairmanship of SDO (Forest), Mathura to comprehensively enquire into the matter and submit a report based on field investigation and documents. The committee submitted its report dated 11.04.2025 (attached as annexure no.1). Based on the report of the committee and the analysis of the facts of the case, the details of the incident and investigation are as follows:-

1. On 21.11.2024, on the basis of complaint received regarding illegal felling of trees on the spot of offence, Forest officials immediately reached the spot of reported offence viz. village Sheoba Bhag, Singapatti, Tehsil- Govardhan at around 11:40 AM.

2. Upon field investigation, it was found that on the side of the Chak Road, total 27 trees and 49 Bush had been uprooted apparently with the help of some heavy machinery/JCB. Relevant legal action including filing of Forest Offence case (H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024), Lodging an F.I.R. (0341/2024 dated 22.11.2024) in PS- Magorra and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

3. Meanwhile again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, the Forest officials reached the incident spot in village Sheoba Bhag Singapatti on 08.12.2024 at about 08:00 A.M. and found that in addition to the trees uprooted in the earlier incident dated 21.11.2024, 14 more trees were uprooted from the side of Bamba /canal on the side of the Chak Road. Relevant legal action including filing of

Forest Offence case (H2 case no. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024), sending Tahrir (written complain report to police) in PS- Magorra and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

3. As per investigation report of forest offence report, charge sheet filed by police in the F.I.R and report of the enquiry committee, the purpose in incidences, prima facie seemed widening / clearance of Chak road.

4. As per report of the enquiry committee,

(i) Since the land is not Forest land, hence provisions of Indian Forest Act, 1927 or Forest Conservation Act, 1980 / Van Sarankshan aur Samvardhan Adhiniyam, 2023 are not applicable.

(ii) Also, there is no mention of any evidence of violation of wildlife protection Act, 1972 in either investigation report of Forest Offence reports or charge sheet filed by the police in the Ld. ACJM-I Court, Mathura after investigation in the F.I.R. Enquiry committee also could not find any evidence of violation of Wildlife Protection Act, 1972 during its field inspection.

5. **The number and nature of trees cut/ uprooted** as per report of the enquiry committee is as follows:-

(A) detail of illegally felled 27 trees and 49 shrubs/ bushes on 21.11.2024 as per Forest Offence report and F.I.R. in the case :

S. No.	Name Of Species.	Girth/ Circumference in cm	Total Trees/ Shrub of the species	Nature	Whether Prohibited/ exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976
1	Neem(Azadirachta indica)	140	9 Neem	Tree	Prohibited
2	Neem(Azadirachta indica)	60			
3	Neem(Azadirachta indica)	54			
4	Neem(Azadirachta indica)	70			
5	Neem(Azadirachta indica)	67			
6	Neem(Azadirachta indica)	53			
7	Neem(Azadirachta indica)	70			
8	Neem(Azadirachta indica)	73			
9	Neem(Azadirachta indica)	127			
10	Peepal(Ficus religiosa)	60	1 Peepal	Tree	Prohibited
11	Shisham(Dalbergia sissoo)	44	1 Sheesham	Tree	Prohibited

12	Shahtoot(Morus alba)	60	2 Shahtoot	Tree	Exempted
13	Shahtoot(Morus alba)	70			
14	Poplar(Populus)	70	6 Poplar	Tree	Exempted
15	Poplar(Populus)	86			
16	Poplar(Populus)	62			
17	Poplar(Populus)	57			
18	Poplar(Populus)	62			
19	Poplar(Populus)	65			
20	Jamun(Syzygium cumini)	50	1 Jamun	Tree	Prohibited
21	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	48	1 Papdi	Tree	Exempted
22	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	35	5 Vilayati Babool	Tree	Exempted
23	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	89			
24	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	45			
25	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	60			
26	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	67			
27	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	77	1 Arjun	Tree	Prohibited
28	Nimbu(<i>Citrus limon</i>)	27	27 Nimbu	Shrub/ Bush	Exempted
29	Karonda(<i>Carissa carandas</i>)	22	22 Karonda	Shrub/ Bush	Exempted

(B) Illegally felled trees as per the second registered crime dated 08.12.2024 in the case

S. No.	Name Of Species.	Girth/ Circumference in cm	Total Trees/ Shrub of the species	Nature	Whether Prohibited/ exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976
1	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	106	8 Neem	Tree	Prohibited
2	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	78			
3	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	108			

4	Neem(Azadirachta indica)	105			
5	Neem(Azadirachta indica)	98			
6	Neem(Azadirachta indica)	155			
7	Neem(Azadirachta indica)	120			
8	Neem(Azadirachta indica)	125			
9	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	122	3 Papdi	Tree	Exempted
10	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	100			
11	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	140			
12	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	68	2 Vilayati Babool	Tree	Exempted
13	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	80			
14	Chonkar(Prosopis cineraria)	92	1 Chonkar	Tree	Exempted

Since the spot of offence falls in Taj Trapezium Zone declared by Hon'ble Supreme Court of India in W.P. 13381/1984, No Tree can be felled here without prior permission of Hon'ble Supreme court. Hence felling of **any tree** (whether Prohibited or exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976) is illegal on the spot. Thus total of 41 trees were illegally felled in two separate events dated 21.11.2024 and 08.12.2024 on the spot. Also 49 bush/ Shrubs were cleared on the spot.

6. Immediate field investigation revealed that **the following persons were involved** in the said offence:-

1. Ravindra s/o Prem Singh R/o village Bhadar post Saukh Tehsil Govardhan

Police Station Magorra District Mathura

2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash s/o Mukhtiyar R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

3. Netrapal s/o Shyam Singh alias Gulab Singh R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

4. Pushpendra s/o Netrapal R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

5. Digambar s/o Hari Singh R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura

The involvement of the above offenders was established in the charge sheet file by police in Ld. ACJM-I court, Mathura after detailed investigation in F.I.R.(no. 341/2024, PS- Magorra). The involvement of the above offenders has also been established in complaint cases filed in Ld. ACJM-I court, Mathura by forest department in Forest Offence cases viz. H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and H2 case no. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024.

C) Action Taken against the offenders: -

(1) After first incidence, the concerned Forest officials of Govardhan Range has lodged the Forest Offence Report (H2 CASE) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 against 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.2 of annexure no.1)**

(2) A Tehrir/written complaint was submitted by forest officials against 05 named persons responsible for the offence in the Magorra Police Station on 21.11.2024. On the basis of Tehrir, an First Information Report (FIR) No. 0341/2024 dated 22.11.2024 was registered against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.4 of annexure no.1)**

(3) again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, forest officials issued Second Forest Offence Report (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.5 of annexure no.1)**

(4) The forest officials submitted a Tehrir/Written complaint in police station Magorra on 08.12.2024 itself against 05 named responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

Police included the offence in their investigation which was being done in F.I.R. no. 0341/2024 dated 22.11.2024 lodged in earlier offence which has been mentioned in points F of 3, 4 and 5 in the sequence of case diary number 3 dated 09.12.2024 of crime number 0341/2024 earlier registered in the police station Magorra. **(copy attached as enclosure no.7 of annexure no.1)**

(5) In both the cases of illegal tree felling, departmental forest offence reports (H2 Case) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 investigation was completed by the nominated investigating officer and the complaint cases have been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. **(copy attached as enclosure no.8 of annexure no.1)**

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. **(copy attached as enclosure no.9 of annexure no.1)**

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which have been verified by the enquiry committee. **(copy attached as enclosure no.10 of annexure no.1)**

(8) Request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. **(copy attached as annexure no.2)**

D) Conclusion: -

In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.

been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. (copy attached as enclosure no.8 of annexure no.1)

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. (copy attached as enclosure no.9 of annexure no.1)

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which have been verified by the enquiry committee. (copy attached as enclosure no.10 of annexure no.1)

(8) Request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. (copy attached as annexure no.2)

D) Conclusion: -


In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-

1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.


Range Officer,
Govardhan
Range


SDO, Mathura
Sub-division


Divisional Director,
Social Forestry
division, Mathura


वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

अनुकमाणिका

क्रमांक	विवरण	संलग्नक नं०	पृष्ठ संख्या
	प्रकरण में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2025	एनेक्जर-1	7-14
1	अवैध पातन स्थल का नजरी नक्सा, फोटोग्राफ्स एवं गूगल अर्थ मैप्स	एक्लोजर-1	15-18
2	दर्ज विभागीय केस(एच-2केस) 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024	एक्लोजर-2	19
3	अवैध पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की फर्द बरामदगी दिनांक 21.11.2024	एक्लोजर-3	20
4	पुलिस एफ0आई0आर0सं0-0341/2024 दिनांक 22.11.2024 थाना मर्गौरा, मथुरा	एक्लोजर-4	21-26
5	दर्ज विभागीय केस(एच-2केस) 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024	एक्लोजर-5	27
6	अवैध पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की फर्द बरामदगी दिनांक 08.12.2024	एक्लोजर-6	28
7	पुलिस एफ0आई0आर0 सं0-0341/2024 में केस डायरी नं०-03 की प्रति एवं 17/गोवर्धन/2024-25	एक्लोजर-7	29-35
8	विभागीय केस (एच-2केस) 15/गोवर्धन/2024-25 में जॉच रिपोर्ट मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम मथुरा में दाखिल चार्जशीट दिनांक 29.03.2025	एक्लोजर-8	36-93
9	पुलिस एफ0आई0आर0सं0-0341/2024 दिनांक 22.11.2024 थाना मर्गौरा, मथुरा में चार्जशीट दिनांक 02.01.2025 मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम मथुरा में दाखिल।	एक्लोजर-9	94-181
10	अवैध पातन प्रकरण में जब्त प्रकाष्ठ का कमेटी द्वारा निरीक्षण के फोटोग्राफ्स	एक्लोजर-10	182
11	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्र	एनेक्जर-2	183

Enquiry Report of the committee constituted to enquire into matter covered in order dated 28.02.2025 in Original Application No. -1400/2024 filed in The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

A) Background:

The Hon'ble National Green Tribunal has issued an order dated 28.02.2025 in OA 1400/2024 (Devendra Faujadar Vs. State of UP & Ors.) filed by the Petitioner Mr. Devendra Faujdar. The effective portion of the order is as follows:-

" 1. In this original application, the applicant has alleged illegal felling of more than 100 trees in Magogra, Mathura district falling within the Taj Trapezium Zone. The applicant alleges that he is the owner of agricultural land measuring 8-10 acres, duly fenced having a garden with several mature trees including Peepal, Jamun, Lemon etc. The applicant alleges that the private respondents on account of some rivalry on 21.11.2024 had broken the wire fencing, uprooted about 100 trees and completely destroyed the orchard.

2. Learned counsel for the applicant has referred to the FIR (Annexure A-3) which contains the details of the trees that have been uprooted. He has also referred to the photographs filed collectively as Annexure A -1 Pages 24 onwards to show that the JCB was used to uproot the trees and also to demonstrate that the trees have been uprooted in the area concerned. He has also referred to the complaint (Page 87) made to the District Magistrate, giving the details of the trees which have been uprooted and submits that in the FIR the proper sections have not been included and the Forest Authorities have not taken action. He has further submitted that in respect of the uprooting of trees in Tikari Garden, Darah Ghat, Ramanreti, Vrindavan, OA No. 1246/2024 is already pending and that in Mathura the forest officers have failed to protect the trees, therefore, repeated incidents of uprooting of trees are taking place.

3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4 The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5 List on 30.05.2025."



B)Details of the proceedings of the committee- In compliance with the order dated 28.02.2025 passed in the original application number 1400/2024 Devendra Faujdar vs. State of Uttar Pradesh and others filed in the Hon'ble National Green Tribunal, a committee was constituted for on-site inspection under the Direction of Sub-Divisional Forest Officer, Mathura for identification of cut/uprooted trees and bush/Shrubs vide letter number 4115/35-3 dated 11.03.2025 of the office of Divisional Director social forestry division, Mathura

1. The committee constituted in the case conducted a field inspection on 18.03.2025. During the inspection of the site of incident Khasra number 698 $\overline{\text{क}}$ (Chak Road) Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura, it was found that the soil from both sides of the said Chak Road has been dug out by JCB and dumped. And the Chak Road has been paved with bricks. On a thorough inspection of the pits made of soil dug out by JCB machine from both sides of the Chak Road, it was found that while digging the soil, the trees and bush/Shrubs standing on both sides of the Chak Road have been uprooted by the JCB machine. A view map of the site of incident was made on the spot and photographs were taken and the uploaded copy of the view from Google Earth timeline before the incident (**copy attached as enclosure no.1**)

2. After filed inspection, from perusal of documents and investigation the **Details of the incident and investigation** are as follows: -

(i) On 21.11.2024, on the basis of complaint received from the office, Forest Guard Mr. Kushalpal Singh along with Mr. Radheshyam Forest Guard reached the reported offence spot village Sheoba Bhag Singapatti at 11:40 AM and found that on the side of the Chak Road, there were 9 Neem trees with circumference 140,60,54,70,67,53,70,73,127 cm respectively, 1 Peepal tree with circumference 60 cm, 1 Sheesham tree with circumference 44 cm, 2 Mulberry trees with circumference 60 and 70 cm, 6 Poplar trees with circumference 70,86,62,57,62,65 cm respectively, 1 Jamun tree with circumference 50 cm, 1 Papadi tree with circumference 48 cm, 5 Prosopis Julliflora trees with circumference respectively 35,89,45,60,67 cm, 1 tree Arjun circumference 77 cm, total trees 27 and 27 bush/ Shrubs of Nimbu and 22 bush/Shrubs plants of Karonda were uprooted on the spot probably with the help of JCB.

(ii) Thus upon field investigation of forest officials, it was found that on the side of the Chak Road, total 27 trees and 49 Bush had been uprooted apparently with the help of some heavy machinery/JCB. Relevant legal action including filing of Forest Offence case (H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024) (**H2 case copy attached as enclosure no.2**) along with Fard recovery (**copy attached as enclosure no.3**) Lodging an F.I.R. (0341/2024 dated 22.11.2024) in PS- Magorra (**copy attached as enclosure no.4**) and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

(iii) In departmental H2 case number 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 the investigation officer appointed was Forester Mr. Aman Chaudhary, Section Officer Chaumuhan Govardhan Range. In the case, the concerned forest guard Mr. Kushalpal Singh lodged a complaint at the police station Magorra on 21.11.2024 and police registered crime

number (FIR) 0341/2024 dated 22.11.2024. The investigation of the said crime was investigated by Mr. Ravindra Kumar Yadav, Sub Inspector, Police Station Magorra.

(iv) Meanwhile, on the information received from a special informant, the concerned Forest Guard Mr. Kushalpal Singh Govardhan Range and Mr. Radheshyam Forest Guard Govardhan Range, reached the incident spot in village Sheoba Bhag Singapatti on 08.12.2024 at about 08:00 A.M. and found that in addition to the trees uprooted earlier on the side of the Chak Road, 8 Neem trees were uprooted from the side of Bamba / (canal) respectively with circumference 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, and 125 cm, 3 trees Papadi with circumference 122, 100, 140 cm, 2 trees Prosopis Julliflora with circumference 68, 80 cm, and 1 tree Chonkar with circumference 92 cm, a total of 14 trees are uprooted on the spot. These have been uprooted probably with the help of JCB machine.


(v) A report was made on the spot in the case of felling of trees again on the side of the same incident of Chak Road situated in village Sheoba Bhag Singapatti, Police Station Magorra, Tehsil Govardhan, District Mathura again Departmental Forest Crime Number (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 was issued. In the above mentioned case of illegal tree felling, the investigation of the issued Departmental Forest Crime (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 was also given to Mr. Aman Chaudhary, Forester /Section Officer Chaumuhon Govardhan Range.

(vi) Then a written complaint/tehrir was given in Magorra dated 08.12.2024 by the concerned Forest Guard Mr.Kushalpal Singh

(vii) On 22.11.2024, under the investigation of the previously registered crime number (FIR) 0341/2024 dated 22.11.2024, the investigation was started by including/registering the crime as point F of serial number 3, serial number 4 and 5 of the case diary number CD 3 of the investigating officer Mr. Ravindra Kumar Sub Inspector Police Station Magorra. (Copy of Issued Departmental Forest Crime H2 Case Number 17/Govardhan /2024-25 dated 08.12.2024(copy attached as enclosure no.5), Recovery Memo (copy attached as enclosure no.6) and Case Diary Number 3 of Police Station Magorra dated 09.12.2024 (copy attached as enclosure no.7).

3. Person responsible for the offence :- In both the cases of illegal tree felling, departmental forest crime (H2 case) number 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and number 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 and crime (FIR) number 0341/2024 dated 22.11.2024 accused 1. Ravindra son Prem Singh resident village Bhadar post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura 2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash son Mukhtiyar 3. Netrapal son Shyam Singh alias Gulab Singh 4. Pushpendra son Netrapal 5. Digambar son Hari Singh said residents of village Shyoba Bhag Singapatti post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura were responsible for violation of section 4 and 10 Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and violation of order of Hon`ble supreme court dated 08.05.2015 in IA No. 527 in wp 13381/1984.



5. The number and nature of trees cut/ uprooted

In the above mentioned case of illegal tree felling, the committee constituted for the field inspection of the incident spot, uploading the Google Earth timeline before the incident and after the incident and observing the same, legal action taken in the case, examination of records etc., after investigating the findings of the committee, The number and nature of trees cut/ uprooted is as follows:-

(i) Illegal felled trees and bush/Shrubs as per the date of first registered crime in the case
21.11.2024

S. No.	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	S.No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	Grand total		Prohibit ed & Non Prohibit
						Species	Total number of Trees and bush/Shrubs	
1	Neem(Azadirachta indica)	140	16	Poplar(Populus)	62	Neem(Azadirachta indica)	09	Prohibit ed
2	Neem(Azadirachta indica)	60	17	Poplar(Populus)	57	Peepal(Ficus religiosa)	01	Prohibit ed
3	Neem(Azadirachta indica)	54	18	Poplar(Populus)	62	Shisham(Dalbergia sissoo)	01	Prohibit ed
4	Neem(Azadirachta indica)	70	19	Poplar(Populus)	65	Shahtoot(Morus alba)	02	Non-Prohibit ed
5	Neem(Azadirachta indica)	67	20	Jamun(Syzygium cumini)	50	Poplar(Populus)	06	Non-Prohibit ed
6	Neem(Azadirachta indica)	53	21	Papdi/chilbii(Holoptelea integrifolia)	48	Jamun(Syzygium cumini)	01	Prohibit ed
7	Neem(Azadirachta indica)	70	22	Prosopis juliflora	35	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	01	Non-Prohibit ed
8	Neem(Azadirachta indica)	73	23	Prosopis juliflora	89	Prosopis juliflora	05	Non-Prohibit ed
9	Neem(Azadirachta indica)	127	24	Prosopis juliflora	45	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	01	Prohibit ed
10	Peepal(Ficus religiosa)	60	25	Prosopis juliflora	60			
11	Shisham(Dalbergia sissoo)	44	26	Prosopis juliflora	67	Total number of trees	27	

12	Shahtoot(Morus alba)	60	27	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	77	Nimbu(<i>Citrus limon</i>) bush/Shrubs	27	Non-Prohibited
13	Shahtoot(Morus alba)	70	28	Nimbu(<i>Citrus limon</i>) bush/Shrubs	27 Plant	Karonda(<i>Carissa carandas</i>) bush/Shrubs	22	Non-Prohibited
14	Poplar(<i>Populus</i>)	70	29	Karonda(<i>Carissa carandas</i>) bush/Shrubs	22 Plant	Total number of bush/Shrubs	49	
15	Poplar(<i>Populus</i>)	86						

(ii) Illegally felled tree as per the second registered crime dated 08.12.2024 in the case

S. No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	S.No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	Grand total		Prohibited & Non Prohibit
						Species	Total number of Trees	
1	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	106	8	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	125	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	08	Prohibited
2	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	78	9	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	122	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	03	Non Prohibit
3	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	108	10	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	100	Prosopis juliflora	2	Non Prohibit
4	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	105	11	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	140	Chonkar (<i>Prosopis cineraria</i>)	1	Non Prohibit
5	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	98	12	Prosopis juliflora	68			
6	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	155	13	Prosopis juliflora	80	Total number of Trees	14	
7	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	120	14	Chonkar(<i>Prosopis cineraria</i>)	92			

Thus in both incidences, a total of 41 trees and 49 bush/Shrubs plants were illegally felled.

6. Person responsible :- As per the investigation of the offences registered in the case in question, the inquiry report and the charge sheet of the police, 41 trees and 49 shrubs have been illegally felled by the following accused.




1. Ravindra son of Prem Singh resident of village Bhadar post Saukh tehsil Goverdhan police station Roadora district Mathura.
2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash son of Mukhtiyar resident of village Sheoba Bhag Singapatti Post Saukh Tehsil Goverdhan Police Station Roadora District Mathura
3. Netrapal son of Shyam Singh alias Gulab Singh resident as above
4. Pushpandra son of Netrapal resident as above
5. Digamber son of Hari Singh resident as above

7. Applicability of other laws:-

- (i) Since the land is not Forest land, hence provisions of Indian Forest Act, 1927 or Forest Conservation Act, 1980 / Van Sarankshan aur Samvardhan Adhiniyam, 2023 are not applicable.
- (ii) Also, there is no mention of any evidence of violation of wildlife protection Act, 1972 in either investigation report of Forest Offence reports or charge sheet filed by the police in the Ld. ACJM-I Court, Mathura after investigation in the F.I.R. Enquiry committee also could not find any evidence of violation of Wildlife Protection Act, 1972 during its field inspection.

(C) Action taken:-

- 1) After first incidence, the concerned Forest officials of Govardhan Range has lodged the Forest Offence Report (H2 CASE) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 against 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.
- (2) A Tehrir/written complaint was submitted by forest officials against 05 named persons responsible for the offence in the Magorra Police Station on 21.11.2024. On the basis of Tehrir, an First Information Report (FIR) No. 0341/2024 dated 22.11.2024 was registered against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.
- (3) again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, forest officials issued Second Forest Offence Report (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.



(4) The forest officials submitted a Tehrir/Written complaint in police station Magorra on 08.12.2024 itself against 05 named responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

Police included the offence in their investigation which was being done in F.I.R. no. 0341/2024 dated 22.11.2024 lodged in earlier offence which has been mentioned in points F of 3, 4 and 5 in the sequence of case diary number 3 dated 09.12.2024 of crime number 0341/2024 earlier registered in the police station Magorra.

(5) In both the cases of illegal tree felling, departmental forest offence reports (H2 Case) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 investigation was completed by the nominated investigating officer and the complaint cases have been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment **(copy attached as enclosure no.8)**.

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment **(copy attached as enclosure no.9)**.

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized, recovered and are currently kept in the custody of the concerned Forest Guard, Mr. Kushalpal Singh, at the Saukh Kothi Nursery under the Govardhan Range of the Forest Division Mathura.

The committee has verified the above seized timber physically with the documents and found it to be correct **(committee inspection photographs copy attached as enclosure no.10)**.

D) Conclusion: -

In light of the case submitted in Ld. ACJM-I court, Mathura by Forest department based on report of investigation officers and charge sheet filed by police in F.I.R. and after field inspection by this committee and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-


1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.



3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.

Hence the report of the committee is submitted for the kind perusal.


(Narendra Kumar)
Forest Guard,
Kosi Range,
Mathura



(Shyam Singh)
Forester,
Mathura Range,
Mathura


(Brajesh Parmar)
Range Forest Officer,
Unit Range,
Mathura


(Sushil Kumar Singh)
Sub Divisional Officer
(Forest), Mathura Sub
division, Mathura

①

श्री० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में प्रेषित ओ. ए. संख्या 1400/2024 देवेन्द्र कुंजर बनाम
 उ० उ० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28/02/2025 के अनुपालन में कार्यालय प्रभागीय
 निदेशक सा० वा० वन भाग मधुप के पत्रांक 4/15/35-3 दिनांक 11-03-2025 से
 गठित समिति के द्वारा प्रकरण के घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण दि०- 18/03/2025
 को प्रोका घटना स्थल का - नजरी नक्सा




नजवाह

संकेत

1- द्वितीय घटना अवैध वृक्षपातन दिनांक
 08/12/2024 को, B-C के
 मध्य दोनों तरफ XXXX चिन्ह से
 दर्शाया गया है (14 वृक्ष अवैध पातन)

2- प्रथम घटना अवैध वृक्षपातन
 (27 पेड व 49 झाड़ियाँ पौधे)
 दिनांक 21/11/2024 को, A-B
 के मध्य XXXXX चिन्ह से
 दोनों तरफ दर्शाया गया है।



सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

(नेहरू कुमार)
 वन सहायक
 कोशोपेक्ष




(श्याम सिंह)
 वन दरोजा
 मधुप


(बृजेश सिंह)
 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 मीनेट-रेज मधुप

(सुशील कुमार सिंह)
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 मधुप

राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुलान में कार्यालय प्रभागीय निदेशक के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को किये गये घटनास्थल के स्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ्स -







120

30

Untitled Map
View in fullscreen for your map

Map data
© 1972
© 2022
© 2022

GURU JIFILLING STATION

ਮਾਣੀ ਕਮਿ ਨੀ ਟਾਢਾ ਅੰਡ ਕੁੰਜਲ ਸਾਰਮ ਫਾਤਮਾ

ਮਾਣੀ ਕਮਿ ਨੀ ਟਾਢਾ ਅੰਡ ਕੁੰਜਲ ਸਾਰਮ ਫਾਤਮਾ

(18)

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 बजे घटना स्थल श्रीगोला जमना सीतापुर

पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं	प्रजाति	गोलाई सेमी०	आप्रीडिक्शि	
1-	नीम	140 - सेमी०	सम्पूर्ण चेड	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	0 से 1 व्यास वर्ग
5-	शद्वरत	60 - "	"	नीवू-27-चेड
6-	पापूलर	70 - "	"	करोँदा-22-चेड
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	जलोनी लकड़ी
10-	"	65 - "	"	वजन लगभग
11-	जाखन	50 - "	"	90 kg
12-	नीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शद्वरत	70 - "	"	
15-	पापडी	48 - "	"	
16-	पापूलर	62 - "	"	
17-	शद्वरत	44 - "	"	
18-	नीम	53 - "	"	
19-	जलोनी लोरा	35 - "	"	
20-	नीम	70 - "	"	
21-	"	73 - "	"	
22-	आप्रीडिक्शि	77 - "	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता		बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	45 - "		
25-	"	60 - "		
26-	"	67 - "		
27-	नीम	127 - "		

राजेश शर्मा
व-र.

11/11
कुशल पावल
जनरल मैन

1277

वन विभाग संख्या 15/गोवर्धन/2024-25

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मधुरा...
उ. प्र. वन संरक्षण अधि. 1976 की
अन्य अपराध... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०... दिनांक 21/11/2024... अधिक्षेत्र राजि... गोवर्धन...

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम मदार, पो. सौख तहसील - गोवर्धन, धाना प्रगौरा जिला मधुरा
2. सतवीर उर्फ सली 510 मुख्तयार
3. नेत्रपाल 510 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
4. पुष्पेन्द्र 510 नेत्रपाल
5. दिगंबर 810 हरी

2. साक्षी का नाम

(राधेश्याम) वनर झुंड

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
G.P.S. N - 27°40'50"
E - 77°51'06"53"

निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी के सौख तहसील - गोवर्धन, धाना - प्रगौरा जिला - मधुरा

4. मूल्य

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चक्रोड़ के छिनारे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे इरौंदा (0-1) व्यास वर्ग के बिना अनुमति के J.C.B. मशीन द्वारा उखाड़ना।

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध 44, 2 पेड़ सहित जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे इरौंदा (0-1) व्यास वर्ग के बिना अनुमति के J.C.B. मशीन द्वारा उखाड़ना।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

गवाह - (राधेश्याम) व.र.

महोदय, निवेदन के साथ अंगगत कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को आधीलक्ष से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनर झुंड के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर लगभग 10:40 AM बजे पहुँचे तो देखा कि चक्रोड़ के छिनारे पर 9 पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत डी गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहित जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ इरौंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखड़े मिले, यदि बरामदगी मोठे पर बनानी गयी। जो संलग्न है बरामद लडकी को चन्द्रान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट- सौख तहसील - गोवर्धन, धाना प्रगौरा जिला मधुरा की सुपुर्देगी में दी गयी। सुपुर्देगीनामा संलग्न है तथा आस-पास रहने पर शानत हुआ कि उम्त पेड़ों को कौलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखड़ वाये गये हैं। उम्त व्यक्तियों द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधिनियम की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 112 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 को अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

श्री प्रशासकीय निदेशक
सा. वा. वन प्रशास
मधुरा
उम्त केस की प्रथम
पौंच अधिकारी नामित
ने हेतु सादर प्रेषित है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज, मधुरा

15/11/2024
2/11/2024
18/05/2015
अवमानना के तहत अपराध किया है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(कुशलपाल)
व.र.

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): मगोरा Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 21/11/2024 Date To (दिनांक तक): 21/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 11 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): ग्राम श्योबा ,भाग नैनूपट्टी
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):
- (i) Address (पता):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-75953XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पेड़ ज्यूलीफलोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदारं पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No (s).13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 78953XXXXX एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट में है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): Ravindra Kumar Yadav अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403945

-
15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योका भाग सींजापट्टी चक्रोड के डिग्री पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	पुजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण प्रकाष्ठ
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट: - लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(राधेश्याम)
वनरक्षक
गोवर्धन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुशलपाल)
क. रं.
गोवर्धन रंज

थाना मर्गोरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छोंकर गोलाई 92 सेमी0 कुल 14 पेड उखाड़े मिले। उखाड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकडी को सौंख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहझील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी

(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा

अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन

o/c

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
- b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024
- c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
- d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे
- Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

seen

Q

009

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पः

व अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखडे मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखडे मिले। उखडे पेडों की फर्ट बरामटगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामट लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्योरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्योरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये अ
दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त
व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम
दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय
अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग
मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्ट बरामदगी फर्ट बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को
समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को
निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10
के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त
सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष
क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4
प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम
गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0
155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई
से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0
अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकडी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) वनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

SHO 10.12.24

Ravindra Kumar Yadav
09-12-2024

11/4/2025

Enclosure-8

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।
पत्रांक 4406 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना मथुरा
मथुरा।

विषय :- वन अपराध 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/24 के शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित अलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र - 1

2-मूल एम-2 केस संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 सम्बन्धित संलग्नको सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र - 1

4-वकालतनाम - 1

5-नजराना - 1

6-मुलिनमान को दिये गये नोटिस की प्रतियों।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।

पत्रांक 4406 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपराजिक को सूचित करें।

R
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।

शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय, न्यायिक इन्फ्राधिकारो, मधुरा

17/जुलै/2024-25

अभियोग सं० १७/प्रजागा २०२४-२५

(१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पद कुशलपाल सिंह वनरक्षक

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम शंकर शि० प्रेमसिंह निकेली ग्राम अदर

(२) नाम सतवीर डफे सती इन मुखियार नि० ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

(३) नाम नेमपाल पुत्र श्याम सिंह नि० ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

(४) नाम पुष्पेश शि० नेमपाल नि० ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

(५) नाम दिगंबर शि० ह्योसिंह निवासी ग्राम श्योवा आग सीगापट्टी

निवास ग्राम अदर श्योवा बाकबाना सोख

थाला मगरी जिला मधुरा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि ०४.12.2024

(२) समय ४:०० AM

(३) स्थान :- (क) राजि श्योवा सीगापट्टी नि० सोख तहसील जीवहन

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की क्षति की गई :-

नाजायज चरान/कटाना जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(२) वन क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं मोलाई (से० मी० में)

(ग) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

(घ) उ० प्र० पर्वतीय एवं पामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन / राजस्व की

बोरी का विवरण :- 8 पेड़ सीमा क्षेत्र - 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125

3 पेड़ चापडी गा० - 122, 100, 140 तथा 2 पेड़ मुलीमलीर गा० - 68, 80

तथा 2 पेड़ हाँकर गा० - 32 सीमा कुल 14 पेड़ क्षेत्र

अनुमति के अभाव में

(ङ) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1957 की धारा 103 का उल्लंघन/राजस्व की बोरी :-

~~.....~~

(३) वन क्षति का अनुमानित मूल्य आद्यतन - 7,926 रुपैयाँ

(५) साक्षियों का नाम व पता :- मुख्य - 43,500/2

(१) श्री वाधैराम कन्नर शैल जीवधन रण

(२) नाम पुत्र

(३) नाम पुत्र

(४) नाम पुत्र

निवास ग्राम बाकसाना

माना जिला

(६) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दण्डनीय है :-

(१) दण्ड की धारा 26 एवं 33

(२) उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 एवं मा० सर्वोच्च आम्सलस द्वारा 112 क्षेत्र में दिए गये प्रावधानों की अवमानना

(३) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1957 की धारा 103

(४) नाजायज जोत से वेदखल करने के आवेग की धारा 11-ए

(७) अभिप्रायता

अतः याचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक ६ के (2) अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाय एवं नाजायज जोत से वेदखल किया जाय।

प्रमाणित

राज्य वन अधिकारी
राज्य वन विभाग
जयपुर

सिद्धावतकर्ता

प्रभागीय विवेकांक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जयपुर
प्रभागीय निदेशक
राज्य वन विभाग
जयपुर

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

व्यापक ~~श्रीमान~~ ~~अपर~~ मुख्य प्राधिक मजिस्ट्रेट उद्यम मधुवा
 पाना ~~मऊरी~~ जिला मधुवा
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 61-ए, 63, 73 आदि
 राज्य ~~उत्तर प्रदेश~~ जिला ~~मधुवा~~
 मधुवा संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 4/10
 एवं मासिक न्यायालय द्वारा 112 के अंतर्गत
 मधुवा जिला मधुवा

श्रीमान्

निवेदन है कि प्राचीन अभियोगी अन-सेवक होने के नाते वनपद के राजकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त
 रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्राचीन असमर्थ रहेगा। इसलिये प्राचीन को बोर से
 श्री ~~सतीश चंद्र वाणीय~~ एडवोकेट, पेनल लायर (न्यायिका अभिभावक) वन विद उपराधिक पेशी करेगी

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्राचीन को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की
 कृपा की जावे।

प्राचीन

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुवा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुवा

40

सफलतनामा

अध्यास श्रीमान् अपर मुख्य शायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, मधुप

क्र. मुकदमा 17/गौरीदास 2024-25
77/प्रजा 2024-25

सप १६ ई०
श्री एफ डी
गाम मधुप
श्री एम डी प्रेमिन्द्र प्रसाद
अ अन्य रिजपाकेट

मैं कि श्री एफ डी
ओ कि हमको मधुप करना इस मुकदमे में भागपक है इसलिये अपनी
ओर से श्री सलील चन्द्र दाबवीय एडवोकेट

अवगत कानूनी महत्वामे पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस
इस मुकदमे में हमारी ओर से सबूत दाखिल करे और प्रस्तोता करे और आपना प्रम-प्रत्येक प्रकार
का ओर अन्य कार्यज इस मुकदमे के सम्बन्ध में सञ्चाल पंथागत दाखिल न तस्दीक करे या वाक्यावा
या सुनहनामा या दस्तबन्दारी दाखिल करे और अपना यापतानी हमारा वाचतानर नरुव य वापसी
स्टाम्प कोर्ट कोच व तसवामा वगैरह बसूत करके रचीद दें या अपनी पानिव से किसी को पंच मुकदमे
करे और कुत काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करे या आवश्यकता पत्र
किसी को इस मुकदमे की प्ररको के वास्ते वकील नियत करे या अपील दायर करे सवाह अपील से भेरी
परफ से जवान देही करे सब वकील का कार्य समय अपने किये हुए की तरह स्वोकार है और हीगा
नीच बुकनाय साहोबात को हकियार हुआ कि अगर महनवामा तयापता हस्व-बायदह उनको बसूत न
हो तो वह परबी व बहस बगैरह न करे इसलिये यह वकालतनामा सिब दिया कि सनद होंगे और
वाक्यकता के समय काम आवे फुनत तहरीर।

तारीख.....सप १६ ई०

गवाह.....तारीख.....

गवाह.....तारीख.....

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुप

नाम करीकेन खन्दाई

नाम मुकदमा खन्दाई

नाम असावत खन्दाई

(41)

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी इस प्रकरण में सर्वप्रथम पूर्व में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.24 की जाँच में दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ता तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड व कुछ झाडीनुमा पौधे जड से उखडे हुये पडे हैं। मौके पर उखडे पडे पेडों व झाडियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड पीपल 1 पेड सहतूत 2 पेड पापूलर 6 पेड, जामुन 1 पेड, शीशम 1 पेड पापडी 1 पेड, अर्जुन 1 पेड व प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के 5 पेड तथा नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे उखडे पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड व नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड सहित उखाडे गये हैं। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेडों को व झाडीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखडवाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हए और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ता पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्ता व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण ने बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक

08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड, 3 पेड पापडी, 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा व 1 पेड छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड से उखडवा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा थाना मगोर्सा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाडे गये पेडों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाडे जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड नीम, 3 पेड पापडी 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा (काबली बबूल) व 1 पेड छौंकर कुल 14 पेड को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्सा के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेडों की सिनाख्त करने सौख कोटी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाडे गये पेडों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेडों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिट्टी डालते समय कुछ पेड जे0सी0बी0 मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये! तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड 27 व 14 कुल 41 पेड तथा नीबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब

सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाडीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अगिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाडीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

आशुतोष चौधरी वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पता: 35-1/गोवर्धन, दिनांक 14/03/2025

सेवा में
उपप्रभारी वन
सा. व. प्रभाग
मथुरा।

@mar 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा
जाँच अधिकारी

महोदय,
उपरोक्त H2 केस संख्या 17/गोवर्धन/24-25 की जाँच की अमन चौधरी
वनदरोगा से करणी गयी उन्ही जाँच में सुनिश्चित है कि केस को माननीय न्यायालय
में प्रेषित की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।
आ. न्यायालय के अंतर्गत श्री लालपुर के वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

राजिवाद सं० १३/१०/२०२४-२५

आगीय वाद सं० २७/७/२०२४-२५

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ.प्र. वन संरक्षण अधि. अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक ०८/१२/२४ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन १९७६ की धारा ४/१०

- १- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 १. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीत जिला - मथुरा
 २. सतवीर उर्फ सती शं० मुख्त्यार
 ३. नेत्रपाल शं० श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
 ४. पुष्पेन्द्र शं० नेत्रपाल
 ५. दिगम्बर शं० हरी सिंह निवासीगब - ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

२- साक्षी का नाम

श्री राधेश्याम वनरक्षक

३- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

लगभग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम शोबा, भाग सीगापट्टी चकरोड़ के किनारे ८ पेड़ नीम जो. १०६, १०८, १०९, ११०, ११५, १२०, १२५, ३ पेड़ पापड़ी जो. १२२, १००, १४०, तथा २ पेड़ ज्यूलीप्लोरा जो. ६८, ८०, १ पेड़ हॉन्डर जो. १२ से. मी. कुल १५ पेड़ों के बिना अनुमति के ज.स. मशीन द्वारा उखाड़े

४- मूल्य

श्री राधेश्याम वनरक्षक
१२/१२/२४

५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

G.P.S. N-27.405043 E-77.518662

दिनांक १२/१२/२४
१७/१२/२४
१७/१२/२४
समय

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख महोदय,

गवाह:- श्री राधेश्याम वनरक्षक

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक ०८/१२/२४ को समय लगभग ०८:०० AM बजे मुख्त्यार खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी चकरोड़ के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गिने जिनकी नफ्त की गयी जो जॉलम नम्बर ३ में दर्ज है। उक्त पेड़ों की ज़रूरत वरामदगी मॉडे पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा वरामद लकड़ी के सौंख कोठी नर्सरी पर रखवाया गया है। आस पास रहने पर शक हुआ कि उक्त पेड़ों की जॉलम नं. १ में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा ज.स. मशीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़े गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उ.प्र. वन संरक्षण अधि. १९७६ की धारा ४/१० का उल्लंघन तथा प्रा. सर्वोच्च न्या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक ०८/०५/२०१५ की अवमानना के तहत अपराध किया है।

सेवा में प्र.नि. महोदय मथुरा। महोदय, उम्त उल्लेख की उच्च प्रति ध्यान अति महत्व प्राप्त करने हेतु साफर उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में उचित है।

(नेत्रपाल) व.र.

45

राजिवाद सं० १३/११/२०२५-२५

1151

प्रभागीय वाद सं०

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक ०८/११/२५ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

१- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान १. रविन्द्र ५१० केमसिंह नि. ग्राम भोवा नि. सोंख

२- साक्षी का नाम २. नरवीर उर्फ सती ५१० मुकात्तार

३- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक ३. नरपाल ५१० श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

४- मूल्य ४. पुष्पिंद्र ५१० नरपाल

५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन ५. राजा उर्फ ५१० हरी सिंह निवासी गीतल - ग्राम

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

राजमग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम भोवा, भाग सींगपट्टी चकराड़ के क्षेत्र ६ पेड़ नीम जी. १०६, १०८, १०९, ११०

१०५, १०७, १०९, ३ पेड़ जापड़ी जी. १२२, १००, ११०, तथा २

पेड़ जूनीफेरेरा जी. ६८, ८०. पेड़ होंडर जी. ३२ स. मी.

कुल १५ पेड़ों के बिना अनुमाने के ३.६.८. मशीन द्वारा कटा

G. P. C. N- 27.405043

F. 71.518662

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय, निवेदन के साथ संलग्न कराया है कि आम दिनांक ०८/११/२५

को लगभग ०८:०० AM बजे मुखविर खण्ड के द्वारा प्रसूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भोवा भाग सींगपट्टी चकराड़ के क्षेत्र जम्बा की

तलाश कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल में हमराह

को बहिश्चाम उजरदार के साथ ग्राम भोवा भाग सींगपट्टी पहुँचे।

वहाँ देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के आतिरिक्त बम्बा की तरह

कुछ पेड़ उखाड़े गिने जिन्दी नपत की गयी जो कुल नम्बर

३ हैं दर्ज हैं। उक्त पेड़ों के पूर्व बरामदगी होने पर बताया

गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी के बॉक कोही

नर्सरी पर रखवाया गया है। असा पास उद्योग पर बात हुआ

कि उक्त पेड़ों को कुल नम्बर ३ के पूर्व ग्राहकों के द्वारा

उ. (६. ८. मशीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़े गये

गिने हैं। उक्त व्यवस्था के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि.

१९७६ की धारा ४११० का उल्लंघन तथा प्रा. वन सं. धारा

द्वारा T. T. Z. क्षेत्र में दिखे गये अपराध दिनांक ०८/०५/२०१५

को अनुमाना के तहत अपराध उभरा है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

(उशाल पान)

त. र.

श्री रविन्द्र ५१० केमसिंह नि.

गवाह:- (राजि गोवर्धन) त. र.

सेवा में, उ. प्र. वन संरक्षण अधि. मथुरा

महोदय, उम्त डेस जी डिप्टी प्रि प्रभागीय नम्बर आवंटित ०२५ के सादर उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

प्रभागीय अधिकारी

सं० ५० प्रभागीय मथुरा

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५

०८/११/२५


०८/११/२५

०८/११/२५


०८/११/२५

०८/११/२५

मजरी नक्सा घटना नं. 2 दिनांक 08/12/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/जोषधर/2024-25
 सहदर्ज F.I.R. सं. 0341/2024 दिनांक 22/11/2024



घटना स्थल - ग्राम शमोला भाग सींगा पर्ये तटलीक गोवर्धन खसरा संख्या 698 क चकली
14 पेडोका अवेधकरण



संकेत - घटना स्थल जहाँ पेड व झाडी नुमा पोचे उखाडे गये है को A-B
 व x x x x से दर्शाया गया है।

गवाह

(भुवैरासिंह नं. १०)
 वन वीर मगोर
 रेंज जोषधर

मजरी नक्सा मेका घटना स्थल निरीक्षण दिनांक 26/11/25
 को मेरे द्वारा बनाया गया।

अमर

अमर-चौधरी वन दरोगा
 वन अनुभाग चौमूडा, जोषधर रेंज

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम वि० ग्राम शंभुका भाग सीगां परदे



दि० सौंज, तह-जोवर्दीन, मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक ०२/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० मधुवा

व मुकाम को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आयेँ दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
सेक्सन-श्रीभुवा
फॉरेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम वि० ग्राम शंभुका भाग सीगां परदे



दि० सौंज, तह-जोवर्दीन, मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक ०२/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० मधुवा

व मुकाम को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आयेँ दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
सेक्सन-श्रीभुवा
फॉरेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत
विशेष अधिकारी

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 के ...

व मुकाम ...

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-9 के अन्तर्गत ...

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@man

अमन चौधरी

अनुभाग अधिकारी

सेक्सन-3, ...

फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत
विशेष अधिकारी

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 के ...

व मुकाम ...

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-9 के अन्तर्गत ...

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@man

अमन चौधरी

अनुभाग अधिकारी

सेक्सन-3, ...

फारेस्ट आफिसर

(49)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... रतेंद्र ... 5/10 ... जेता/सिंह ... 1/10 ... 2014 ... 2015 ... 2016 ... 2017 ... 2018 ... 2019 ... 2020 ... 2021 ... 2022 ... 2023 ... 2024 ... 2025



18 रतेंद्र ... जेता/सिंह ... 1/10 ... 2014 ... 2015 ... 2016 ... 2017 ... 2018 ... 2019 ... 2020 ... 2021 ... 2022 ... 2023 ... 2024 ... 2025

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/10/2025 व समय 11:00 बजे ...
 सामान्य जेता/सिंह वन अधिकारी जेता/सिंह रतेंद्र जेता/सिंह रोड राष्ट्रीय इंटर
 व मुकाम ... जेता/सिंह रतेंद्र जेता/सिंह मडुरा

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
 मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 30-31 वन संरक्षण अधिनियम 1976 में
 कायम किया जाये।
 धारा 4/10

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
 तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।
 @nar अमन चौधरी
 सेक्शन-3/10
 फॉरेस्ट आफिसर

50

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रु. प्र. प्र. प्र.
उ. प्र.
19/03/25
12/03/25

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

लयात (51)

मेरी क्षमा हुकारा वहां पहुँचने पर फिर 112 को काग
 कर कर के गुमवाया गया था जब तक की मांग बहुत
 थी संख्या में पंडों को उखाड़ चुके थे
 112 नं० क्षमा उनसे रिक्लाक माई मापवाही नहीं की
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी
 दूसरे दिन वन विभाग के सचिवालय में पट पहुँचे
 तो सिंग सिग्नल मांगों के रिक्लाक वन विभाग द्वारा
 पंडों की पुर्ची बनाकर कर मापवाही की गयी है
 अतः जो मांग पंडों को उखाड़ बा रहे सिंगने से जानरा था
 उनसे माप सिंग सिग्नल

- 1 - सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र सुबलपारी निवासी 2 थोका
- 2 - नंगपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुमाय सिंह 2 थोका
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र नंगपाल उर्फ 2 थोका
- 4 - दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उर्फ 2 थोका
- 5 - बालवीर उर्फ रीशु पुत्र रामचन्द्र उर्फ 2 थोका
- 6 - बंकेप्रसाद पुत्र दिगम्बर उर्फ 2 थोका

अथ 15-20 लाखों के लाखों में पर
 सिंगने से

19/03/2025
 देवेंद्र मीशरा SP श्री वन विभाग
 निवासी 2 थोका नंगपाल
 mob - 9837049037

वधान

①

मे इन्डिया मीनपार डूग जी एडमिनिस्ट्रिबिवासी ग्रांथ श्याका
 एडिगापल्ली तहसील गाँवके मजदुरा का पूरा विचार है
 प्राप्ति नोडिस के आधार पर में आज दिनांक 19/3/25 को
 वक्त विभाग मथालय गाँवके पर उपस्थित हुआ।
 मे वधान करता हूँ कि मेरी विनी एडिगापल्ली गाँव श्याका में
 है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले जलेशी एवापु
 ली गरी बहुत बड़ा बगीचा मेरे द्वारा वहाँ विभिन्न प्रकार के
 फलदार / धानदार वृक्ष लागे गये थे सभी पेड़ मर व धानदार
 के बहुत पत्ती इन पर विकास करते थे सभी में धोलने के
 डूले के पचावराण बहुत अच्छा बना हुआ था।

मगर गाँव कुछ लोगोंके शायद अच्छा न लग रहा हो
 व लकिये गाँवके कुछ निम्न लिखित लोगों के अपने 15-20 हाथिये
 के साथ तारीख 19-11-2025 को मथालय 2CB मथालय
 मीनर पहुँच गये और पेड़ों को उखाड़ने लगे मे मजदुरा रहता
 हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहते हैं उन्हीके उन्हे रोमने का माली
 प्रवास किया मगर वो मडने मारने को तैयार होकर इन्हे
 आये थे चाचा द्वारा मुझे बुझा की गरी मे अच्छी
 उस समय मजदुरा से बहार था मेने 112-नं० पर कॉल
 कर पुलिस को भेजा मगर वो तब भी नहीं आये मे जब तक
 मीनर पर पहुँचा तब तक वो लोग मेरे बगीचे को वाली
 पेड़ों को 2CB द्वारा उखाड़ा मुझे वे और 2CB
 मुझे चाली मिली मेरे बड़ा पहुँचने पर मेरे मना
 करने के बावजूद भी वे लोग गरी माने
 और मुझे मारने पीरने को तैयार थे

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रुक प्रती पूजा श्री -

-य-के-म-02

12-03-2025

@man 11.03.25

जाँच अधिकारी
वनभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

मैं - चन्द्रमानसिंह पुत्र श्री मंगल सिंह किसानी ग्राम बूथोवा
 सीगां पंथी का किसान हूँ मुझे एक विभाग गोरखी द्वारा
 लुकाया गया मे आज दिनांक 19/03/25 को मथालय में
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बाहर से एक कर्क मरेपे है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गांव से कुछ लोग
 सतबीट उर्फ सतो पुत्र मुख्तार . नंगपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब
 पुष्पेण्ड उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र दही सिंह
 एवं शोभाबीट उर्फ शंभु पुत्र रामचन्द्रन सती किसानी शंभु
 अपने अन्य 15-20 सन्धिकों के संगत मेरे मथाले देवेन्द्र
 की नकरी से 200-से पेड़ों को उखाड़े रहे थे
 मैं मथाले पर गया मैंने बहुत धार मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मगर वो लोग मुझ से लड़ने मारेज को
 तैयार हो गये मेरे बहुत धार मना मरेज पर भी नकी माने
 और नकरी से मगर मेरे खेत से भी कितने पेड़ थे
 उन्हें जबरदस्ती 200-द्वारा उन लोगों के उखाड़े किये
 मेरे द्वारा लोग से अपने मथाले देवेन्द्र को भी छुचका दी
 उसने 112-पुलिस लुकरि को लिए मीनकी माने तब उसने
 एक विभाग को छुचका दी जो एक विभागरीलोग आये
 और आगे भी माफवाही गयी

चन्द्रमानसिंह
 19-13-2025

चन्द्रमानसिंह, पुत्री मनरासिंह
 (मथाले मरेज)
 फोन नं - 9410446249

(55)

सर्वार्थ

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राचीन तथा प्राचीन के गाँव के लगभग 100 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को मैमाइश मौके पर कराने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया
था। प्राचीन गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उपजिला
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उक्त
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की में ड डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में में ड डलवायी थी। राजस्व टीम
के मैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भवरी सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्द
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गवाश्या
वा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ों को
उखाड़ बाँध दिया था और वन विभाग के कर्मचारीयों को पीड़ित गुमराह
कर प्राचीन गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश बश थाना मगोरी
में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँगी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने जाने की सूचना भि
जायी गयी है जबकि प्राचीन वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्रार्थी

दिगम्बर सिंह अ० हरी सिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सौरव, जिला - मथुरा
मो० न० - 9760902816

सेवा में

श्री मान कृतीप बन अधिकारी मेटाद्रप गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०५०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगौरा, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
पेशा-कृषि, साधारण रूप से साधारण गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैनाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटाद्रप गोवर्धन के पट्टी सब साधारण पत्र
दिनांक 1/ साधारण गाँव के अन्य व्यक्तियों के साधारण पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटाद्रप, गोवर्धन के अतिरिक्त दिनांक 07-11-2024 पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रक्बा 0.9510
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०- 698 क को चिन्हित कर उ
दिन उसी समय जि० सी० वी० से उक्त रस्ते की मंड उलवापी बंध शरत में
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मंड उलवापी थी राजस्व टीम
के पैनाइश कर जौन के बाद गाँव के बंध व्यक्त चन्द्रभान अ० भवर
व भरतसिंह व हरवीरसिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेंद्र प्रो
व जीतेंद्र 5% बदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगौरा, जिला-मथुरा ने जि० सी० वी० से उक्त र
उलवाइया दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिटो से गुमराह
साधारण गाँव के कुछ व्यक्तियों के किराए राजेशवश थाना मगौरा में हमले
के किराए वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने की डूँटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है
जिससे थाना मगौरा से हमारे लिपे थाने आने की सूचना मिलवायी ग
जबकी साधारण वन विभाग के पेड़ नष्टी उखाड़े हैं। ध्यान सुनकर सही कर

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
साधारण

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ० मुखार,
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पोसौरव थाना, मगौरा जिला मथुरा

सेवा में

(57)

श्रीमान ज्योतीप वन अधिकारी भद्रोदप, गोवर्धन
खि. अमपुरा (डु. प्र.)

मैं जे.प.ल.सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव रमोवा
भाग सीतापुरी तहसील गोवर्धन खाना-मगोरी खि. अमपुरा उम्र करीब
118 वर्ष पेशा- कृषि प्रथी से तका प्रथी के गांव के लगभग 10 व्यक्ति
ने सरकारी चक्रमाग के चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पैमापुशा भोके पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी भद्रोदप गोवर्धन के पदा स्व.प्रथी पत्रादिप
वा प्रथी व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
भद्रोदप गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रमाग सं. 698 के रकम 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अमपुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रमाग
की भोके पर चक्रमाग सं. 698 के के चिन्ह कर उसी दिन उसी समय
जे.सी.वी. से उक्त रास्त की मेंड डलवायी एवं रास्ते में जो चेड रवड
के उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मेंड डलवायी थी राजस्व टीम
के पैमापुशा कर जाने के बाद गांव के दंबंग व्यक्ति चक्रमाग पुत्र भवर सिंह
भरत सिंह, शमजील, हरवीर पुत्र श्याम चक्रमाग व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी श्याम भाग सीतापुरी खाना मगोरी से शत्रि में
जे.सी.वी. से उक्त पेडा के उरवडवा विपाया और जनविभाग के कर्मचारियों को
पीड से बुमराह कर प्रथी व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विस्तृत शिजंश वश
खाना मगोरी में लोगों के विरुद्ध जनविभाग से पेडा के उरवडवाने की
कुछी रिपोर्ट दल करा दी जिससे खाना मगोरी से हमारे लिए थाने जाने की सूचना
प्राप्तवापी गयी जबकि प्रथी के जनविभाग के पेडा जही उरवाड हे खाना मगोरी
तस्वीर किपा

प्रथी 

दिनांक 18.12.2024

जे.प.ल.सिंह 57, श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
निवासी श्याम.पोस्ट सोरंव
Mobile No. 939393752

संख्या -

(58)

श्री मान क्षेत्रीय वन अधिकारी अहोदय, गोवर्धन
जि. अमुरा (उ.प्र.)

में पुष्पेन्द्र पुत्र जेठपाला गांव - स्थोवा भाग सींगापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगहरा जि. अमुरा
उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी - प्रार्थी ने लघु प्रार्थी के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चकमाग की विन्दत कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश मौके
पर कराने हेतु -

श्री मान उपजिलाधिकारी अहोदय गोवर्धन के यहां रक्त प्रार्थना पत्र दिना या प्रार्थी
व गांव के कुल व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्री मान उपजिलाधिकारी अहोदय
गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व
टीम सरकारी चकमाग सं. 698 क रकबा 0.3510 हे. की मौके पर राजस्व टीम
तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक 03-11-2024 को कुल चकमाग की मौके
पर चकमाग सं. 698 क को विन्दत कर उसी दिन उसी समय जे.सी.वी. से
कुल रास्ते की भेड डहवापी एवं रास्ते में जी पेड खंड से उनको राजस्व
टीम की उपस्थिति में भेड डहवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जान के बाव
गांव के कुल व्यक्त चन्द्रभाज पुत्र चन्द्रसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्द्रभाज रामजीर
पुत्र चन्द्रभाज हरवीर, पुत्र चन्द्रभाज, व देवेन्द्र चौधरी, जीतेन्द्र पुत्र गण वदन सिंह
निवासी गण स्थोवा भाग सींगापट्टी जिला मगहरा ने रात्रि में जे.सी.वी. से
कुल पेडा को उखंडा दिना या और जननिभाग के कार्यवाहियों को पीर से
गुमराह कर प्रार्थी व गांव के कुल कुल व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश वश पाना
मगहरा में हम लोगो के विरुद्ध लच विभाग के पेडों के उखंडाने की भूठी
विषय दर्ज करा दी जिसमें पाना मगहरा से हमारे लिए पाना उगाव की सूचना
मिलवायी गयी जबकि प्रार्थी ने वन विभाग के पेड नहीं उखांडे हे पाना सुनकर
तस्वीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र प्रार्थी

पुष्पेन्द्र पुत्र जेठपाला
निवासी स्थोवा मगहरा

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग

सींगापट्टी चक्रोड़ के डिग्री पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अभियुक्ति
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	सम्पूर्ण वृक्ष
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(शधेश्याम)
वनर भूत
ओवर्नि रेंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुशलपाल)
क. र.
ओवर्नि रेंज

बयान

महोदय, मैं कुशलपाल सिंह बनरजक बन वीट मगोरा/मडींग गोवर्द्धन रेज साठवा० वन प्रभाग मपुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधारे पर हमारा एनी रजिस्ट्रेशन नंबर नीमगांव बन वीट गोवर्द्धन रेज बन प्रभाग मपुरा के साथ घटना स्थल, रक्सरा संख्या 698 क मोजा शहीवा ज्वाडा सीगा-पट्टी तहसील गोवर्द्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुंचे तो पाया गया कि चकमार्ग 698 क के किनारे पर पेड व पोद्यो जड़ से उखड़े पड़े हैं और चकमार्ग पर लाना गिट्टी दोनो किनारे से जे०सी०बी० द्वारा डलवायी गयी है जो के पर उखड़े पड़े, पेड पोद्यो की गणना व माप की गयी तो पाया 09 पेड नीम गोलार्ड क्रमशः 140, 10, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से०मी० 01 पेड पीपल 60 से०मी०, 02 पेड शहदरा 60, 70 से०मी०, 06 पेड पापुला 70, 86, 62, 57, 62, 65 से०मी० 01 पेड जामुन 50 से०मी०, 01 पेड पापडी 48 से०मी० 01 पेड शीसम 44 से०मी० 05 पेड भौली व्लोरा- 35, 89, 45, 60, 67 से०मी०, 01 पेड अर्जुन 77 से०मी० कुल पेड 27 तथा 27-नीबू के झाडीनुमा पोद्यो व क्रोदा के 22 झाडीनुमा पोद्यो मिले जो के पर चर्द बरामदगी बनायी गयी और साथ पास छूटा छूटा कर उका अपराध करने वाले व्यक्ति को के नाम पता तारा विषे तथा अपराध और अप्रियुक्तों की पुष्टि कर पुराना विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्द्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दर्ज किया गया तथा अप्रियुक्त 1- रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह सिंह मगोरा पोस्ट सोरव थाना मगोरा (2) सतवीर उर्फ सतलु पुत्र मुख्तियार (3) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हनुमंत तिवारी गाण ग्राम शहीवा ज्वाडा सीगा पट्टी पोस्ट सोरव थाना मगोरा के विरुद्ध तहरीर थाना मगोरा में ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुखविर खास से सूचना मिली कि ग्राम शहीवा में चकमार्ग संख्या 698 क के दोनो तम्र बड्ढा सड्ड से खड़े पेडो को उपरोक्त अप्रियुक्तों के द्वारा पुनः पेडो को जे०सी०बी० से उखड़ा दिया है। मैं स्वयं भी हमराह नी रावोश्याम बनरजक के साथ घटना स्थल पर समय लगभग 8:00 बजे सुबह पहुंचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे बड्ढा की तरफ जे०सी०बी० गरीस से उखड़ा गया है तथा चकमार्ग पर गिट्टी डली गयी है जो के पर उखड़े पेडो की गणना व माप की गयी तो पाया कि 08 पेड नीम गोलार्ड क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से०मी० 03 पेड पापडी गोलार्ड- 122, 100, 140 से०मी०, 2 पेड भौली व्लोरा गोलार्ड 68, 80 से०मी० व 01 पेड होकर गोलार्ड 92 से०मी० कुल पेड 14 पाये गये साथ पास छूटा छूटा कर उका पर पला-पला कि यह 14 पेड भी अप्रियुक्त (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह (2) सतवीर उर्फ सतलु (3) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हनुमंत के द्वारा ही पुनः जे०सी०बी० से उखड़ाये है, अपराध और अप्रियुक्तों की पुष्टि कर उका अप्रियुक्तों विरुद्ध विभागीय वन अपराध सं० 17/गोवर्द्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहरीर थाना- मगोरा में देकर मुकदमा दर्ज किया गया उका अप्रियुक्तों के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समय से रकम ही घटना स्थल पर से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किमि अवेद्य रूप 41 पेड व नीबू के 27 झाडीनुमा पोद्यो व क्रोदा के 22 झाडीनुमा पोद्यो को चकमार्ग पर दोनो किनारे से गिट्टी जे०सी०बी० से खोदकर डालने के दौरान उखड़ावा कर उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा भारतीय उत्खान-मायालय की रिट पिटीशन 13381/1984 रजि० सी० में हता बनायु भारत संघ में मौखित आर्क र० संख्या 527 में पारित (T.T.Z केत में वृक्षो के अवेद्य पातन से संरक्षा-यत) आर्क दिनांक 08/05/2015 की उखमानना करने का ब्युला संशुति अपराध किया है। उका दोनो घटनाओं में उखड़े गये सभी 41 पेडो की समस्त लकडी रकव-नीबू के 27 पोद्यो झाडीनुमा और क्रोदा के 22 झाडीनुमा पोद्यो की जलाइ लकडी वर्तमान में जारी की अप्रियुक्तों में ररवी है। पक्षी मेरे बयान है।

बयानकर्ता
 12/03/25
 (कुशलपाल सिंह बनरजक बन वीट)
 मगोरा/मडींग गोवर्द्धन रेज
 वन प्रभाग मपुरा

सिद्धिय,

वयान

(61)

श्री राधेश्याम वन रक्षक (वोट नम 000) रेंज जीववर्धन सांवा वन उभाग मथुरा शायब पूर्वक वयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर वादी कुशलपाल सिंह वन रक्षक वन वीट भगौरा, रेंज जीववर्धन के साथ धरना स्थल खसरा सं० 698 का मौजा श्यौवा भाग सींगा परटी तहसील जीववर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया कि यकमार्ग खसरा सं० 698 की लम्बा अर्न्त करायी गयी है तथा दोनों किनारों से लम्बा मिट्टी उगवायी गयी है और यकमार्ग के किनारे वेड अर्न्त कडे हैं। मौके पर उखडे पेड़ो की साथ वगणना करायी गयी तो मौके पर 09 पेड - नीम गोलार्ध कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सैमी - 01 पेड पीपल - 60 सैमी 02 पेड शहदत 60, 70 सं० मी०, 06 पेड बापूल 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी०, 01 पेड जामुन 50 सं० मी० 01 पेड पाण्डी 48 सं० मी० 01 पेड शीशम 44 सं० मी० 05 पेड लुलीफलोरा 35 सं० मी० 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड अर्जुन 77 सं० मी० कुल पेड 27 तथा नीम के 27 झाड़ी-नुमा पौधे और करौदा के 22 झाड़ी-नुमा पौधे उखडे हुये पाये गये मौके पर कई वरामदगी वनायी गयी और आस-पास वृद्ध गह्व की गयी छहताइ में अग्निमुक्तो का नाम पता जाह लिया गया तो पता चला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाड़ी-नुमा पौधे अग्निमुक्त 0 रक्षक पुत्र डैम सिंह नि० मद्रा पौस्ट सौरभ भाग भगौरा जिला मथुरा 0 अतवीर उर्न सलो उर्न सत्यधारा पुत्र मुखत्या 0 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्न गुलाब सिंह 0 पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 0 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह निवासी गज ग्राम श्यौवा भाग सींगा परटी पौस्ट सौरभ भाग भगौरा नि० मथुरा के द्वारा यकमार्ग की अर्न्त व नि० सी० वी० प्रशीन से यकमार्ग पर मिट्टी उलवाने के दौरान खडे होकर उखडवाया है अपराध और अग्निमुक्तो पुष्टि होने पर तुरन्त विप्रागीय वन अपराध संख्या 15/जीववर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तो के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसील थाना भगौरा में रफ. आर्. आर. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुख्यािद आस से सूचना मिलने पर पता चला उक्त सभी अग्निमुक्तो के द्वारा उक्त यकमार्ग के किनारे से वण्डा की तरह पुनः कुछ पेड जं. सी. वी. से उखडवा दिये है तो में कुरापान सिंह वनरक्षक के साथ पुनः उक्त धरना स्थल पर पहुँचे तो पाया कि 08 पेड - नीम गोलार्ध कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड पाण्डी मी० 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड लुलीफलोरा मी० 68, 80 सं० मी० तथा 01 पेड होकर गोनार्ड - 92 सं० मी० कुल पेड - 14 पेडों की कई वरामदगी वनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तो की पुष्टि कर विप्रागीय वन अपराध सं० - 17/जीववर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/24 दर्ज कर तहसील थाना भगौरा में रफ. आर्. आर दर्ज कराने हेतु दी गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तो 0 रक्षक पुत्र डैम सिंह 0 अतवीर उर्न सलो उर्न सत्यधारा पुत्र मुखत्या 0 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्न गुलाब सिंह 0 पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 0 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह निवासी गज ग्राम श्यौवा भाग सींगा परटी पौस्ट सौरभ भाग भगौरा जिला मथुरा के द्वारा धरना स्थल यकमार्ग खसरा सं० 698 मौजा श्यौवा भाग सींगा परटी के दोनों किनारों पर खडे पेड़ों की यकमार्ग पर मिट्टी खोदकर उलवाने के दौरान कुल 41 पेड तथा नीम के 27 व करौदा के 22 झाड़ी-नुमा पौधों की कमरा: अलग-अलग समय और दिनांक की दिना सूचीनुसते प्राप्त किये अवैध रूप से उखडवाकर उ० 50 वृद्ध संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा मी० उच्चतम न्यायालय की रिट विदेशन सं० 13381/1984 रुम. सी. मेहता वनामा भारत संघ में दायर आर्. ए. सं० 527 में वृत्तो के अवैध धातन (सी. टी. जेड अर्न्तगत) से सम्बन्धित पारित आदेश दि० - 08/05/2015 की अव मानना का अपराध किया है। यही मेरे वयान है।

दिनांक - 12/03/2025

वयान कर्ता

श्री राधेश्याम वन रक्षक वीर नीम
 रेंज जीववर्धन वन उभाग मथुरा

1/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4407 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना मथुरा
मथुरा।

विषय :- वन अपराध 15/गोवर्द्धन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 की शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 15/गोवर्द्धन/24-25 व 72/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र -1

2-मूल-एव-2 केस संख्या 15/गोवर्द्धन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 सम्बन्धित संलग्नकों सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र -1

4-ठकालतनाम -1

5-नजरनक्सा -1

6-मुक्तिमान को दिये गये नोटिस की प्रतियाँ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सर्वदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4407 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्द्धन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपराजिक को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

शिकायत पत्र

सेवा में,

म्यागल, न्यायिक वण्डाधिकारी, मधुरा

15/गोवर्धन/2024-25

अभियोग सं०

72/अग्रज/2024-25

(१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पता श्री सुबालपल वनरसक

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम शंकर डी. प्रेमसिंह निवासी ग्राम मधुरा

(२) नाम सतवीर डके सती पुत्र मुखत्यार

(३) नाम प्रेमवल पुत्र राम सिंह

(४) नाम पुष्पेन्द्र पुत्र नैसपाल

(५) नाम दिगम्बर पुत्र हरी सिंह

निवास ग्राम श्रीवा अग्रज सीमापट्टी श्रीकवाना सौरा

पता अग्रज जिला मधुरा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि 21/11/2024

(२) समय 10:40 AM

(३) स्थान :- (क) राबि अग्रज श्रीवा अग्रज सीमापट्टी सौरा गोवर्धन मधुरा

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की क्षति की गई :-

नाजायज चरान/कटाना बीत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(२) वन क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से. मी. में)

(क) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान डा. पर. मुख्य-शासिक मजिस्ट्रेट प्रथम मधुरा ।
 पता मधुरा डी. प्र. बिल्डिंग सैरकाना अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 61-ए०, 63, 33 आदिमा लक्ष्मण न्यायालय द्वारा गेट नंबर 10 डी. जे. आदेशों से
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुरा
 डक्टर प्रदय

श्रीमान्

निवेदन है कि प्रार्थी अभियोगी जन-सेवक होने के नाते जनपद के राबकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्रार्थी असमर्थ रहेगा। इसलिये प्रार्थी को बोर से श्री. प्रदीप चंद्र. वाणीय एडवोकेट, पेनल मायर (न्यायिका अभिभावक) वन विद समराजिक परबों करके

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्रार्थी

R
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा

66

वकाशनामा

अदायत श्रीमान जगदिय मुख्य व्यापिक मंडिस्ट्रेट उद्यम मधुया

नं० मुकदमा 15/गीबदती/2024-25
12/प्रमाण/2024-25

पृष्ठ 14 नं० पूर्वदि. श्री. ए. क. श्री. मधुया अपीलांत
नाम रवेन्द्र प्र० जे मंडि मुकदमा
र अन्य विरुद्ध

कि. डी. ए. क. श्री. मधुया

ओ कि हमको ज्ञाना इस मुकदमे में आवणपत्र है इसलिए अपनी ओर से

अदायत कावली महलामे पर अपना धर्मोत्तरीयत करके प्रविष्टा करते हैं कि वकील को इस इस मुकदमा में हमारी ओर से बहुत वाकिल करे और प्रमाणपत्र करे और प्रापना पुनः प्रत्येक प्रकार का और अन्य कार्यक इस मुकदमा के सम्बन्ध में हमारा पंचायत वाकिल न संदीक करे या वाकिलों या मुकदमासादा दस्त बरवारी वाकिल करे और हमारा वाकिलानी हमारा वाकिलाने न करे न वाकिली हलान कोटि कीट न तमनामा बयें बहु बसुन करके रतीत हैं वा अती वाकिल के कितों को एवं मुकदमे के ओर कुछ काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्तर्गत करे या आशयकता मत कितों को इस मुकदमे की वेरवी के वास्ते वकील विवत करे या अपील शायर करे जहा अपील से वेरी सरफ से बनाव देती करे संव प्रकीक का कार्य हमने अपने किये हुए की तब हमोकार है ओर हीयत नीच मुकदमा वाही काम को इकित्यत होगा कि अगर महलामे से वापता हलः वाकिल जमको बसुन न हो तो वह पैरवी न बहुत बयें बहु न करे इसलिए यह अंगमठकमा सिख दिया कि समय हीने की वामशकता के समय काम भावें फलत तहरीर।

तारीख सत्र 14

यथाह तारीख

यथाह तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुया

नाम अपीलक कबलाई
नाम मुकदमा कबलाई
नाम अदायत कबलाई

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड़ व कुछ झाड़ीनुमा पौधे जड़ से उखड़े हुये पड़े हैं। मौके पर उखड़े पड़े पेड़ों व झाड़ियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड़ पीपल 1 पेड़ सहतूत 2 पेड़ पापूलर 6 पेड़, जामुन 1 पेड़, शीशम 1 पेड़ पापडी 1 पेड़, अर्जुन 1 पेड़ व प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के 5 पेड़ तथा नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे उखड़े पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिट्टी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड़ व नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड़ सहित उखाड़े गये हैं। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेड़ों को व झाड़ीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिट्टी डलवाने के दौरान उखड़वाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हए और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्सा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण में बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड़, 3 पेड़ पापडी, 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा व 1 पेड़ छँकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड़ से उखड़वा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा

थाना मगोरा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे०सी०बी० से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापडी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे०सी०बी० लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने साँख कोठी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिटटी डालते समय कुछ पेड़ जे०सी०बी० मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे०सी०बी० मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये। तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नींबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे०सी०बी० से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाड़ीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाड़ीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 25.11.2024 मय फर्ड बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

न्यायालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पञ्चाङ्ग प्रभाग/35-1 दिनांक 10/12/2025

सेवा में,
उपरोक्त प्रदेयक
एन.ए.ए.ए.ए.ए.
मथुरा।

महोदय,

उपरोक्त म.सं.के.सं. संख्या 15/गो. | 24-25 की जांच श्री अमन चौधरी
वन द्योगा से प्रार्थना गरी उन्ही जांच से सहमत है अतः केस की मा. प्रा.या.लय
में प्रेषित की संस्तुति सहित उपर्युक्त महोदय की सेवा में प्रेषित है।

अवदीप्त

@man 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा
जांच अधिकारी

श्री. न्यायालय से भेजने की लक्ष्य की लक्ष्य है।

अधिकारी
मथुरा

70

1299

संज्ञावाद सं० 15/5/2024-25

प्रभागीय वाद सं० 72/5/2024-25

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...स.धु.रा. ...दिनांक 21/11/2024. अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन...

उ-प्र. वृज संरक्षण अधि. 1976 की अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०...

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम मरार, पो. सौख तहसील - गोवर्धन, धाना मर्गीरा जिला मधुरा
2. सतवीर इन्द्रि सली 310 मुख्तयार
3. नेत्रपाल 310 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
4. पुष्पेन्द्र 310 नेत्रपाल
5. दिगम्बर शं० हरी

2. साक्षी का नाम

निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पो. सौख तहसील - गोवर्धन, धाना - मर्गीरा जिला - मधुरा

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
G.P.S. N - 27° 40' 50"
E - 77° 51' 86.53"

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चक्रोड के डिनारे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूं जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के जिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

4. मूल्य

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

गवाह

(राधेश्याम) व.र.

महोदय,
निवेदन के साथ अलगत कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को आधीनस्थ वी प्राप्त शिकायत के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर लगभग 10:40 AM बजे पहुँचे तो देखा कि चक्रोड के डिनारे पर 9 पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहतूत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूं जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखाड़े मिले, बरामद मद्रगी मौठे पर बनावी गयी। जो संलग्न है बरामद लडकी को चन्द्रभानु पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट- सौख तहसील - गोवर्धन, धाना मर्गीरा जिला मधुरा की सुपुदेगी में दी गयी। सुपुदेगीनामा संलग्न है तथा आस- पास प्रदेन पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों की कौलम नं० 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखाड़ वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा उ-प्र. वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 77 2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/06/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

मेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा. वा. वन प्रभाग
मधुरा

महोदय

उम्तकेस की प्रथम
वृत्ति ब्यौरे अधिकारी नामित
उरारे हेतु सादर प्रेषित है।


श्रेणीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज, मधुरा

21/11/2024
2/11/2024
अधीनस्थ अधिकारी, मधुरा
संलग्न

(कुशलपाल) व.र.

नजरी नक्सा घटना नं० 1 दिनांक 21/11/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध सं० 15/जोवर्धन/2024-25
 सह दर्ज F.I.R. सं०-0341/2024 दि० 22/11/2024

घटना स्थल खसरा संख्या 698 क भन्डागी मौजा/ग्राम-शमोबा भाग सिंगापरी
 तहसील जोवर्धन जिला मधुपुरा 27 पेड व 27 नीबू के 22 करोंवा के
 22 झाड़ानुमा पौधों का अर्थव्यकरण।



संकेत-घटना स्थल भन्डागी 698 क जहाँ 27 पेड व 27 नीबू के 22 करोंवा के झाड़ानुमा पौधे अखड़े गेपहे को A-B न XXXX से चर्चाया गया है।

गवाह

नजरी नक्सा मौजा घटना स्थल निरीक्षण दिनांक
 30/11/2024 को मेरे द्वारा बनाया गया।

(अशोक फौलादे व.रं.)
 वन बीट भगोरी
 रेंज जोवर्धन

@mwh
 (अमन चौधरी वनदरोजा)
 वन अनुभाग चौबुटा
 जोवर्धन रेंज

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम दिगावर 510 हरी



पिठे ग्राम शौका भाग सीगापरी
पो. सौख, न.ह. गोवर्धन
बाना मंगौरा पिठा मधु

रुका ३६ स० १५/१०२/२०२५-२५

जो बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक २१/११/२०२५

आयाद हुआ है।

आप व तारीख १६/१२/२०२५ व समय ११:०० बजे
मामलम मंगौरा वन अधिकारी गोवर्धन रोज, पतीडा रोड

मुकाम रावडीप इतर डील जे सामने गोवर्धन, मधु

हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकदमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३० अ प्र अ संकलन अधिनियम
में १९७६ की धारा ४/१०

म किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
नोम है और बाद कार्यवाही मुकदमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
मंगौरा विभाग
बैंगलूर

R0711705075IN INR:6265711705075
M. GOMERHAN SO C281502
Counter No:1.10/12/2024.13:17
To:DIGM098..

PIN:281123. Sonkh SO
From:ARYALAY CH,GNR

Net:10ms,REG=17.0

Net:25.96,Trans.9%,Net.Paid:26.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002668888) (Near Muzh)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... पु.पे.इ. १.०. २२५।.ल.



जि० ग्राम शमोला भाग सीजापट्टी
पो० सोला, तह - गोवर्धन
थाना भर्गाटा जिला मधुवा

रेजि० केस नं० १५/गो०/२०२५-२१

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

डि० नं० २१/११/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख १८/१२/२०२५ व समय ११:०० Am बजे

व मुकाम ... डायलिसिस सभाग वन अधिनियम २०१७ गोवर्धन रेजि०, जतीपुरा रेजि०

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ... ३७, ३८ व ३९ में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्तीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
चौमूहाँ

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम सतवीर उर्फ सल्लो १/० मूलजामार



नि० जामा शमोका, भाग लीगितपट्टी
पोस्ट सौख तह. गोवर्धन
भाना मर्गाहा, मधु.

बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत शेज केस नं० 15/गौ०/2024-25
दिनांक 28/11/2024

माद हुआ है।

प व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM वजे
आमालम क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, जनीपुरा रोड
शहरी इन्टर कालेज के सामने गोवर्धन, मधु.

अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा उ. प्र. वन संरक्षण अधिनियम 1976 की
धारा 4/10 में
या जाये।

वक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

गौर बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man

फोरेस्ट ऑफिसर
अन्तर्गत अधिकारी
चौमूहल

RU711703881N INR:8285711705856

R. GOMERMAN SO (281502)

Counter No:1.10/12/2024.13:17

To:SAITVEER ..

PIN:281123, Sonkh SO

From:KARVALAY DLSR

#:10ans.REC=17.0

Am:25.%,Tax:3.%,Net.Paid:26.00(Cash)

Track on www.indiapost.gov.in

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम नेपाल १/० राम सिंह डफि असाव सिंह



निम्न ग्राम शेखा, भाग सींगलपट्टी
को सौदा, नदहीला - गोलघर
थाना मर्गोरा जिला मधुवा

रेंज डेल नं 15/गौ/2024-25

यो बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 21/11/2024

भाषाद हुआ है।

आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM वजे

कार्यालय जिला वन अधिकारी गोलघर, धनुषा रोज

काम शाहीन शेख डफि के लागू गोलघर

गिरि अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 30 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1976

में म किया जाये। की धारा 4/10

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

मेम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
म फॉरेस्ट आफिसर

9071179328014 IVR:8285711793280
NL GHEDESHAN SO (281302)
Counter Mail:10/12/2024.13:17
Teletype:.....
PIN:281123, Sonb S0
From:KARYALAY CH.GR
M:100ms,REIP:17.0
Amt:25.36, Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
Track to www.indiatelecom.gov.in)
Chal 18092668060 (Near Nasta, Sitar S



INDIA NON...
Government of Uttar Pradesh

IN-UP08539596804401W

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP08539596804401W
: 18-Dec-2024 03:00 PM
: NEWIMPACC (SV)/ up14570504/ MATHURA SADAR/ U
: SUBIN-UPUP1457050414057051217865W
: DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
: Article 4 Affidavit
: NA
: DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
: DFO MATHURA
: DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
: 10
: (Ten only)



STAMP
संमन्त्र-श्रीमन्

प्रभागीय वन अधिकारी महोदय, मथुरा
वन विभाग मथुरा (उप्र०)

शपथपत्र मिनजानिव-दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह आदि निवासीगण ग्राम
कोला भाग सींगापट्टी तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा उम
कीब 35 वर्ष, पेशा-कृषि आदि।



शपथकर्तागण धर्म से शपथपूर्वक निम्न व्यान करते हैं कि-

हम कि शपथकर्तागण उपरोक्त पते के स्याई निवासी हैं तथा
शपथकर्तागण के नाम व पते पर अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं
करता है एवं शपथकर्तागण उक्त घटना के तय्यों से भली भाँति
परिचित हैं।

दिगम्बर सिंह

//2//

- 2- यह कि शपथकर्तागण के ग्राम के व्यक्ति दिगम्बर सिंह आदि ने ग्राम श्यौबा के चकमार्ग यानि सरकारी रास्ता के खसरा सं०-698क, रकवा-0.9510 हेक्टे० की मौके पर पैमाइश यानि चिन्हित कराने और मौके पर निकलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07/11/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, गोवर्धन के यहाँ दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन ने आदेश दिनांक 07/11/2024 को राजस्व टीम तहसील गोवर्धन की गठित कर मौके पर नापकर निशानदेही को आदेश किया था । आदेश दिनांक 07/11/2024 के अनुपालन हेतु दिनांक 09/11/2024को तहसील गोवर्धन की टीम मौके पर गयी और नापकर चकरोड को चिन्हित करके वापिस आ गयी ।

यह कि दिनांक 09/11/2024 को ग्राम श्यौबा के दबंग व्यक्ति चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह व रामजीत व हरवीर व भरतसिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदनसिंह व जीतेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण श्यौबा भाग सीगापट्टी ने उक्त रास्ते में खड़े

पेडों को रात्रि में जे०सी०बी० से उखाडवा दिया है तथा रंजिशवश वन विभाग के दफतर में आकर शपथकर्तागण के ग्राम के सीधे साधे व्यक्तियों के नाम बताकर वन विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर ग्राम के रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० भदार व सत्यवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार सिंह व नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह व पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी के विरुद्ध रंजिशवश थाना मगोर्रा में रिपोर्ट झूठी दर्ज करा दी है जो कि असत्य है ।

- 4- यह कि उक्त रास्ते में से वन विभाग के पेडों को चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह व भरतसिंह व रामजीत व हरवीर पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार व जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी ने रात्रि में जे०सी०बी० से उखाड दिया है तथा ग्राम के सीधे साधे व्यक्तियों के रंजिशवश नाम बताकर थाना मगोर्रा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जो कि झूठे नामों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दिगम्बर सिंह

79

//3//

5- यह कि शपथपत्र की मद सं० 1 लगायत अन्तिम का ज्ञान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरी मदद करे ।

विश्वनाथ सिंह

ह० शपथकर्तागण

ग्रामवासी ग्राम श्यौबा

भाग सीगापट्टी

तह० गोवर्धन जिला मथुरा।



The Contents of the Affidavit Documents
Read over and explained to and by
who is the maker of the same
& on the day of the month of the year
at the place named above in the affidavit
for the purpose of the same.

ADVOCATE
MATHURA

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 1) विजयेश्वर | 18) गिरधर | 32) Singh L |
| 2) रामगोपाल | 19) रामचन्द्र | 33) सोहन लाल |
| 3) बगवीर सिंह | 20) नारायण सिंह | 34) भगवत सिंह |
| 4) हाकिम सिंह | 21) अरवि | 35) नरेश कुमार |
| 5) नरेश सिंह | 22) हनुमन्त कुमार | 36) रामजी लाल |
| 6) चन्दुगण | 23) देव | |
| 7) सती उर्मि सत्यप्रसाद | 24) केशव सिंह | |
| 8) अमरपुत्रा सिंह | 25) <i>Ramprasad</i> | |
| 9) प्रदीप सिंह | 26) <i>Prakash Singh</i> | |
| 10) जीतनन्द सिंह | 27) कृष्ण लाल | |
| 11) शोणवीर | 28) रामधर | |
| 12) वनेश्वर | 29) <i>...</i> | |
| 13) प्रदीप सिंह | 30) <i>...</i> | |
| 14) Monukumari | 31) शोभाशुभार | |
| 15) वेदप्रकाश | | |
| 16) लखन सिंह | | |
| 17) शोणवीर | | |

(80)

सर्वोप

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह नि० गाँव श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राचीन तथा प्राचीन के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर करने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ रुक प्रार्थना पत्रादि या
था। प्राचीन गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उपजिलाधि-
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की में ड डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में में ड डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भरत सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्द-
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गणेश्यो
वा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रास्ते में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ को
उखाड़ बाँध दिया और वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़ से गुमराह
कर प्राचीन गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध रजिशन थाना मगोरी
में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँगी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये थाने जाने की सूचना भिज
वायी गयी है जबकि प्राचीन वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राची

दिगम्बर सिंह S/o हरिसिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सौरव, जिला - मथुरा
फोन नं० 9760902816

(81)

सिवा में

श्री मान कृतीप बन अधिकारी मेटाग्रप, गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०३०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखसार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मंगौरा, जिला-मथुरा उम्र करीब ५५ वर्ष
पेशा-कृषि, सापणी तथा सापणी के गाँव के लगभग १० व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक ०७-११-२०२४ की पैमाइश मीके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटाग्रप गोवर्धन के पट्टी रुक सापणी पत्र
दिखा था। सापणी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के सापणी पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटाग्रप, गोवर्धन के आदेश दिनांक ०७-११-२०२४ पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० ६३८ क रक्का ०.३५१० हे०
की मीके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक ०३-११-२०२४ को
उक्त चकमार्ग की मीके पर चकमार्ग सं०-६३८ क को चिन्हित कर उसी
दिन उसी समय जे.सी.वी.से उक्त रस्ते की मंडे उलवापी इंच शरत में जो
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मंडे उलवापी थी राजस्व टीम
के पैमाइश कर जोने के बाद गाँव के इंचंग व्यक्ति चन्द्रभान अ.भकर सिंह
व भरत सिंह व हरवीर सिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेन्द्र कौजयार
व जतिन्द्र ५१० वदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो० सौरव
तहसील-गोवर्धन, थाना-मंगौरा, जिला-मथुरा ने जे.सी.वी.से उक्त पेड़ों के
उखड़ा दिखा था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिछले गुमराह कर
सापणी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध रजिशावश थाना मंगौरा में हमला
के विरुद्ध वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने की डूँटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
जिससे थाना मंगौरा से हमारे लिए थाने सीने की सूचना मिलवायी गयी है।
जब की सापणी ने वन विभाग के पेड़ नष्टी उखाड़े है। ध्यान सुनकर तस्दीक किया

दिनांक-१८-१२-२०२४

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
सापणी

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ. मुखसार
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पो० सौरव थाना-मंगौरा, जिला-मथुरा


(82)

सेवा में

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, गोवर्धन
खि. ब्रह्पुरा (डि. प्र.)

मैंने जे.प.ल.सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाम सिंह गांव रघोवा
भाग श्रीगाफटी तहसील गोवर्धन थाना - भगोरी खि. ब्रह्पुरा उच्च करीब
118 वर्ष पेशा - कृषि प्रथा से तलाशपूर्ण के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चक्रभाग के चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पेमाइशा भोके पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के पक्ष रकप्रार्थना पत्रादिपत्र
का प्रती व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रभाग सं. 698 क रकबा 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन ब्रह्पुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रभाग
की भोके पर चक्रभाग सं. 698 क के चिन्ह कर उसी दिन उही समय
जे.सी.वी. से उक्त शस्त्र की मेंड डलवायी शंभु शंभु से जो चेड रवडे
के इनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मेंड डलवायी थी राजस्व टीम
के पैमाइशा कर जाने के बाद गांव के दंबग व्यक्ति चक्रभाग पुत्र भवर सिंह
भरत सिंह, अमजीत, हरवीर पुत्र श्याम चक्रभाग व देवेन्द्र फौजदार पुत्र वदन सिंह
व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी श्याम भाग श्रीगाफटी थाना भगोरी से शस्त्र में
जे.सी.वी. से उक्त पेडा के डुरवडका विपथा और वनविभाग के कर्मचारियों को
पीटू से गुमराट कर प्रती व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्तिशाली
थाना भगोरी में लोगों के विरुद्ध वनविभाग से पेडा के डुरवडवाने की
भूटी रिपोर्ट दल करा दी जिससे थाना भगोरी से हमारे लिए थाने जाने की सूचना
मिजवापी गयी जबकि प्रती व वनविभाग के पेडा जहाँ उरगाई है वधान सुनकर
तस्वीर किया

दिनांक 18.12.2024

प्रती 

जे.प.ल.सिंह डी. प्र. ब्रह्पुरा उर्फ गुलाम सिंह
निवासी रघोवा. पोस्ट शंभु
Mch. No. 8393937580

में-
श्रीमान

श्रीमान श्रीजीय वन अधिकारी भदोदप, गोवर्धन

जि. अमुरा (उ.प्र)

में पुष्पेन्द्र पुत्र जेजपाल गांव - रूथोवा भाग सींगीपट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगोरी जि. अमुरा

उम्र करीब 22 वर्ष पैदा शिक्षार्थी- पाषाण ने लष्का पाषाण के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों ने सरकारी चकमाग की चिन्त कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु-

श्रीमान उपजिलाधिकारी भदोदप गोवर्धन के यहां एक प्रार्थना पत्र दिसा था पाषाण व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी भदोदप गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमाग सं. 698 क रकबा 0:35/0 है. की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त चकमाग की मौके पर चकमाग सं. 698 क को चिन्त कर उसी दिन उसी समय जे.सी.जी. से उक्त रास्ते की भेड डहवापी एवं रास्ते में जी पेड खोड से उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भेड डहवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जान के वाप गांव के दबंग व्यक्ति चन्द्रमान पुत्र चन्द्रसिंह, भरत सिंह पुत्र चन्द्रमान रामजीत पुत्र चन्द्रमान हरवीर, पुत्र चन्द्रमान, व देवेन्द्र चौधरी, जीतेन्द्र पुत्र गण गण सिंह

निवासी गण रूथोवा भाग सींगीपट्टी जिला मगोरी ने रात्रि में जे. सी. जी. से उक्त पेडों को उखडवा दिसा था और जननिभाग के कर्मचारियों को पीट से गुमराट कर पाषाण व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्तिशाली शाना मगोरी में हम लोगों के विरुद्ध वन विभाग से पेडों के उखडवाने की भूमी विपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें शाना मगोरी से हमारे लिए पत्र आगे आगे की सूचना भिजवायी गयी जवाब पाषाण से वन विभाग के पेड नहीं उखाडें हैं वान सुनकर तस्दीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र पाषाण

पुष्पेन्द्र जे. जेजपाल
निवासी रूथोवा-मोरवा

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM बजे घटना स्थल श्री प्रोवा गभारा सीतापुर
पकरोड़ के किनारे पर पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्योरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी	आश्रित व्यक्ति
1-	नीम	140	सेमी	सम्पूर्ण पेड़
2-	"	60	"	"
3-	"	54	"	"
4-	पीपल	60	"	" 0 से। पासवर्गचे
5-	शद्वृत	60	"	" नीवू-27-पेड़
6-	पापूलर	70	"	" क्कोदा-22-पेड़
7-	"	86	"	"
8-	"	62	"	" जलोनी लकड़ी
9-	"	57	"	" वजन लगभग
10-	"	65	"	" 90 kg
11-	जाखन	50	"	"
12-	नीम	70	"	"
13-	"	67	"	"
14-	शद्वृत	70	"	"
15-	पापडी	48	"	"
16-	पापूलर	62	"	"
17-	2 शिम	44	"	"
18-	नीम	53	"	"
19-	जमोली लोरा	35	"	"
20-	नीम	70	"	"
21-	"	73	"	"
22-	अर्जुन	77	"	"
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जमोली लोरा	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	45	"
25-	"	"	60	"
26-	"	"	67	"
27-	नीम	"	127	"


 अनुशाल पाल
 वन रक्षक


 अनुशाल पाल
 वन रक्षक

सुपुर्दगीनामा

मै. चन्द्र प्रभात पुत्र श्री अंबर सिंह निवासी ग्राम शोला प्रभाग पोस्ट मोरवा
तहसील गोवर्धन थाना मरवोरा जिला मधुपुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
को समय लगभग 11:15 AM बजे घटना स्थल गांव शोला प्रभाग (सीवापट्टी) से
निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई मेत्री	आजिपुकी	
1-	सीम	140-मेमी	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	
5-	शहदत	60 - "	"	
6-	पापुल	70 - "	"	
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	
10-	"	65 - "	"	
11-	जामुन	50 - "	"	
12-	सीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शहदत	70 - "	"	
15-	पापुल	48 - "	"	
16-	पापुल	62 - "	"	
17-	शहदत	44 - "	"	
18-	सीम	53 - "	"	
19-	जमोली लोरा	35 - "	"	
20-	सीम	70 - "	"	

0 से 1 पास करवा
नीव-27- पेड़
करोवा-22-पेड़
जलोनी लकड़ी
प्रधान लगाभग
90 kg

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

21-	सीम	73 - "	"
22-	अर्जुन	77 - "	"
23-	जमोली लोरा	69 - "	"
24-	" "	45 - "	"
25-	" "	60 - "	"
26-	" "	67 - "	"
27-	सीम	127 - "	"

चन्द्र प्रभात - रजवा

9410446249

कुशल पावल
व.र.

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सोंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुये हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

एक प्रत
उप
19/03/25
12/03/25

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

वयान

①

मे- इवेंट मीजपार 2 इग जी एवनिट विवासी ग्राम 2 भावा
लीगा पच्ची तहसील गावचन मजुरा का पुन विवासी इ
पार नोडिस के आधार पर में आज दिनांक 19/3/25 को
वक विभाग मथालय गावचन पर उपस्थित हुआ.

मे वयान करता हूँ कि मेरी किली एपीयुमि गाँव 2 भावा में
है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले नर्सरी लगा
ली गयी बहुत बड़ा बगीचा मेरे द्वारा वहाँ निमिन्म प्रकार के
मालदार / धमादार वृक्ष लागे गये थे सभी पेड़ मर व धामादार
के बहुत पच्ची पुन पर विवास करते थे सभी में धोलमें वने
हुने के पर्यावरण बहुत अच्छा बना हुआ था.

मगर गाँव कुछ मोगोरीये 211 यद अच्छा न मग 2 दा हो
व सलिरा गाँवके कुछ निम्न निम्नित मोगों के अपने 15-20 मयिचे।
के साथ नारीय 19-11-2025 को मथान 203 मयिचि
मगर पडुचा गये और पेड़ों को उखाडने मगे मे मजुरा रहता
हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहते है उन्हीके उन्हे रोमने का माली
पुयास किया मगर को मडने मारने को हैयार होकर इमडे
आये के चाचा द्वारा मुझे पुचना की गयी मे वन्ही
उस समय मजुरा से वहाट वा मेने 112-70 पर काँन
नर पुँसि मे मेजा मगर को तब भी नही मरने मे तब तब
मोँ पर पडुचा तब तक के मोग मेरे वजीये के वाली
पेड़ो को 203-द्वारा उरबडा मुझे के और 203-
मुझे चली मिली मेरे वहा पडुचने पर मेरे मग
करने के वावजूद भी मे मोग वही मने
और मुझे मारने पीरने को हैयार के

(88)

(2)
लयात

मेरे सारा दुवारा वहां पहुँचने पर फिर 112 को काग
 का रर के गुलवाया गया था जब तक की मोग बहूत
 थी संख्या में सड़ो को उखाड चुके थे
 112 नं० काग उगते रिक्लाम मीरु मारिवाही नहीं थी
 गरी लय मुझे वन विभाग को इसकी पूछना ही
 दूसरे दिन वन विभाग के मरिचारी मीने पर पहुँचे
 तो रिक्लाम मीरु मीने के रिक्लाम वन विभाग द्वारा
 पेंडो भी पुची बनारस मर मारिवाही थी मीने
 मुख्यतः जो मोग पेंडो को उखाड वा रहे मीने से जानरा था
 उगते मीने रिक्लाम मीरु

- 1 - सतवीर उर्म सतो पुत्र मुख्तयारी निवासी 2 भाँवा
- 2 - नंग पाल पुत्र श्याम सिंह उर्म गुलाब सिंह 2 भाँवा
- 3 - पुष्पेन्दु पुत्र नंग पाल मीने 2 भाँवा
- 4 - किशोर पुत्र हरी सिंह मीने 2 भाँवा
- 5 - सोसवीर उर्म रीशू पुत्र रामस्यरूप मीने 2 भाँवा
- 6 - वंदप्रताप पुत्र किशोर मीने 2 भाँवा

आन्ध्र 15-20 लाखिये के लाख मीने पर
 मीने मे

19/03/2025
 देवेन्द्र मीनेदार SP की वदन सिंह
 निवासी मीने 2 भाँवा मीने
 mob - 9837049037

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रजक प्रात प्राप्त की-

य.व.क.क.

12-03-2025

@man 11.02.25

जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

जबदा

मैं चन्द्रमाला सिंह पुत्र श्री मंवर सिंह निवासी ग्राम रूथोवा
 हीगां पट्टी का निवासी हूँ मुझे एक विभाग गौवर्द्धन द्वारा
 लुनाया गया मे आज दिनांक 19/03/25 को मथालय में
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बाड़े से वहाँ एक मशीन है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गांव से कुछ लोग
 सतबीट उर्फ सतो पुत्र मुख्तार . नंगपाल पुत्र श्यामलाल गुलाब
 पुष्पेनग उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र एडी सिंह
 एवं शोभाबीट उर्फ शिशु पुत्र रामचन्द्र लाल निवासी शमला
 अपने अपने 15-20 साविकों का मसल मेरे महीने देवेन्द्र
 की मसरी से 200-से पेड़ों को उखाड़ रहे थे
 मैं मसरी पर गया मैंने बहुत धार मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मसल को मांग मुझ से लड़ने मारने को
 तैयार हो गये मेरे बहुत धार मना करने पर भी नहीं माने
 और मसरी से मसल मेरे खेत में भी जितने भी पेड़ थे
 उन्हे जबरदस्ती 200-द्वारा हन लोगों ने उखाड़ दिये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवेन्द्र को भी पूछना ही
 उसने 112-पुलिस बुलाई वां मिल भी नहीं माने तब उसने
 एक विभाग को बुझना ही तो एक विभाग मसला आये
 और आगे भी माफवादी गयी

19-13-2025

चन्द्रमाला S/O. श्री मजरसिंह
 ग्राम - रूथोवा (लीगापट्टी)
 फोन नं० - 9510446249-

बयान

मधेदम, जे कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरा/सडींग गोवर्धन रेज साठवाठ वन प्रभाग मयुरा शपत्र पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हमराद्वारा राधेश्याम वन रक्षक नीमगांव वन वीट गोवर्धन रेज वन प्रभाग मयुरा के सामंदास्त्राल, खसरा सं० 698 क मोजा शंका प्रभाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन पर समग्र लगभग 10.40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया गया कि चक्रमार्ग 698 के किनारे पर पेड़ व फोंचे पर से उखड़े पड़े हैं और चक्रमार्ग पर लाजा मिली होने के कारण से जे० सी० वी० द्वारा इलाका गंभी है जोके पर उखड़े पड़े पेड़ फोंचों की गणना व माप की गयी तो पाया 09 पेड़ नीम गोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से०मी०, 01 पेड़ पीपल 60 से०मी०, 02 पेड़ शहदूत 60, 70, सेमी०, 06 पेड़ पापुल 70, 86, 62, 57, 62, 65 से०मी०, 01 पेड़ आम्र 50 से०मी०, 01 पेड़ पापरी 48 से०मी०, 01 पेड़ शीसम 44 से०मी०, 05 पेड़ बमलीकोरा 35, 09, 45, 60, 67 से०मी०, 01 पेड़ अर्जुन 77 से०मी० कुल पेड़ 27 तथा 27 नीख के झाड़ीनुमा फोंचे व क्योदा के 22 झाड़ीनुमा फोंचे मिली जोके पर कई बरामदगी बनाती गयी और आम पास छुटाए कर उका अपराध करने वाले (आक्रांति) के नाम पता ज्ञात कि ये तथा अपराध और साक्षिभूतों की पुष्टि कर पुरत विष्मगीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दर्ज किया गया तथा साक्षिभूत 1- रवेन्द्र पुत्र प्रेमासिंह (2) नरेश्वर पोस्ट सोरख थाना मगोरा (2) सातवीर उर्फ सातो पुत्र सुखला (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गलाव सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे सिवासी गुण ग्राम शंका प्रभाग सीगापट्टी पोस्ट सोरख थाना मगोरा के विरुद्ध तहसीर थाना मगोरा में ही गंभी तथा अपराध (F.I.R) सं० 034/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुखविर खास से सूचना मिली कि ग्राम शंका में चक्रमार्ग संख्या 698 क के दोनो तरफ बम्बा साइड में उखड़े पेड़ों को उपरोक्त साक्षिभूतों के द्वारा पुनः पेड़ों को जे० सी० वी० से उखड़ा गया है जे स्वयं हमराद्वारा राधेश्याम वन रक्षक के साथ दस्तावेज पर समग्र लगभग 8:०० बजे सुबह पहुँचा तो पाया कि चक्रमार्ग के किनारे बम्बा की तरफ जे० सी० वी० अशीन से उखाड़ा गया है तथा चक्रमार्ग पर मिली डाली गयी है जोके पर पड़े फोंचों की गणना व माप की गयी तो पाया कि 08 पेड़ नीम गोलाई क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से०मी०, 03 पेड़ पापरी गोलाई 122, 100, 140 से०मी०, 02 पेड़ बमलीकोरा गोलाई 68, 80 से०मी०, व 01 पेड़ होकर गोलाई 92 से०मी० कुल पेड़ 14 पाये गये आम पास छुटाए करने पर पता चलता कि यह 14 पेड़ भी साक्षिभूत (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमासिंह (2) सातवीर उर्फ सातो पुत्र सुखला (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गलाव सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे के द्वारा ही पुनः जे० सी० वी० से उखड़ाये है अपराध और साक्षिभूतों की पुष्टि कर उका साक्षिभूतों, विरुद्ध विष्मगीय वन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहसीर थाना मगोरा में देकर मुकदमा दर्ज किया गया उका साक्षिभूतों के द्वारा दो बार सलाह-जलाग दिनांक व समग्र से रक ही दस्तावेज पर से बिना पूर्वनिर्धारित प्राप्त कि ये उखड़े रूप से 41 पेड़ व नीख के 27 झाड़ीनुमा फोंचे व क्योदा के 22 झाड़ीनुमा फोंचों को चक्रमार्ग पर दोनो किनारे से मिली जे० सी० वी० से खोकर इलाने के दोरान उखड़ा कर ज० प्र० कुल संरक्षण अधिसूचना 1976 की धारा 4 व 10 तथा माननीय उच्चतम-आपलाय की रिट पेटिशन 1738/1984 रजम.सी. में हता बनाम भारत संघ में प्रोचित आर्.रु. संख्या 527 में पाति (T.F.Z क्षेत्र में वृक्षों के सर्वेक्ष पातन से सम्बन्धित) आदेश दिनांक 08/05/2015 की अनुमानना करने का खुला अशीन अपराध किया है उका दोनो दस्तावेजों में उखड़े गये सभी 41 पेड़ों की समस्त लकड़ी रवेन्द्र नीख के 27 फोंचों झाड़ीनुमा और क्योदा के 22 झाड़ीनुमा फोंचों की जलाऊ लकड़ी वर्तमान में लकी की साक्षिभूतों में ररवी है। यही मेरे बयान है।

(कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरा/सडींग गोवर्धन रेज वन प्रभाग मयुरा)

(92)

भदोका

व्याज

में राधेश्याम वन रक्षक (वीट-नीम गॉंव) रेंज गौवर्धन सांवां वन प्रभाग मथुरा रायम धर्क वयाव कोराहें कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से छाह सुचना के आधारे पर कार्य करालपाल सिंह वन रक्षक वन वीट भगौरा, रेंज गौवर्धन के साथ धरना स्थल खसरा सं० 698 क मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी तहसील गौवर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुँचे तै पाया कि एकमार्ग खसरा सं० 698 की ताजा सफाई करायी गयी है तथा दोनो किनारो से ताजा मिट्टी डगवायी गयी है और एकमार्ग के किनारे पेड उरकडे पेडे है। मौके पर उरकडे पेडों की माप व गणना करायी गयी तै मौके पर 09 पेड नीम गौलारि कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सं० मी०-01 पेड पीपल 60 सं० मी० 02 पेड शहदल 60, 70 सं० मी०, 06 पेड पापुल 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी० 01 पेड पापुल 50 सं० मी० 01 पेड पापुडी 48 सं० मी० 01 पेड शौरभ 44 सं० मी० 05 पेड लुनी क्लोड 35 सं० मी० 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड अर्जुन 77 सं० मी० कुल पेड 27 तथा नीबू के 27 झाडी गुमा पौचे और करौदा के 22 झाडी गुमा पौचे उरकडे हुये पाये गये मौके पर कार्य करायी गयी उरकडे आस-पास पूढताइ की गयी पूढताइ में अग्निमुक्तो का नाम पत्रा ताल किया गया तै पत्रा भला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाडी गुमा पौचे अग्निमुक्तो 1 रवेन्द्र 39 डेम सिंह वि० प्रदाट धौरुत शौरव थाना भगौरा जिला मथुरा 2 अतवीर उर्फ सलो उर्फ अत्युक्तरा पुत्र सुखव्याट 3 नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाबसिंह 4 कुचैत्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर 6 एरीसिंह निवासी गय ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी धौरुत शौरव थाना भगौरा जिला मथुरा के द्वारा एकमार्ग की सफाई व लै० सी० वी० मशीन से एकमार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान खडे डोकर उरकडवायाई अपराध और अग्निमुक्तो पुष्टि हेतु पर उरकडे विभागीय वन अपराध संख्या 15/गौवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तो के विरुद्ध दण्ड किया गया है तथा तहसील थाना भगौरा में देनर अर्प. आर. सं० 034/2024 दिनांक 22/11/2024 दण्ड करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुख्यावेर खसरा से सुचना मिलने पर पत्रा भला उक्त अग्निमुक्तो के द्वारा उक्त एकमार्ग के किनारे से वसना की एक पुन कुठ पेड लै० सी० वी० से उरकड वा दिये है। तै में वी करालपाल सिंह वन रक्षक के साथ पुन उक्त धरना स्थल पर पहुँचे तै पाया कि 08 पेड नीम गौलारि कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड पापुडी 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड लुनी क्लोड 68, 60 सं० मी० तथा 01 पेड डोकर गौलारि-52 सं० मी० कुल पेड-14 पेडों की कार्य करायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तो की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० 17/गौवर्धन/2024-25 दिनांक-08/12/2024 दण्डकार तहसील थाना भगौरा में दण्ड अर्प. आर. दण्ड कराने हेतु की गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तो 1 रवेन्द्र 39 डेमसिंह 2 अतवीर उर्फ सलो उर्फ अत्युक्तरा पुत्र सुखव्याट 3 नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाबसिंह 4 कुचैत्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर 6 एरीसिंह निवासी गय ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी धौरुत शौरव थाना भगौरा जिला मथुरा के द्वारा धरना स्थल एकमार्ग खसरा सं० 698 मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी के दोनो किनारों पर खडे पेडों की एकमार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान कुल 41 पेड तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाडी गुमा पौचों का कामरा: अलग-अलग समय और दिनांक को बिना ध्वनिगति छाह बिधे अवैध रूप से उरकड कर उ० 50 वृत्र संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 44/10 तथा मा० उच्चतम-धायलपलीरिड दिशान सं० 13381/1984 स.स. भेदना वनाम अरत संघ में दायर अर्प. सं०-527 में वृत्रों के अवैध पातन (टी.पी० जेड० अर्तगत) से सम्बन्धित धारित आदेश दि०-08/05/2015 की अनुमति का अपराध किया है। गरी मेरे व्याज है

दिनांक - 12/03/2025

व्याजकर्ता
 (राधेश्याम वन रक्षक (वीट-नीम गॉंव)
 रेंज गौवर्धन वन प्रभाग मथुरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा



पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,


श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:-

दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
4. श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD1

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक):- 23/11/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:30 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 17:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

been

GA

004

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त थाना हाजा पर पंजीकृत होकर विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के मुझ विवेचक को सुपुर्द हुई। ग्रहण कर सम्पादित की गयी। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अपराध विवरण पत्र**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

नकल चिक नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा

। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. खेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़लील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट नै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

- Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : एफआईआर दर्ज
- Witness Name(गवाह का नाम) :
- Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
- Age(उम्र) :
- Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल रपट कायमी इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि० गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी० दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो० उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे । तकमीला दर पेश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे ।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का एफआईआर लेखक थाना परिसर में मौजूद है। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान एफआईआर लेखक है0का0 1550 गिरजेश कुमार पुत्र श्री लज्जा राम नि0 नगला सिंहमन थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद पी0एन0ओ0 न0 062241410 मो0 न0 9411020191 हाल तैनात थाना मगोरा जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 22.11.2024 को मेरी झूटी थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तपत्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 आपको सुपुर्द की गयी । वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते आपको दी गयी । यही मेरा बयान है ।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ। नकल कर संलग्न सीडी किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 7

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

नकल सुपुर्दगीनामा मैं चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग (सीगापट्टी) पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.15 बजे घटनास्थल गांव श्योबा भाग सीगापट्टी से निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भई मा० न्यायालय या वन विभाग उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगीगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है: क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम व पता मोबाइल नंबर चन्द्रपाल स्योबा 9410446249 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम कुशलपाल व०र०

S.No.(क्र.सं.) 8

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल बरामदगी आज दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.00 बजे घटनास्थल श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड़ के किनारे पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड गवाह हस्ताक्षर नाम व पता राधेश्याम व०र० जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करौदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर कुशलपाल वन संरक्षण

S.No.(क्र.सं.) 9

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से मो0 न0 7895373793 से दूरभाष सम्पर्क किया गया तो वादी ने बताया कि अभी किसी कार्य सरकार में व्यस्त हूँ, समय मिलते ही आपके पास आकर बयान दर्ज करा दूँगा।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

99
104

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 23/11/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 23/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
23-11-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted P.P.

Dinesh
24.11.24

Si. 2-2-23 105

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/11/2024 22:19

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day गुरुवार
(दिन):Date From 21/11/2024
(दिनांक से):Date To 21/11/2024
(दिनांक तक):Time Period पहर 1
(समय अवधि):Time From 00:00 बजे
(समय से):Time To 00:00
(समय तक): बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 056 Date & Time 22/11/2024 22:19 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 11 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address ग्राम श्योबा, भाग नैनूपट्टी
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
 (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम)
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7595373793

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदार ,मगोरा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	सतवीर उर्फ सतो		पिता का नाम : मुख्त्यार	1. ग्राम श्यौबा भाग नैनूपट्टी,मगोरा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी,मगोरा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी,मगोरा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी,मगोरा, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतुत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

1) व्यास वर्ग के पेड-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपर्दगी में दी गयी, सुपर्दगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट नै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Ravindra Kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): Yadav (पद):

No. 972140517 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म !)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

District

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Magorra

Rank I (Inspector)

No. 9454403945



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मगोरा

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 056

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 22/11/2024 22:19 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS Magorra

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

कायमी मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0

7. G.D. Brief

इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्ट बरामदगी सम्पति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नटार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँब तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह में लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में टाखिल किया टाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 दिनांक घटना 21.11.2024 समय अटम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी0 दिशा पश्चिम हल्का चौकी साँब वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नटार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँब तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह में लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे । तक्मीला दर देश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रक्कत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्ट बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे ।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 22/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 5454403945

सुपुर्दगीनामा

मै-धरुमान पुत्र श्री अंबर सिंह निवासी ग्राम शमोला भाग पोस्ट शोरव
 तहसील शमोला थाना शमोरा जिला मुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
 को समय लगभग 11:15 AM बजे घटना स्थल गांव शमोला भाग (सीवापस्ट) से
 निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
 उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ-तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी0	अधिकृत	
1	सीम	140-सेमी0	सम्पूर्ण पेड़	
2	"	60 - "	"	0 से 1 पास वर्ग
3	"	54 - "	"	सीम-27-पेड़
4	पीपल	60 - "	"	करीब 22-पेड़
5	शहदर	60 - "	"	
6	पापुल	70 - "	"	
7	"	86 - "	"	जलोनी लकड़ा
8	"	62 - "	"	
9	"	57 - "	"	काम लगभग
10	"	65 - "	"	90 kg
11	जामुन	50 - "	"	
12	सीम	70 - "	"	
13	"	67 - "	"	
14	शहदर	70 - "	"	
15	पापुल	48 - "	"	
16	पापुल	62 - "	"	
17	शहदर	44 - "	"	
18	सीम	53 - "	"	
19	जलोनी लकड़ा	35 - "	"	
20	सीम	70 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
 नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम व पदनाम

21	सीम	73 - "	"	"
22	जामुन	77 - "	"	"
23	जलोनी लकड़ा	69 - "	"	"
24	" "	45 - "	"	"
25	" "	60 - "	"	"
26	" "	67 - "	"	"
27	सीम	127 - "	"	"

145
 कुशल पाव
 व.र.

शमोला - शमोला

9510446249

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM को घटना स्थल श्रीमोवा जमात सीतापुर
पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमीठ	आप्टेडिफिके	
1-	नीम	140 - सेमीठ	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	0 से 1 पासवर्ग
5-	शद्वरत	60 - "	"	नीवू-27-पेड़
6-	पापूलर	70 - "	"	करोडा-22-पेड़
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	जालोनी लकडी
10-	"	65 - "	"	वजन लगभग
11-	जाड़न	50 - "	"	90 लक्ष
12-	नीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शद्वरत	70 - "	"	
15-	पापडी	48 - "	"	
16-	पापूलर	62 - "	"	
17-	शद्वरत	44 - "	"	
18-	नीम	53 - "	"	
19-	जालोनी लकडी	35 - "	"	
20-	नीम	70 - "	"	
21-	"	73 - "	"	
22-	शद्वरत	77 - "	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता		बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	15		
25-	"	60 - "	"	
26-	"	67 - "	"	
27-	नीम	127 - "	"	


 दुर्गा लाल पांडा
 वन रक्षक


 शिवेश्वर
 व-र.

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD2
Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date (दिनांक): 22/11/2024
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण 27/11/2024
दैनिकी तैयार करने की दिनांक):
c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 19:30 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0
1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय
22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज
गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2)
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र
नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पार्चा नं0 1 दिनांक 23.11.2024 को किला कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का वादी व वन रक्षक राधेश्याम हस्व तलब थाना उपस्थित हुआ। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा मो0 न0 7895373793 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुल 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोर्ग जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

112192

129

13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री राधेश्याम वन रक्षक (बीट नीमगांव, गोवर्धन) पुत्र श्रीराम नि0 गांव भैंसा थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा मो0 न0 8791315814 हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं व श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50, 1 पेड़ पापडी गोलाई 48, 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67, 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग, 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेड़पौधे उखड़े मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नटार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सती पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल

5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से घटनास्थल का निरीक्षण कराने हेतु कहा गया तो वादी तैयार है वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर आया। हस्व निशान देही वादी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अपराध स्थल परीक्षण

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

निरीक्षण घटनास्थल घटनास्थल ग्राम श्योबा में नव निर्मित रास्ता का है। घटनास्थल को चिन्ह A व B से दर्शाया गया है घटनास्थल के उत्तर दिशा में खेत हितेन्द्र पुत्र श्री बच्चु सिंह दक्षिण में गांव श्योब को रास्ता जाता है पूरव में खेत हेमन्त पुत्र खजान सिंह एवं ओमिप्रकाश पुत्र सोरन सिंह व विनोद पुत्र भगवत व कुवेद सिंह पुत्र शंकर लाल तथा वेदपाल पुत्र दिगम्बर सिंह के स्थित हैं। पूरव दिशा में सौख मथुरा रोड़ स्थित है। जिसका अक्षांश 27.4333 व देशांत 77.51572 है। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। वाद नक्शा नजरी संलग्न सीडी किया जाता है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 27/11/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 27/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
27-11-2024

Sir

Submitted Pl-

M. Singh
Sho 28.11.24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण 09/12/2024
दैनिकी तैयार करने की दिनांक):

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 15:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0
1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय
22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज
गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2)
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र
नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen



009

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौंख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र

व अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुंचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्ट बरामटगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामट लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है एक व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्द बरामदगी फर्द बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) बनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

10.12.24
JHO

Ram...si
09-12-024

सेवा में,

129

प्रभारी निरीक्षक

थाना मर्गोरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छाँकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखाड़े मिले। उखाड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकडी को साँख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहडलील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी

(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभारि मथुरा

अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन

o/c

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्याम भाग सींगापट्टी चक्रोड़ के डिग्री पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण वृक्ष
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेतोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	होंडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(शशि श्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रेंज

(कुशल पाल)
ब. र.
जोवर्धन रेंज

232

कायालय क्षेत्राय वन अधिकारा, गावधन रज
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

142
130

पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रभागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

131

131

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD4

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 30/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:20 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 19:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुंताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

CoS

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 3 दिनांक 09.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी आज मैं विवेचक थाना हाजा से खाना होकर ग्राम स्यौबा आया हूँ। जहाँ मुकदमा उपरोक्त की लकड़ी को अपनी सुपर्दीगी में लेने वाले चन्द्रभान पुत्र स्व0 भवंर सिंह को तलाश किा

तो वह अपने घर पर मौजूद मिले। जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री चन्द्रभान पुत्र स्व० भवंर सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा उम्र करीब 68 वर्ष मो० न० 9410446249 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को मैं गांव में ही मौजूद था हमारे गांव से नहर बम्बा की ओर जाने वाली चकरोड़ की नाप तोल एवं सिमांकन राजस्व टीम द्वारा किया गया था मेरे भतीजे देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा मथुरा के चक में लगे पेड़ पौधे चकरोड़ की हद में आ गये थे। क्योंकि चकरोड़ पर खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका ठेकेदार श्री चिरन्जीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह मथुरा को होने वाला था परन्तु अभी तक ठेका हुआ भी नहीं था कि हमारे गांव के पास के गांव भदार निवासी रवीन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह के साथ रहकर उनके ठेके आदि के कार्यों की देखरेख करता है ने हमारे गांव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल एवं नेत्रपाल सिंह पुत्र श्याम सिंह व सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुख्तयार सिंह एवं दिगम्बर सिंह पुत्र हरी सिंह के साथ मिलकर राजनीति की हनक दिखाते हुए बिना किसी बन विभाग की परमीशन के रवीन्द्र एवं हमारे गांव के लोगों ने मिलकर बिना ठेकेदार चिरन्जीलाल गोला की मौजूदगी में जे०सी०बी० मंगाकर चकरोड़ की हद में आये हरे भरे पेड़ पौधों को जे०सी०बी० से उखाड़कर चकरोड़ पर मिट्टी डाल दी। जिसकी सूचना मैंने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी और उसने वन विभाग से पेड़ों को उखाड़ दिये जाने के सम्बन्ध शिकायत की जिस

पर वन विभाग के वनरक्षक श्री कुशलपाल मौके पर आये और समस्त उखड़े पड़े पेड पौधों की नाप तोल कर समस्त पेड पौधों को मेरी सुपुर्दगी में देकर थाने जाकर पाँचों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया तथा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद वनरक्षक श्री कुशलपाल द्वारा अन्य छूटे हुए 14 वृक्षों की नाप तोल करने के बाद उसकी सूचना भी थाने पर दी गयी थी और वृक्षों को स्वयं लेकर गये थे मेरी सुपुर्दगी में नहीं दिया था। जो जो मेरी जानकारी में था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

तत्पश्चात मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य लोगों से जानकारी करनी चाही तो कुछ लोग गवाही से बचने की बात कहते हुए जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री वासुदेव सिंह पुत्र श्री कारे नि० स्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष मो० न० 9950422807 ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री वेदप्रकाश पुत्र महाराज सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ और न ही गांव की राजनीती में हिस्सा लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ टबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा आधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेडों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

137

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री रामगोपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र करीब 46 वर्ष मो० न० 9871815991 ने पूछने पर बताया कि साहब मैं गांव की राजनीती में हिस्सा नहीं लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एंव बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक):30/12/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 30/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
30-12-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl.

Dhirsap
SHO 31.12.24

139

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD5

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 31/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 16:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वाटी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

CoS

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 4 दिनांक 30.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुझ विवेचक द्वारा ठेकेदार चिरन्वीलाल गोला से उनके मो0 न0 8077841369 से सम्पर्क कर मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध बयान दर्ज कराने हेतु कहा गया तो वह आने को तैयार हो

गये और बताया कि मैं इस समय सौख में ही हूँ आप चाहे तो मैं आपके पास चौकी सौख पर ही आ जाता हूँ मेरे कहने पर वह चौकी पर उपस्थित आये जिनसे मुकदमा के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान ठेकेदार गवाह श्री चिरन्जीलाल पुत्र नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम थाना फरह जनपद मथुरा मो0 न0 8077841369 उम्र करीब 56 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं खरन्जा रोड़ आदि बनाने की ठेकेदारी करता हूँ ग्राम स्यौबा में मन्दिर से बम्बा नहर की ओर चकरोड दूरी करीब 700 मी0 पर ईट खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत जनपद मथुरा से स्वीकृत हुआ है यह ठेका मुझे ही दिया गया है परन्तु हम किसी भी साइड पर काम तभी करते हैं जब हमें लिखित में बनाने की परमीशन/कायदिश प्राप्त होता है यह कायदिश मुझे कार्यालय जिला पंचायत मथुरा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति में आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। साहब मेरे द्वारा चकरोड पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है क्योंकि उक्त घटना के समय तक यह क्लीयर नहीं हुआ कि उक्त कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा लेकिन मुझे पता चला कि आपसी राजनिती के चलते द्वेष भावना पूर्वक रविन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह नि0 भदार थाना मगोर्रा मथुरा द्वारा ग्राम स्यौबा के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर जबरदस्ती बिना मेरी मर्जी के चकरोड पर जे0सी0बी0 द्वारा मिट्टी डलवा दी और जे0सी0बी0 से चकरोड की साइड में आने वाले पेड़ पौधों को बिना वन विभाग के परमीशन लिये उखडवा दिये। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो यह आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है और अभी मैंने कोई कार्य शुरू भी नहीं कराया है। मैं आदेश की कपी दे रहा हूँ। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल कायदेश कार्यालय जिला पंचायत मथुरा पत्रांक 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12/12/24 श्री चिरंजीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम जिला मथुरा। इस कार्यालय के पत्रांक 905/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण जितके काम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। आप द्वारा किए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए पचन राज्य विल्ट आयोन योजनान्तर्गत वर्ष 202425 में प्राप्त आवंटित धनराशि के स ऑनलाईन ईनिविदा के अन्तर्गत विख मोबर्धन के ग्राम पंचायत सींगापट्टी के ग्राम श्यौबा में मन्दिर बम्बा की और ईट खरंजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ईनिविदा की धनराशि रू0 23,36.127.26 40 शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रू0 छब्बीस पै0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्ती अनुसार कायदेश जारी होने के दिनोंक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दश में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अवर अभियंता की देखरेख मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के अमांगत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उ0प्र0 क्षेत्र समिति / जिल पंचायत निर्माण नियमावली 1964 के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय पर जारी दिशानिर्देशों में विहित आविधानों के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से कटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध हेतु सक्षम स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आर पारितोषिक/छूट को थोन्य नहीं होगा। साथ ही कार्य में प्रयुक्त

सामिग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन ब्रिट कोर सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एमएम11 पृथक 2 रूप से समयान्तर्गत भुगतान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके भुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तदुसार सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। पृष्ठकिन: 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12.12.24 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1. नाथ अध्यक्ष, जिला पंचायतमथुरा। 2. अभियनका जिला पंचायत मथुरा की तदुसार अनुपालनार्थ। 3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त की दृष्टिमत निर्धारित अवधि में देवबंदार से समन्वय स्थापित कर मानक तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण कराकर ससमय भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। 12.12.2024

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 31/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत


5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commated By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
----------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 31/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):




Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.



कार्यादेश

पत्रांक: 953 / निर्माण अनु० / 2024-25

दिनांक: 12/12/24

श्री विरजीलाल गोला पुत्र श्री नेगीचन्द
नि०- मुस्ताफाबाद, परखम,
जिला- मथुरा ।

इस कार्यालय के पत्रांक: 905 / निर्माण अनु० / 2024-25 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण कर जिसके क्रम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है । आप द्वारा किए गए अनुमान / शर्तों के अधीन रहते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्राप्त / आवंटित धनराशि के सामान्य ऑनलाईन ई-निविदा के अन्तर्गत वि०ख० मोर्चन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यांबा में मन्दिर से नम्बा की और ईट खरजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ई-निविदा की धनराशि रु० 23,36,127.26 पी० (शब्दों में तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रु० छब्बीस पी०) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्तों के अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनांक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की देख-रेख, मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य का फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त क्षेत्र समिति / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से जफती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिवन्ध हेतु स्वयं स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही को विरुद्ध आप वार्षिक/छूट के योग्य नहीं होंगे। साथ ही कार्य में प्रयुक्त सामग्री (स्टीन बैलास्ट, स्टीन गिट, कोर-सेण्ड, फाईन सेण्ड) आदि के एम०एम०-11 पृथक-2 रूप से समयान्तर्गत मुगतान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सासनादेशानुसार आपके मुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । तदनुसार सम्पूर्ण तथ्यों का सञ्ज्ञान लेते हुए प्रस्तुत कार्य सन्पादित करवा जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

दिनांक: 12/12/24

पत्रांक: 753 / निर्माण अनु० / 2024-25

प्रतिलिपि निर्मेलेखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मात अध्यक्ष, जिला पंचायत-मथुरा ।
2. अभियन्ता जिला पंचायत, मथुरा का तदनुसार अनुपालनार्थ ।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत-मथुरा को इस आदेश के साथ वि उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित अवधि में ठेकेदार से सन्न्ध्य स्थापित कर मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण करवाकर उपरोक्त मुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD6

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 02/01/2025

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 09:40 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 12:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताबिक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

3007

5

004

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 5 दिनांक 31.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त की विवेचात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में मुझ विवेचक को उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौखिक आदेशित कर मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर मुकदमा

उपरोक्त के नामित अभियुक्तगण (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा हस्व तलबिदा थाना हाजा पर उपस्थित हुए। मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे साहब हमें इस मुकदमे की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सजा का प्रावधान 07 वर्ष से कम है। अभियुक्तगण उपरोक्त विवेचना में सहयोग कर रहे है तथा हस्वइंदुल तलब समय से पुलिस व अदालत के समक्ष पेश होंगे। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस में निहित प्रावधानो से अवगत कराते हुये बयान अंकित करते हुये नोटिस तामील कराये गये। तामील शुदा नोटिस सलग केश डायरी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम भदार थाना मगोर्ग जिला मथुरा उम्र करीब 43 वर्ष मो0 न0 9568917071, 9639908116 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

.बयान अभियुक्त सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्तयार सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 58 वर्ष मो0 न0 9720463643 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो0 न0 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।..... पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो0 न0 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 50 वर्ष मो0 न0 8393937580 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station (पुलिस स्टेशन) :****Country (देश) :****f) Description (विवरण) :**

बयान अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 37 वर्ष मो० न० 9760902816 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा।

S.No.(क्र.सं.) 8**a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name (गवाह का नाम) :****c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :****d) Age (उम्र) :****e) Address (पता) :**

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

इसके उपरान्त मुकदमा उपरोक्त के नामित अभिगणों को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराकर एवं बयान दर्ज कर थाना हाजा से सादर रूखसत किया गया ।

S.No.(क्र.सं.) 9**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सभी विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है । घटना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है ।

S.No.(क्र.सं.) 10

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अंतिम प्रतिवेदन/आरोप पत्र

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहझील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामटगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 02/01/2025

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। विवेचना समाप्त।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत


5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 02/01/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):




Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.



पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन निरीक्षण प्राप्ति 1976 दिनांक 22-11-024
 थाना मन्डोरी रो0आम संख्या व समय 056-22-19 वन थाना मन्डोरी जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता रविन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/प्रत्नी पद्मिनी निवासी
 ग्राम/मोहल्ला मन्डोरी थाना मन्डोरी जनपद मथुरा
 मो0न0 9568917071 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मन्डोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024 धारा 4/10 वन निरीक्षण प्राप्ति के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/25 को समय 09:00-11:00 अपराह्न /पूर्वाह्न थाना/कार्यालय मन्डोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रीया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/25 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/25 समय 09:00-11:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती शापन/प्रस्तुति शापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जप्त कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

रविन्द्र सिंह

R Singh

9568917071

Ravi Singh
 02/11/25
 रविन्द्र सिंह
 थाना मन्डोरी
 मथुरा

(157)

भारत सरकार
Government of India

श्री रविन्द्र
Shri Ravindra
जन्म तिथि / DOB : 11/03/1981
पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: S/O: प्रेम सिंह, भादर, सोन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
Address: S/O: Prem Singh, Bhadar, Son, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947
300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

RSingh

9568917071

9639908116

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन निरक्षण शा. दिनांक 22-11-2024
 थाना भगोरा रो0आम संख्या व समय 56-22-1976 थाना भगोरा जनपद
 प्रयाग नाम अभियुक्त/अभियुक्ता नेजाम सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्याम लाल निवासी
 ग्राम/मोहल्ला चोटा विगा पट्टा थाना भगोरा जनपद भगोरा
 मो0न0 9393937590 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 वन निरक्षण शा. के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये व्यक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 9:00 के लिये अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निर्शांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिचओ द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारधासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 21/10/25 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 21/10/25 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रभाव करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

नेजाम सिंह
 NB

8393937580

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
 21/10/25

रविशंकर सिंह

थाना - भगोरा
 भगोरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1/24 अन्तर्गत धारा 4/10 वन 1/1/2023 को दिनांक 22-11-2024
 थाना मंगोरी रो0आम संख्या व समय 057/20/19 थाना मंगोरी जनपद
 मयुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता एतकी खरीदारी पुत्र/पुत्री/पत्नी सुधर प्रसाद निवासी
 ग्राम/मोहल्ला (श्रीवा सिंग पट्टी) थाना मंगोरी जनपद मयुरा
 मो0न0 9720468643 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको
 सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मंगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1/24 दिनांक 22-11-2024
 धारा 4/10 वन 1/1/2023 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो
 और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया
 जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 22/11/2025 को समय 9:00 तक अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय
 मंगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व
 निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

- क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
 - ख- आप मामले में साक्ष्यो के साथ किसी तरह का छेडछाड नहीं करेंगे।
 - ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यो का खुलासा करने से
 रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।
 - घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
 - ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।
 - च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी
 तथ्यो का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
 - छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रिया प्रस्तुत करेंगे।
 - ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
 - झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित
 नहीं देंगे।
 - ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यो के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
- इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा
 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2024 के
 अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/2024 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे
 गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा
 प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस
 प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान
 प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

मंगोरी उर्फ मंगोरी

9720 46 86 43

Ram 51
 02/11/25
 विवेचक के हस्ताक्षर
 थाना - मंगोरी
 मयुरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 UP ग्राहक पत्रिका दिनांक 22/11/2024
 थाना मगोरा रो0आम संख्या व समय 056-22:10:44 थाना मगोरा जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता मदन कुमार प्रसाद पुत्र/पुत्री/पत्नी नेत्रिका निवासी
 ग्राम/मोहल्ला 6396857795 थाना मगोरा जनपद मथुरा
 मो0न0 6396857795 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/01/2025 को समय 9:45 अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय मगोरा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिपचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/01/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 01/01/2025 समय 9:45 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जल्दी ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जम्मा कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

मुकुन्द प्रसाद

6396857795

विवेचक के हस्ताक्षर

Ravi S.

रवि कुमार

थाना मगोरा
मथुरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं00341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम 1976 दिनांक 22-11-024
 थाना मगोरी रो0आम संख्या व समय 056-23/11/024 थाना मगोरी जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता डि.ए.ए. सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी डी.ए. सिंह निवासी
 ग्राम/मोहल्ला खोवा खिगा परी थाना मगोरी जनपद मथुरा
 मो0न0 9760902816 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2024 को समय 9 (नौ) बजे अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय मगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
 यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निर्मांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/पैसिफिकों द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2024 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/2024 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।


यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

9760902816

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
02-11-2024
विवेचक सिंह
थाना - मगोरी
मथुरा



जे. रा. पाल सिंह


NP
83 93 93 75 80

156





 दिगम्बर सिंह
 Digamvar Singh
 जन्म तिथि / DOB: 06/08/1987
 पुरुष / Male
 आधार - आम आदमी का अधिकार




 आधार
 पता:
 आत्मज: हरी सिंह, गांव नमला
 स्यावा, सोनख देहात, मथुरा, सोनख,
 उत्तर प्रदेश, 281123
 Address:
 S/O: Hari Singh, Gaon Nagala
 Syauva, Sonkh Dehat, Mathura,
 Sonkh, Uttar Pradesh, 281123
 1947
 1800 300 1947
 help@uidai.gov.in
 www.uidai.gov.in

दिगम्बर सिंह
 9760 902016

167 165

पुष्पराज सिंह
Pushpraj Singh
जन्म तिथि / DOB: 20/03/2001
पुरुष / Male

मेरा आधार, मेरी पहचान

पुष्पराज

6396857795

नेत्रपाल सिंह
Netrapal Singh
पता: आत्मज: नेत्रपाल सिंह, स्योबा, सिंग पट्टी, सोनख, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
Address: S/O: Netrapal Singh, syoba, Singa Pattil, Sonkh, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : जे0एम0 प्रथम महोदय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

Year(वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0341

Date(दिनांक): 22/11/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 02/01/2025

4. S.No. Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4

2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet

मूल

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet Ravindra Kumar Yadav
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):972140517
9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name(रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

168

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गाँव भदार , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाँव भदार , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):



Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रक

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): मुख्त्यार सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1967

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name नेत्रपाल

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1975

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): नेत्रपाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name दिगम्बर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): हरी सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

176

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

169 177

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए

जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मोबा नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	कुशलपाल वनसंरक्षक/ 7595373793		1979		वर्तमान पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

(178)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

2	श्री राधेश्याम वन रक्षक / 8791315814	पिता: श्रीराम			वर्तमान पता: वन संरक्षक गोवर्धन ,गांव भैंसा ,रिफाइनरी, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: वन संरक्षक गोवर्धन ,गांव भैंसा ,रिफाइनरी, मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
3	श्री चन्द्रभान / 9410446249	पिता: स्व० भवंर सिंह	1957		वर्तमान पता: ग्राम स्यौबा , मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम स्यौबा , मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
4	श्री वासुदेव सिंह / 9950422807	पिता: श्री कारे	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा ,मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा ,मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
5	श्री वेदप्रकाश / 9871815991	पिता: महाराज सिंह	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा ,मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा ,मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
6	श्री रामगोपाल / 9871815991	पिता: श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1979		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा ,मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा ,मगोर्वा,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
7	श्री चिरन्जीलाल / 8077841369	पिता: नेमीचन्द्र	1969		वर्तमान पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह ,फरह,मथुरा, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह ,फरह,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
8	हे०का० 1550 गिरजेश कुमार पी०एन०ओ० न० 062241410 / 9411020191	पिता: श्री लज्जा राम			वर्तमान पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज ,फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज ,फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी
9	उ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह पी०एन०ओ० न० 972140517 / 9412563927	पिता: श्री राम कुमार सिंह			वर्तमान पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा ,ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर ,कटघर,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा ,ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर ,कटघर,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्ष्य

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्वा) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

17.Refer Notice served नहीं

Date(दिनांक):

(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed(संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं। चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail

(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age / मफरर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सजा) :

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.L.F.-V (एकीकृत जांच कार्य -V)

Ram
02.01.025

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जांच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No. 972140517
पीएनओ/सीयूजी सं:

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा असेंबित)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)


PNO/CUG No. 9454403945
पीएनओ/सीयूजी सं:

To
ce

A
31/1/25

CO9

राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम राज्य प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुलान में कार्यालय प्रभागीय निदेशक के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को उक्त प्रकरण में जब्त किये गये प्रकाष्ठ के निरीक्षण के फोटोग्राफ्स -



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 4612/35-3 मथुरा, दिनांक 11/04/2025.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

- विषय :- ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे विभिन्न प्रजाति के 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों को अवैध रूप से काटे जाने पर दोषियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्यादि।


उपरोक्त विषयगत पत्र के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 व दिनांक 08.12.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों का पातन किया गया है। जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याची श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा मूल आवेदन सं0-1400/2024 दाखिल की गयी है। उक्त मूल आवेदन में याची द्वारा आपको भी प्रतिवादी सं0-2 बनाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय क्षति के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित।

- 1-प्रतिलिपि-वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

दिनांक 15/10/2024-25

1277

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...
उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधि. 1976 की अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. दिनांक 21/11/2024 अधिक्षेत्र राजि. गोरखपुर

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौख तहसील - जोवर्धन थाना मर्गीरा जिला मधुरा

2. साक्षी का नाम

2. सतवीर उर्फ सली 510 मुख्तयार
3. नेत्रपाल 510 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
4. पुष्पेन्द्र 510 नेत्रपाल
5. दिगम्बर 410 हरी

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

G.P.S. N - 27°40'50.6"
E - 77°51'86.53"

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

गवाह (राधेश्याम) व.र.

महोदय,
निवेदन के साथ अंगगत कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को अर्धीलय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरझड़ के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 AM को पहुँचे तो देखा कि चक्रोड़ के डिगरे पर 9 पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत खी गयी थी 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यु. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्छिन जो 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीत्र, 22 पौधे कर्तैदा (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।
अर्धीलय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरझड़ के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 AM को पहुँचे तो देखा कि चक्रोड़ के डिगरे पर 9 पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत खी गयी थी 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यु. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्छिन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 22 पौधे कर्तैदा (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।
मौठे पर बनावी गयी। जो संलग्न है करामत लडकी को चन्द्रबान तहसील - जोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मधुरा की छुट्टी में ही उखाड़ना।
कि उम्त पेड़ों की कौलम न.। में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखड़े जाये गये हैं। उम्त व्यक्तियों द्वारा उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के तहत अपराध किया है।
अतः रिपोर्ट प्रेषित की सेवा में सादर प्रेषित है।

उपरोक्त निदेशक सा. वा. वन प्रभाग मधुरा उम्त केस की प्रथम पेशी अधिकाारी नामित से हेतु सादर प्रेषित है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी जोवर्धन रेंज, मधुरा

15/11/2024
2/11/2024
जिला अधिकाारी, मधुरा
संलग्न

(कुशलपाल) व.र.

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 बजे घटना स्थल श्रीगोला जमना सीतापुर

पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्योरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी०	अप्रिडिक्शि	
1-	नीम	140 - सेमी०	सम्पूर्ण चेड	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	0 से 1 व्यास वर्ग
5-	शद्वरत	60 - "	"	नीवू-27-चेड
6-	पापूलर	70 - "	"	करोँदा-22-चेड
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	37 - "	"	जालोनी लकड़ी
10-	"	65 - "	"	वजन लगभग
11-	जाड़न	50 - "	"	90.125
12-	नीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शद्वरत	70 - "	"	
15-	पापडी	48 - "	"	
16-	पापूलर	62 - "	"	
17-	शद्वरत	44 - "	"	
18-	नीम	53 - "	"	
19-	जालोनी लोरा	35 - "	"	
20-	नीम	70 - "	"	
21-	"	73 - "	"	
22-	अर्जुन	77 - "	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जालोनी लोरा	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	"	
25-	"	60 - "	"	
26-	"	67 - "	"	
27-	नीम	127 - "	"	

राजेश शर्मा
व-२

बुधशंकर पांडे
वन रक्षक

रजिस्ट्रेशन संख्या- 17/गोवर्धन/2024-25

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ.प्र. प्रजम संरक्षण अधि. अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 08/12/24 अधिकेत्र राजि गोवर्धन

1976 की धारा 4-10 1. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीर जिला - मथुरा

2. सतवीर उर्फ सली शं० मुख्तार

3. नेत्रपाल शं० श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

4. पुष्पेन्द्र शं० नेत्रपाल

5. दिगम्बर शं० हरी सिंह निवासीगब- ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

2- साक्षी का नाम लगभग 3 या 4 दिन पूर्व ग्राम श्योबा, भाग सीगापट्टी

3- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक चकरोड़ के डिनारे 8 पेड़ नीम जो. 106, 78, 108, 105, 98

4- मूल्य 155, 120, 125, 3 पेड़ पापड़ी जो. 122, 100, 140, तथा 2

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध पेड़ जूलीप्लोरा जो. 68, 80, 1 पेड़ हॉटर जो. 92 से. श्री

में विशेष कथन कुल 14 पेड़ों के बिना अनुमति के उ.प्र. मशीन द्वारा उखाड़ा

G.P.S. N-27.4050 43 E-77.51866

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख मद्योदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08/12/24

जो समय लगभग 08:00 AM बजे मुख्तार खास के द्वारा सूचना प्राप्त

हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड़ के डिनारे बम्बा की

तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल में हमराह

श्री राधेश्याम बनरसुड के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे।

तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ

कुछ पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नफत की गयी जो अंलम नम्बर

3 में दर्ज है। उम्त पेड़ों की फर्दि करामद्गी मोंके पर बनायी

गयी जो संलग्न है। तथा करामद् लड्डी जो सौंख छोटी

नसीरी पर रखवाया गया है। आस पास इन्हे पर शात हुआ

कि उम्त पेड़ों की अंलम नं० 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा

उ.प्र. मशीन द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़े गये

गये हैं। उम्त व्यक्तियों के द्वारा उ.प्र. प्रजम संरक्षण अधि.

1976 की धारा 4-10 का उल्लंघन तथा मा. सौंख च्या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 08/05/2015

की अवमानना के तहत अपराध किया है

अतः रिपोर्ट मद्योदय की सेवा में भेजा है

(कुशलपाल) व.र.

श्री राधेश्याम बनरसुड

Handwritten signature and date 08/12/24

गवाह: राधेश्याम बनरसुड

सेवा में प्र.नि. मद्योदय मथुरा मद्योदय, उम्त डेख की उपम्र प्रति पॉन अधिगती नामित इन्हे हेतु साफर भेजित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

Handwritten signature and date 08/12/24

Handwritten signature and date 08/12/24

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योका भाग सीजापट्टी चक्रोड के डिग्री पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	पजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण प्रकाष्ठ
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट: - लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(राधेश्याम)
वनरक्षक
गोवर्धन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुरालपाल)
क. रं.
गोवर्धन रंज

11/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4406 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना: मथुरा
मथुरा।

विषय :-

वन अपराध 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/24-के शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित अलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र - 1

2-मूल एच-2 केस संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 सम्बन्धित संलग्नकों सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र - 1

4-चकालतनाम - 1

5-नजरीनक्सा - 1

6-मुल्लिमामन को दिये गये नोटिस की प्रतियों।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4406 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपराजिक को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय, न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मधुरा

17/जुलै/2024-25

अभियोग सं० १७/प्रभाग २०२४-२५

(१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पता कुशलपाल सिंह बनेरज

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम श्वेत डी० प्रेमसिंह निवासी ग्राम अदर

(२) नाम सतवीर डके सती पुत्र मुख्तार नि० ग्राम श्योवा भाग सीतापट्टी

(३) नाम नेमपाल पुत्र श्याम सिंह नि० ग्राम श्रीवा भाग सीतापट्टी

(४) नाम पुरुषोत्तम डी० नेमपाल निवासी ग्राम श्योवा भाग सीतापट्टी

(५) नाम दिगंबर डी० हरीसिंह निवासी ग्राम श्योवा भाग सीतापट्टी

निवास ग्राम अदर श्योवा बाकवाना सिख

थाना मगरी जिला मधुरा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि ०४/१२/२०२४

(२) समय ४:०० AM

(३) स्थान :- (क) राजि श्रीवा सीतापट्टी जिला सिख महामण्डल जीवहर

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की क्षति की गई :-

नाजायज चरान/कटाना जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(२) वन क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं मोटाई (से० मी० में)

(ग) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

(घ) उ० प्र० पर्वतीय एवं पामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन / राजस्व की शोरी का विवरण :- 8 पेड़ सीमा क्षेत्र- 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125
 3 पेड़ चापडी गा० - 122, 100, 140 तथा 2 पेड़ मूलो मूलोय गा० - 68, 80
 तथा 2 पेड़ हाकिर गा० - 32 समा कुल 14 पेड़ क्षेत्र
 अनुमति के अभाव में

(ङ) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1956 की धारा 103 का उल्लंघन/राजस्व की शोरी :-

- (३) वन क्षति का अनुमानित मूल्य आयतन - 7.926 घर्मी
 (४) साक्षियों का नाम व पता :- मुख्य - 43,500/2
 (१) श्री वाधैराम कर्कराव जीवधन रण
 (२) नाम पुत्र
 (३) नाम पुत्र
 (४) नाम पुत्र

निवास ग्राम बाकवाना
 जिला

- (६) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दण्डनीय है :-
 (१) दण्ड की धारा 26 एवं 33
 (२) उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 एवं मा० सर्वोच्च आम्बलस द्वारा 112 क्षेत्र में दिए गये प्रावधानों की अवमानना।
 (३) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1956 की धारा 113-117
 (४) नाजायज षोट से वेदखल करने के आवेग की धारा 11-ए

(७) अधिमापना
 अतः याचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक ६ के (2) अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाय एवं नाजायज षोट से वेदखल किया जाय।

प्रमाणित
 राक्षिनाधिकारी
 क्षेत्रीय वन विभाग
 वेदखल

सिद्धावतकर्ता
 प्रभागीय विवेकांक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा
 प्रभागीय निदेशक
 माधविका प्रभाग
 मधुरा

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान जजपर मुख्य प्राथिक मजिस्ट्रेट उद्यम मधुवा
 थाना मऊरी जिला मधुवा इ. प्र. वन संरक्षण अधिनियम 1916 की धारा 4/10
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 41-ए, 42, 43, 44 और 45 के अन्तर्गत
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुवा

श्रीमान्

निवेदन है कि प्राचीन अभियोगी जन-सेवक होने के नाते वनपद के राजकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त
 रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्राचीन असमर्थ रहेगा। इसलिये प्राचीन को खोर से
 श्री सतीश चन्द्र वाणीय एडवोकेट, पेनल लायर (न्यायिका अभिभावक) वन विद उपराजिष्क पेशी करेगे

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्राचीन को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की
 कृपा की जावे।

प्राचीन

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुवा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुवा

40

सफलतामात्र

अध्यास श्रीमान् अपर मुख्य प्राधिक मजिस्ट्रेट प्रथम, मधुप।

क्र. मुकदमा 17/गौरीबाग 2024-25
77/प्रजागा 2024-25

सय १९ नं०
प्राप्त
डी.एफ.डी. अपील
गाम मधुप
श्री. ए. डी. प्रेमिन्द्र प्रसाद
अ अन्य रिजपाकेट

मैं कि डी.एफ.डी. को कि हमको मधुप करमा इस मुकदमे में भागवपक है इसलिये अपनी ओर से श्री सतीश चन्द्र राठौरिय एडवोकेट

अवगत कातुनी महनवामे पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से संबुल वाचिल करे और प्रमोत्तर करे और आपना प्रम अत्येक प्रकार का और अन्य कार्यज इस मुकदमा के सम्बन्ध में सञ्चाल पंथागत वाचिल न तस्दीक करे या वाचवापा या सुवहनामा या दस्तबख्तारी शखिल करे और अपना यापतानी हमारा वाचतलर नरुव व बापसी स्टाप्स कोटे फौज व तलवामा वगैरह वसूल करके रचीद दें या अपनी प्वातिय से किसी को पंच मुकदमे करे और कुल काम मुकदमे का एकमिल या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करे या आवश्यकता पत्र किसी को इस मुकदमे की पुरखी के वास्ते वकील नियत करे या अपील दाखर करे स्वाह अपील से भेरी धरफ से खवाब देही करे सब वकील का कार्य हमने अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और होगा नीच मुकनाय साहोबात को इकितयार हुआ कि अगर महनवामा तयापता हुस्ब बायदह उनको वसूल न हो तो वह परबी व बहुल बगैरह न करे इसलिये यह वकालतनामा सिब दिया कि सनद हुंवे और वाचश्यकता के समय काम आवे फन्त रहुरीर।

तारीख.....सय १९ नं०

गवाह.....तारीख

गवाह.....तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुप

नाम फरीकन खन्दाई

नाम मुकदमा इस्तवाई

नाम अवागत इस्तवाई

(41)

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी इस प्रकरण में सर्वप्रथम पूर्व में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.24 की जाँच में दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ता तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड व कुछ झाडीनुमा पौधे जड से उखडे हुये पडे हैं। मौके पर उखडे पडे पेडों व झाडियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड पीपल 1 पेड सहतूत 2 पेड पापूलर 6 पेड, जामुन 1 पेड, शीशम 1 पेड पापडी 1 पेड, अर्जुन 1 पेड व प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के 5 पेड तथा नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे उखडे पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड व नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड सहित उखाडे गये हैं। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेडों को व झाडीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखडवाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हए और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह, रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्ता पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्ता व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की वृद्धि अपने बयानों में की है। प्रकरण ने बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक

08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड, 3 पेड पापडी, 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा व 1 पेड छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड से उखडवा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा थाना मगोर्रा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाडे गये पेडों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाडे जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड नीम, 3 पेड पापडी 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा (काबली बबूल) व 1 पेड छौंकर कुल 14 पेड को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्रा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्रा के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेडों की सिनाख्त करने सौख कोटी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाडे गये पेडों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेडों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिट्टी डालते समय कुछ पेड जे0सी0बी0 मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये! तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्रा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड 27 व 14 कुल 41 पेड तथा नीबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब

सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाडीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रमारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अगिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाडीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

आदेशित अधिकारी वन अधिसूची गोवर्धन रेंज।
पदाधिकारी/35-1/गोवर्धन, दिनांक 14/03/2025

सेवा में
उपप्रार्थी प्रिन्सिपल
सा.वा. वन प्रभाग
मथुरा।

@mar 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा
जाँच अधिकारी

महोदय,
उपरोक्त न० 17 के वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/24-25 की जाँच की अमन चौधरी
वनदरोगा से कियी गयी उन्ही जाँच से सन्तुष्ट होकर केस को माननीय न्यायालय
में प्रेषित की संस्तुति सहित आपका प्रेषित है।
माननीय न्यायालय के अंतर्गत श्री जे.ए.ए. के अंतर्गत है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन जे.

44

राजिवाद सं० १३/१०/२०२४-२५

आगीय वाद सं० २७/७/२०२४-२५

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ.प्र. वन संरक्षण अधि. अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक ०८/१२/२४ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

१९७६ की धारा ४/१० १. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीत जिला - मथुरा

२. सतवीर उर्फ सती शं० मुख्तार

३. नेत्रपाल शं० श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

४. पुष्पेन्द्र शं० नेत्रपाल

५. दिगंबर शं० हरी सिंह निवासी गब-ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

२- साक्षी का नाम

श्री राधेश्याम वनरक्षक

३- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक लगभग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम शोबा, भाग सीगापट्टी चकरोड़ के किनारे ८ पेड़ नीम जो. १०६, १०८, १०९, ११०

४- मूल्य १५९, १२०, १२५, ३ पेड़ पापड़ी जो. १२२, १००, १४०, तथा २

५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध पेड़ ज्यूलीफ्लोरा जो. ६८, ८०, १ पेड़ हॉन्डर जो. १२ से. मी. कुल १५ पेड़ों के बिना अनुमति के ज.स. मशीन द्वारा उखाड़े

में विशेष कथन G.P.S. N-२७.४०५०४३ E-७७.५१८६६

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक ०८/१२/२४

को समय लगभग ०८:०० AM बजे मुख्तार खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी चकरोड़ के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पहुँचे।

तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गिने जिनकी नफ्त की गयी जो ड्रॉलम नम्बर ३ में दर्ज है। उक्त पेड़ों की जड़ें बरामदगी मोड़ पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी के सौंख कोठी नर्सरी पर रखवाया गया है। आस पास रहने पर शक हुआ कि उक्त पेड़ों की ड्रॉलम नं. १ में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा ज.स. मशीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़े गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उ.प्र. वन संरक्षण अधि. १९७६ की धारा ४/१० का उल्लंघन तथा प्रा. सर्वोच्च न्या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक ०८/०५/२०१५ की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः सिनेट महोदय की सेवा में उचित है।

गवाह:- (राधेश्याम) वनरक्षक

सेवा में, प्र.नि. महोदय मथुरा। महोदय, उम्त डेस की उच्च प्रति पाँच अधिकारी नामित करने हेतु साफर उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

(नेत्रपाल) व.र.

45

राजिवाद सं० १३/११/२०२५-२५

1151

प्रभागीय वाद सं०.....

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०..... दिनांक ०८/११/२५ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

- १- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 १. रिचार्ज ९१० केमसिंह नि. ग्राम भदर नि. सोंख
 २. नरसीर उर्फ सती ९१० मुकात्तार
 ३. नरपाल ९१० श्याम सिंह उर्फ मुन्नाय सिंह
 ४. पुष्पिंद्र ९१० नरपाल
 ५. रिचार्ज ९१० हरी सिंह निवा बीजल - ग्राम शमोवा भाग सींगपट्टी नि. सोंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

- २- साक्षी का नाम
- ३- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
 लगभग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम शमोवा, भाग सींगपट्टी चकराड़ के किनारे ४ पेड़ नीम जी. १०६, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ३ पेड़ जापड़ी जी. १२२, १००, ११०, तथा २ पेड़ जमुनीपट्टी जी. ६८, ८०. पेड़ होंकर जी. १२ से. मी. कुल १५ पेड़ों के बिना अनुमाने के ज. ६. ८. मन्गीन द्वारा कटवना
- ४- मूल्य
 ७.०.५. N-27.405043
 E. 71.518662
- ५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
 १७/११/२५
 १७/११/२५
 १७/११/२५


६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख महोदय, निवेदन के साथ संलग्न कराया है कि आम दिनांक ०८/११/२५ को लगभग ०८:०० AM बजे मुखविर खण्ड के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शमोवा भाग सींगपट्टी चकराड़ के किनारे जम्वा की तलाश कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल में हमराह वहाँ बहिन श्याम उरफ सती के साथ ग्राम शमोवा भाग सींगपट्टी पहुँचे। वहाँ पता कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के आतिरिक्त बम्बा की तरह कुछ पेड़ उखाड़े गिने जिन्दी नपत की गयी जो कुल नम्बर ३ से दत्त हैं। उक्त पेड़ों के पूर्व बरामदगी होने पर क्वाली गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी के बॉक को भी नर्सरी पर रखवाया गया है। साथ फास उद्योग पर बात हुआ कि उक्त पेड़ों को कुल नम्बर ३ से पूर्व ग्राहकों के द्वारा ज. ६. ८. मन्गीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़े गये गिने हैं। उक्त व्यवस्था के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि. १९७६ की धारा ४।१० का उल्लंघन तथा प्रा. वन सं. ध. द्वारा T.T. Z. क्षेत्र में दिमि गये आदेश दिनांक ०८/०५/२०१५ को अचमानना के तहत अपराध ठिथा है।


गवाह:-
 (राशि श्याम)
 व-र.
 सेवा में,
 उ. प्र. मन्त्री
 मथुरा
 महोदय,
 उम्त डेस की
 डिप्टी एडि प्रभागीय
 नम्बर आवंटित ०२९
 ठेठ साफर उचित है।
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 गोवर्धन रेंज, मथुरा

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।
 (कुशल पान)
 व-र.

मजरी नक्सा धरमा नं. 2 दिनांक 08/12/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/जोवधन/2024-25
 सहदर्ज F.I.R. सं. 0341/2024 दिनांक 22/11/2024



धरना स्थल - ग्राम शमोला भाग सींगा पर्ये तटलीक गोवर्धन खसरा संख्या 698 क चक्रको
14 पैडोका अवैधकरण



संकेत - धरना स्थल जहाँ पैड व झाडी नुमा पोचे उखाडे गये है को A-B
 व x x x x से दर्शाया गया है।

गवाह

(सुशान्ताका सिंह व.र.)
 वन वीर मगोर
 रेंज जोवधन

मजरी नक्सा भौका धरना स्थल निरीक्षण दिनांक 26/11/25
 को मेरे द्वारा बनाया गया।

अमर

अमर-चौधरी वन दरोगा
 वन अनुभाग चौमुडा, जोवधन

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



रेजि. नं. 17/300/2024-25

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 AM को

व मुकाम ...

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ... में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आयेँ दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@man
अमन चौधरी
जुभाण अधिकारी
सेक्सन-3
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



दि. ग्राम 2 फोला भाग सीगां परदे
पो. सोंज, तह-जोवरिन, मधुवा

रेजि. नं. 17/300/2024-25

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 AM को

व मुकाम ...

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ... में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आयेँ दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@man
अमन चौधरी
जुभाण अधिकारी
सेक्सन-3
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन विभाग, जयपुर, राजस्थान
जि० नं० १७/२०२५-२५

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक ०३/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० बजे

व मुकाम ...

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३-५-ब्रैंड एक्टिंग आदि में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

फारेस्ट आफिसर

@man

अमन चौधरी

अभियुक्त अधिकारी

सेक्सन-३, जयपुर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन विभाग, जयपुर, राजस्थान
जि० नं० १७/२०२५-२५

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक ०३/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० बजे

व मुकाम ...

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३-५-ब्रैंड एक्टिंग आदि में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

फारेस्ट आफिसर

@man

अमन चौधरी

अभियुक्त अधिकारी

सेक्सन-३, जयपुर

(49)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... रतें ... 5/10 ... जेमा/सिंह ... लि. ... शाही ... बरकर ... गी० सोखी



तहसिल ... गी० सोखी ... जिला - मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

रैम डेस नं० 17/जो०/2024-25

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/10/2025 व समय 11:00 बजे ...
 कामो लय डोगाम वन अधिकारी जेमा/सिंह रैम, जगतपुरा रोड राष्ट्रीय इंटर
 व मुकाम ... जेमा/सिंह रैम, जगतपुरा रोड राष्ट्रीय इंटर

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 30-31 व संरक्षण अधिनियम 1976 में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा

@nar
 अमन चौधरी
 सेक्शन - जेमा/सिंह
 फॉरेस्ट आफिसर

50

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रु. प्र. प्र. प्र.
उ. प्र.
19/03/25
12/03/25

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

लयात

51

मेरी क्षमा पुकारा यहां पडुचने पर फिर 112 को काफ
 कर कर के गुमवाया गया था जब तक की मांग बहुत
 थी संख्या में पंडो को उखाड चुके थे
 112 नं० क्षमा उनसे रिक्लाक माई मापवाही नहीं की
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी
 दूसरे दिन वन विभाग के सचिवालय में पट पडुचे
 तो सिविल सिप्लिट मांगो के रिक्लाक वन विभाग द्वारा
 पंडो की पुची बनाने कर मापवाही की गयी है
 अर्थात् जो मांग पंडो को उखाड बा रहे फिलहाल से जानरा था
 उनसे माप सिविल सिप्लिट

- 1 - सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्तयारी निवासी 2 थोका
- 2 - नंगपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुमाथ सिंह 2 थोका
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र नंगपाल उर्फ 2 थोका
- 4 - दिगम्बर पुत्र हीर सिंह उर्फ 2 थोका
- 5 - बालवीर उर्फ रीशु पुत्र रामचन्द्र उर्फ 2 थोका
- 6 - बंदुप्रसाद पुत्र दिगम्बर उर्फ 2 थोका

अथ 15-20 लाखों के लाखों में पर
 मिले थे.

19/03/2025

देवेंद्र मीशरा SP श्री वन विभाग
 निवासी 2 थोका नंगपाल
 Mob - 9837049037

वधान

①

मे इन्डिया सोसायटी इंग्लीश लैंग्वेज विद्यालय का प्रशासक
 लीगा पक्षी तदानी गौवर्धन मजदूर का पुत्र विद्यालय
 प्रायः नौदिस के आधार पर में आज दिनांक 19/3/25 को
 वक्त विभाग मयालय गौवर्धन पर उपस्थित हुआ।
 मे वधान करता हूँ कि मेरी विनी लुणी गौवर्धन
 है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले जमीनी ल्याबू
 की गमी बहुत बड़ा वगीचा मेरे द्वारा वहाँ विभिन्न प्रकार के
 फलदार / धानदार वृक्ष लगाये गये थे सभी पेड़ फल व धानदार
 के बहुत पक्षी इन पर विवास करते थे सभी में धोलने के
 डूले के पचावराण बहुत अच्छा बना हुआ था।

मगर गौवर्धन कुछ मोगीरीये शायद अच्छा न लग रहा हो
 व लुणी गौवर्धन विन्न लिमिटेड मोगी के अपने 15-20 हाथियों
 के साथ तारीख 19-11-2025 को मयालय 2CB मशीन
 मगर पहुँचा गये और पेड़ों को उखाड़ने लगे मे मजदूर रहता
 हूँ गौवर्धन मे मेरे चाचा रहते हैं उन्हीके उन्हे रोमने का माली
 प्रयास किया मगर वो मडने मारने को तैयार होकर इन्हे
 आये के चाचा द्वारा मुझे पूछना की गमी मे अच्छी
 उस समय मजदूर से बहार वा मेने 112-नं० पर कॉल
 कर पुलिस को भेजा मगर वो तब भी नहीं आये मे जब तक
 मोगी पर पहुँचा तब तक वो मोगी मेरे वगीचे के वाली
 पेड़ों को 2CB द्वारा उखाड़ा मुझे ये और 2CB
 मुझे चाली मिली मेरे वहाँ पहुँचने पर मेरे मजा
 करने के लिये ल्याबू मे मे मोगी गमी मोगी
 और मुझे मारने पीरने को तैयार थे

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रुक प्रती पूजा श्री -

य-3/2025

12-03-2025

@man 11.03.25

जाँच अधिकारी
वनभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

मैं - चन्द्रमानसिंह पुत्र श्री मंगल सिंह किसानी ग्राम बूथोवा
 सीगां पंथी का किसान हूँ मुझे एक विभाग गोरखी द्वारा
 लुम्बाया गया मे आज दिनांक 19/03/25 को मथिलम मे
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बाहे मे एक न दर्ज करवाये है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गांव मे कुछ लोग
 सतबीट उर्फ सतो पुत्र मुख्तियार . नंगपाल पुत्र श्याम उर्फ गुमाय
 पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र एडी सिंह
 एवं शोभाबीट उर्फ शंभु पुत्र रामचन्द्रन सती किसानी शयला
 अपने अन्य 15-20 सान्निध्य मे मंगल मेरे महीने देवेन्द्र
 की नकली से 200-से पेड़ों को उखाड़े रहे थे
 मेरे महीने पर गया मेने बहुत बार मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मंगल को लोग मुझ से लड़ने मारने को
 तैयार हो गये मेरे बहुत बार मना करने पर भी नही माने
 और नकली से मंगल मेरे खेत मे भी फिटनेस/पेड के
 उखड़े जाबरदस्ती 200-द्वारा इन लोगों के उखाड़े किये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवेन्द्र को भी पूछना ही
 उनके 112-पुलिस लुम्बाया को फिर भी नही माने तब उनके
 एक विभाग को पूछना ही तो एक विभाग मेलाग आये
 और आगे भी माफवाही गयी

चन्द्रमानसिंह
 19-13-2025

चन्द्रमानसिंह, पुत्री मनरासिंह
 (पंथी) (कानपुर))
 फोन नं - 9410446249

(55)

सर्वार्थ

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राथी ने तथा प्राथी के गाँव के लगभग 100 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया
था। प्राथी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उपजिला
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उक्त
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की में ड डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में में ड डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भवरी सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्द
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गवाश्या
वा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ों को
उखाड़ बाँध दिया था और वन विभाग के कर्मचारीयों को पीड़ित गुमराह
कर प्राथी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश बश थाना मगोरी
में हम लोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की दूरी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने जाने की सूचना भि
जायी गयी है जबकि प्राथी ने वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वान
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राथी

दिगम्बर सिंह अ० हरी सिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सौरव, जिला - मथुरा
मो० न० - 9760902816

सेवा में

श्री मान कृतीप बन अधिकारी मेटादप, गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०५०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगौरा, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
पेशा-कृषि, साधारण रूप से साधारण गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैनाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटादप गोवर्धन के पट्टी सब साधारण पत्र
दिनांक 1/ साधारण गाँव के अन्य व्यक्तियों के साधारण पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटादप, गोवर्धन के अतिरिक्त दिनांक 07-11-2024 पर तह
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रक्वा 0.9510
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०- 698 क को चिन्हित कर उ
दिन उसी समय जि.सी०बी० से उक्त रस्ते की मंड उलवापी एवं शरत में
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मंड उलवापी थी राजस्व टीम
के पैनाइश कर जौन के बाद गाँव के दंगल व्यक्ति चन्द्रभान अ. भवर
व भरतसिंह व हरवीरसिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेंद्र प्रो.
व जीतिन्द्र 5% वदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो.
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगौरा, जिला-मथुरा ने जि.सी०बी० से उक्त रस्ते
उखाड़वा दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिटो से गुमराह
साधारण गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश्वर थाना मगौरा में हमले
के विरुद्ध वन विभाग ने पट्टी को उखाड़ने की डूँटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है
जिससे थाना मगौरा से हमारे लिपे थाने आने की सूचना मिलवायी ग
जब की साधारण वन विभाग के पेड़ नष्टी उखाड़े हैं। ध्यान सुनकर तदीक

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
साधारण

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ. मुखार,
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पो.सौरव थाना, मगौरा जिला मथुरा

सेवा में

(57)

श्रीमान ज्योतीप वन अधिकारी भद्रोदप, गोवर्धन
खि. अफुरा (डु. प्र.)

मैं जे.न.पाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव रघोवा
भाग सीतापुरी तहसील गोवर्धन खाना-मगोरी खि. अफुरा उम्र करीब
118 वर्ष पेशा- कृषि प्रथी से तका प्रथी के गांव के लगभग 10 व्यक्ति
ने सरकारी चक्रमाग के चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पैमापुशा भोके पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी भद्रोदप गोवर्धन के पास एक प्रार्थना पत्रादिना
या प्रथी व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
भद्रोदप गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रमाग सं. 698 के रकम 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अफुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रमाग
की भोके पर चक्रमाग सं. 698 के के चिन्ह कर उसी दिन उसी समय
जे.सी.वी. से उक्त रास्त की मेंड डलवायी एवं रास्ते में जो चेड रवड
के उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मेंड डलवायी थी राजस्व टीम
के पैमापुशा कर जाने के बाद गांव के दबंग व्यक्ति चक्रमाग पुत्र भवर सिंह
भरत सिंह, शमजील, हरवीर पुत्र श्याम चक्रमाग व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी राधा रघोवा भाग सीतापुरी खाना मगोरी से रात्रि में
जे.सी.वी. से उक्त पेडा के डुरवडवा विपाया और जनविभाग के कर्मचारियों को
पीड़ से डुरवड कर प्रथी व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रीजिंश व श
खाना मगोरी में लोगों के विरुद्ध जनविभाग से पेडा के डुरवडवाने की
कूठी रिपोर्ट दल कर दी जिससे खाना मगोरी से डुरवड लिए जाने जाने की सूचना
मिलवायी गयी जबकि प्रथी के जनविभाग के पेडा जहाँ डुरवाड हे वयान सुनकर
तस्वीर किपा

प्रार्थी 

दिनांक 18.12.2024

जे.न.पाल सिंह 57, श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

निवासी रघोवा पोस्ट सोरेंव

Mobile No. 939393752

संख्या -

(58)

श्री मान क्षेत्रीय वन अधिकारी अहोदय, गोवर्धन
जि. अमुरा (उ.प्र)

में पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल गांव - स्थोवा भाग सींगापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगोर जिला अमुरा
उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी - प्रार्थी ने लघु प्रार्थी के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चक्रमार्ग की विस्तृत कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश मौके
पर कराने हेतु -

श्री मान उपजिलाधिकारी अहोदय गोवर्धन के यहां एक प्रार्थना पत्र दिना या प्रार्थी
व गांव के कुछ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्री मान उपजिलाधिकारी अहोदय
गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व
टीम सरकारी चक्रमार्ग सं. 698 क रकबा 0.3510 है. की मौके पर राजस्व टीम
तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक 03-11-2024 को उक्त चक्रमार्ग की मौके
पर चक्रमार्ग सं. 698 क को विस्तृत कर उसी दिन उसी समय जे.सी.वी. से
उक्त रास्ते की गेड डबवापी एवं रास्ते में जी पेट रवडे से उनको राजस्व
टीम की उपस्थिति में गेड डबवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जान के बाव
गांव के दंडा उपकृत चन्द्रभाब पुत्र चन्द्रसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्द्रभाब रामजी
पुत्र चन्द्रभाब हरवीर, पुत्र चन्द्रभाब, व देवेन्द्र फौजदार, जीतेंद्र पुत्र गण वदन सिंह
निवासी गण स्थोवा भाग सींगापट्टी जिला अहोदय ने रात्रि में जे. सी. वी. से
उक्त पेटों को उरवडवा दिना या और जननिभाग के करनिर्धारियों को पीर से
गुमराह कर प्रार्थी व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश वश पाना
मगोर में हम लोगो के विरुद्ध लच विभाग के पेटों के उरवडवाने की मुठी
विषय दर्ज करा दी जिसमें पाना अगारा से हमारे लिए पाने उगावे की सूचना
मिलवायी गयी जबकि प्रार्थी ने वन विभाग के पेट नहीं उखाडें हे पान सुनकर
तस्दीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र प्रार्थी

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल
निवासी स्थोवा मगोर

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग

सींगापट्टी चक्रोड़ के डिग्रे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अभियुक्ति
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	सम्पूर्ण वृक्ष
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता


(शशिरयाम)
वनरक्षक
जोवर्धन रेंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर


(क. र. कुलकर्णी)
क. र.
जोवर्धन रेंज

बिमान

महोदय, मैं कुशलपाल सिंह वनरक्षक वन विट मगोरी/मडींग गोवर्धन रे-ज साठ ७१० वन प्रभाग मपुरा २ पध पूर्वक वधान करता हूँ कि दिनांक २१/११/२०२५ को रे-ज कापिलाय से प्राप्त सूचना के आधारे पर हमारे/मी रहो/भाज का रक्षक नीमगांव वन विट गोवर्धन रे-ज वन प्रभाग मपुरा के साथ घटनास्थल, रवसरा संख्या ६९८ क मोजा शरीवा प्याडा सीगा-पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग १०:५० बजे सुबह पहुंचे तो पाया गया कि चकमार्ग ६९८ क के किनारे पर पेड़ व फोड़े ७५ से ऊंचे पेड़े हैं और चकमार्ग पर गाजा गिट्टी दोनो किनारे से जे०सी०वी० द्वारा डलवायी गयी है जो के पर उखड़े पेड़े, पेड़ फोड़ो की गणना व माप की गयी तो पाया ०९ पेड़ नीम गोलार्ध क्रमशः १५०, ६०, ५५, ६७, ७८, ५३, ७०, ७३, १२७ से०मी०, ०१ पेड़ पीपल ६० से०मी०, ०२ पेड़ शहल ६०, ७० से०मी०, ०६ पेड़ पापुल ७०, ८६, ६२, ५७, ६२, ६५ से०मी०, ०१ पेड़ जामुन ५० से०मी०, ०१ पेड़ पापुडी ५८ से०मी०, ०१ पेड़ शीसम ५५ से०मी०, ०५ पेड़ फूलो/लोरा-३५, ८९, ५५, ६०, ६७ से०मी०, ०१ पेड़ अर्धन ७७ से०मी० कुल पेड़ २७ तथा २७ नीबू के झाड़ीनुमा फोड़े व करोड़ा के २२ झाड़ीनुमा फोड़े मिले जो के पर फूट व शमदगी बनायी गयी और साथ पास छूटाह कर उकल अपराध करने वाले व्यक्ति को के नाम पता लाग कि ये तथा अपराध और अभिपुक्तों की पुष्टि कर पुरान विभागीय वन अपराध संख्या १५/गोवर्धन/२०२५-२५ दिनांक २१/११/२०२५-२५ दृष्ट किया गया तथा अभिपुक्त १- रविंद्र पुत्र प्रेमसिंह (१) पंजाब पोस्ट सौरव थाना मगोरी (२) सतवीर उर्फ सलतो पुत्र सुरवत्पाल (३) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (५) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (५) दिग्बज्र पुत्र हरीसिंह तैवासीगण ग्राम शरीवा प्याडा सीगापट्टी पोस्ट सौरव थाना मगोरी के विरुद्ध तहरीर थाना मगोरी में ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं० ०३५१/२०२५ दिनांक २२/११/२०२५ दृष्ट करायी गयी दिनांक ०८/१२/२०२५ को सुरवतिर स्वाम से सूचना मिली कि ग्राम शरीवा में चकमार्ग संख्या ६९८ क के दोनो तरफ बरबा साईड से खड़े पेड़ो को उपरोक्त अभिपुक्तो के द्वारा पुनः पेड़ो को जे०सी०वी० से उखड़ा दिया है। मैं स्वयं भी हमारे/मी रावो/भाज वनरक्षक के साथ घटनास्थल पर समय लगभग-८:०० बजे सुबह पहुंचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे बरबा की तरफ जे०सी०वी० गरीस से उखाड़ा गया है तथा चकमार्ग पर गिट्टी डली गयी है जो के पर पेड़े पेड़ो की गणना व माप की गयी तो पाया कि ०८ पेड़ नीम गोलार्ध क्रमशः १०६, ७८, १०८, १०५, ९८, १५५, १२०, १२५ से०मी० ०३ पेड़ पापुडी गोलार्ध- १२२, १००, १५० से०मी०, २ पेड़ फूलो/लोरा गोलार्ध ६८, ८० से०मी० व ०१ पेड़ होकर गोलार्ध ९२ से०मी० कुल पेड़ १५ पाये गये साथ पास छूटाह करने पर पता चला कि यह १५ पेड़ अभी अभिपुक्त (१) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह (२) सतवीर उर्फ सलतो (३) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (५) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (५) दिग्बज्र पुत्र हरीसिंह के द्वारा ही पुनः जे०सी०वी० से उखड़ाये है, अपराध और अभिपुक्तों की पुष्टि कर उकल अभिपुक्तो विरुद्ध विभागीय वन अपराध सं० १७/गोवर्धन/२०२५-२५ दिनांक ०८/१२/२०२५ तथा तहरीर थाना- मगोरी में देकर मुकदमा दृष्ट किया गया उकल अभिपुक्त के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समय में रवब ही घटनास्थल पर से बिना पूर्वानुमति प्राप्त कि ये अवैध रूप ५१ पेड़ व नीबू के २७ झाड़ीनुमा फोड़े व करोड़ा के २२ झाड़ीनुमा फोड़ो को चकमार्ग पर दोनो किनारे से गिट्टी जे०सी०वी० से खोदकर डालने के दौरान उसका कर ३० प्र० कुल संरक्षण अधिनियम १९७६ की धारा ५ व १० तथा माननीय उच्चतम-महालाय की रिट पिटीशन १३३८१/१९८५ रजिस्ट्री- अदालत वनाय भारत संघ से मोहित मार्फत रज संख्या ५२७ में पारित (F.T.Z क्षेत्र में वृक्षो के अवैध पातन से संबंधित) आदेश दिनांक ०८/०५/२०१५ की उक्तमानना करने का बखला संगति अपराध किया है। उक्त दोनो घटनाओं में उखड़े गये सभी ५१ पेड़ो की समस्त लकड़ी रवव-नीबू के २७ फोड़ो झाड़ीनुमा और करोड़ा के २२ झाड़ीनुमा फोड़ो की ललाइ लकड़ी वर्तमान में जारी की जा रही है। पक्ष मेरे वधान है।

बिमानकर्ता
 12/03/25
 (कुशलपाल सिंह वनरक्षक वन विट मगोरी/मडींग गोवर्धन रे-ज वन प्रभाग मपुरा)

दिनांक

वयान

(61)

श्री राधेश्याम वन रक्षक (वोट नम 000) रेंज जीववर्धन सांवा वन उभाग मथुरा शायब पूर्वक वयान करत हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर वादी कुशलपाल सिंह वन रक्षक वन वीट भगौरा, रेंज जीववर्धन के साथ धरना स्थल खसरा सं० 698 का मौजा श्यौवा भाग सीगा पट्टी तहसील जीववर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया कि यकमार्ग खसरा सं० 698 की लम्बा अर्द्ध करायी गयी है तथा दोनों किनारों से लम्बा मिट्टी उगवायी गयी है और यकमार्ग के किनारे वेड अर्द्ध पेड़ हैं। मौके पर उखड़े पेड़ों की माप व गणना करायी गयी तो मौके पर 09 पेड़ - नीम गोलार्ध कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सैमी - 01 पेड़ पीपल - 60 सैमी 02 पेड़ शहदत 60, 70 सं० मी०, 06 पेड़ पापुल 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी०, 01 पेड़ जामुन 50 सं० मी० 01 पेड़ पापुली 48 सं० मी० 01 पेड़ शीशम 44 सं० मी० 05 पेड़ लुनी फ्लोरा 35 सं० मी० 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड़ अर्जुन 77 सं० मी० कुल पेड़ 27 तथा नीबू के 27 झाड़ी-तुमा पौधे और करौदा के 22 झाड़ी-तुमा पौधे उखड़े हुए पाये गये मौके पर कई वरामदगी वनायी गयी और आस-पास वृद्ध गड़ की गयी छड़छाड़ में अग्निमुक्तों का नाम पता ज्ञात किया गया तो पता चला कि उक्त 27 पेड़ व उक्त झाड़ी-तुमा पौधे अग्निमुक्त 0 सैन्ट्र पुत्र डैम सिंह नि० मद्राह पोस्ट सौरभ भाग भगौरा जिला मथुरा 0 सतवीर उर्क सत्तो उर्क सत्यधारा पुत्र मुखत्या 0 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्क गुलाब सिंह 0 पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 0 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह निवासी गज ग्राम श्यौवा भाग सीगा पट्टी पोस्ट सौरभ भाग भगौरा नि० मथुरा के द्वारा यकमार्ग की अर्द्ध व 100 सी० वी० प्रशीत से यकमार्ग पर मिट्टी उगवाने के दौरान खड़े होकर उखड़वाया है अपराध और अग्निमुक्तों पुष्टि होने पर तुरन्त विभागीय वन अपराध संख्या 15/जीववर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसील थाना भगौरा में रजि. आर्. आर. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुख्यालय आस से सूचना मिलने पर पता चला उक्त सभी अग्निमुक्तों के द्वारा उक्त यकमार्ग के किनारे से वन्यता की तरह पुनः कुछ पेड़ जैसे सी. वी. से उखड़वा दिये हैं तो प्रजापाल सिंह वन रक्षक के साथ पुनः उक्त धरना स्थल पर पहुँचे तो पाया कि 08 पेड़ - नीम गोलार्ध कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड़ पापुली 100, 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड़ लुनी फ्लोरा 100, 80 सं० मी० तथा 01 पेड़ होकर जोतार - 92 सं० मी० कुल पेड़ 14 पेड़ों की कई वरामदगी वनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तों की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० - 17/जीववर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/24 दर्ज कर तहसील थाना भगौरा में रजि. आर्. आर. दर्ज कराने हेतु दी गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तों 0 सतवीर उर्क सत्तो उर्क सत्यधारा पुत्र मुखत्या 0 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्क गुलाब सिंह 0 पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 0 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह निवासी गज ग्राम श्यौवा भाग सीगा पट्टी पोस्ट सौरभ भाग भगौरा जिला मथुरा के द्वारा धरना स्थल यकमार्ग खसरा सं० 698 मौजा श्यौवा भाग सीगा पट्टी के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों की यकमार्ग पर मिट्टी खोदकर उगवाने के दौरान कुल 41 पेड़ तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाड़ी-तुमा पौधों की कमरा: अलग-अलग समय और दिनांक की दिना सूचीनुसार प्राप्त किये अवैध रूप से उखड़वाकर उ० 50 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा मा० उच्चतम न्यायालय की रिट पिटेशन सं० 13381/1984 रुम. सी. मेहता बनामा भारत संघ में दायर आर्. ए. सं० 527 में वृक्षों के अवैध धावन (सी. टी. जेड अर्द्धगट) से सम्बन्धित पारित आदेश दि० - 08/05/2015 की अवमानना का अपराध किया है। यही मेरे वयान है।

दिनांक - 12/03/2025

वयानकर्ता

(श्री राधेश्याम वन रक्षक वीर नीम
 रेंज जीववर्धन वन उभाग मथुरा)

1/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4407 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना मथुरा
मथुरा।

विषय :- वन अपराध 15/गोवर्द्धन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 की शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 15/गोवर्द्धन/24-25 व 72/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र -1

2-मूल-एव-2 केस संख्या 15/गोवर्द्धन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 सम्बन्धित संलग्नकों सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र -1

4-ठकालतनाम -1

5-नजराना -1

6-मुक्तिमान को दिये गये नोटिस की प्रतियाँ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

संबन्धीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4407 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्द्धन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपराजिक को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

शिकायत पत्र

सेवा में,

म्यागलय, न्यायिक वण्डाधिकारो, मयुरा

15/गोवर्धन/2024-25

अभियोग सं०

72/प्रभाग/2024-25

(१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पता श्री सुबालपल वनरसक

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम शंकर डी. प्रेमसिंह निवासी ग्राहक मध्य

(२) नाम सतवीर डके सती पुत्र मुखत्यार

(३) नाम प्रेमवल पुत्र राम सिंह

(४) नाम पुष्पेन्द्र पुत्र नैमपाल

(५) नाम दिगम्बर पुत्र हरी सिंह

निवास ग्राम श्रीवा प्रभाग सीमापट्टी श्रीकवाना सौरा

थाना प्रसिद्ध जिला मयुरा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि 21/11/2024

(२) समय 10:40 AM

(३) स्थान :- (क) राबि ग्राम श्रीवा प्रभाग सीमापट्टी सौरा गोवर्धन मयुरा

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की क्षति की गई :-

नाजायज चरान/कटाना जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(२) वन क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से. मी. में)

(क) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

(ब) उ० प्र० पर्वतीय एवं प्रामाण्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम का अन्वयन / राजस्व की शर्तों का विवरण :- उ० पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 77 व 1 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 60 व 1 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 44 व 2 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 60, 70 व 6 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 70, 86, 62, 57, 62, 65 व 1 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 50 व 1 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 48 व 5 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 35, 89, 45, 60, 67 व 1 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 77 सीमा 21 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 21 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 22 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 22 पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम 22

(क) उ० प्र० बारा मशीन नियमावली सन् 1959 की धारा 49 का अन्वयन/राजस्व के उद्घाटन की शर्त :-

~~.....~~

(३) वन शक्ति का अनुमानित मूल्य 4.47 लाख रु. आमतौर पर

(५) साक्षियों का नाम व पता :- 4260/0 मधुपुर

- (१) नाम ~~.....~~
- (२) नाम ~~.....~~
- (३) नाम ~~.....~~
- (४) नाम ~~.....~~

निवास ग्राम ~~.....~~
 जिला ~~.....~~

(द) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्वयन अन्तर्गत दस्तावेज है :-

- (१) वृक्ष की धारा 26 एवं 27
- (२) उ० प्र० प्रामाण्य एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/1 एवं प्राथमिक प्रामाण्य अधिनियम 112 के अन्वयन में अधिनियम 112 के अन्वयन में
- (३) उ० प्र० बारा मशीन नियमावली सन् 1959 की धारा 49 व 50
- (४) नाजायज ज़ोत से वेदखल करने के आवेग की धारा 61-ए

(७) अभिवाचना
 अतः वाचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक ६ के (2) अन्तर्गत उचित वृक्ष दिया प्रामाण्य नाजायज ज़ोत से वेदखल किया जाय।

प्रमाणित
 राशिवनाधिकारी
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 मधुपुर

निष्ठापकता
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुपुर
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुपुर 4

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान जज पर मुख्य-शासिक मजिस्ट्रेट प्रथम मधुरा
 पाना मधुरा इ. प्र. वृद्ध संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 61-ए0, 63, 33 आदिमा लक्ष्मण न्यायालय द्वारा गट नो. 10 में डिये जैम बादेशी-स
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुरा
 इन्वेष्टन।

श्रीमान्

निवेदन है कि प्रार्थी अभियोपी जन-सेवक होने के नाते जनपद के राबकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केंस में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्रार्थी असमर्थ रहेगा। इसलिये प्रार्थी को बोर्ड से श्री. वृद्ध संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 61-ए0, 63, 33 आदिमा लक्ष्मण न्यायालय द्वारा गट नो. 10 में डिये जैम बादेशी-स

अतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्रार्थी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्रार्थी

R
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा

वकालतनामा

अवास्त श्रीमान अणु मुख्य-आधिक मॉडस्ट्रेट प्रथम, मधुय।

मं० मुकदमा 15/गीवडात/2024-25
72/प्रभाग/2024-25

सं० १२ सं०
डी०एक० प्रौ० मधुय
नाम
रवेंद्र प्र० प्रेमजी मुखपत्र
अ अन्य विरपावेष्ट

मं कि डी०एक० प्रौ० मधुय

ओ कि हमको किटना इस मुकदमे में भागपत्रक है इसलिए अपनी ओर से डी० शशील रवेंद्र वाणीय एडवोकेट

अवास्त कातुनी महनताने पर अपना धनील नीयत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से सबूत दाखिल करे और प्रगतोत्तर करे और प्राप्ता पुत्र प्रत्येक प्रकार का और अन्य कार्यज इस मुकदमा के सम्बन्ध में संधान पंचायत दाखिल व तत्दीक करे या पाबवासा या सुलहनामा या दस्तबर्दारी दाखिल करे और रुपया मापतानी हमारा वापतजर नकद व वापसी स्टाम्प फोटो फीच व तलबाना वगैरह वसूल करके रचीद दें या अपनी पानिव से किसी को पंच मुकदमे करे और कुल काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करे या आवश्यकता पत्र किसी को इस मुकदमे की पंरवी के वास्ते वकील नियत करे या अपील दायर करे वगैरह अपील से मेरी सरफ से जवाब देही करे सब वकील का कार्य स्वयं अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और हीण नीच मुकताय साहीधान की इत्तियार होगा कि अगर महनताना तयापता हस्व बायदह उनको वसूल न हो तो वह पंरवी व बहुल वगैरह न करे इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि समद हीवे और वावश्यकता के समय काम आवे फलत तहरीर।

तारीख.....सं० १२ सं०

गवाह.....तारीख

गवाह.....तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुय

नाम पंरवीकन हस्ताक्षर

मुख्य मुकदमा हस्ताक्षर

नाम अवास्त हस्ताक्षर

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड व कुछ झाडीनुमा पौधे जड से उखडे हुये पडे हैं। मौके पर उखडे पडे पेडों व झाडियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड पीपल 1 पेड सहतूत 2 पेड पापूलर 6 पेड, जामुन 1 पेड, शीशम 1 पेड पापडी 1 पेड, अर्जुन 1 पेड व प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के 5 पेड तथा नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे उखडे पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड व नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड सहित उखाडे गये हैं। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेडों को व झाडीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखडवाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हए और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्सा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण में बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड, 3 पेड पापडी, 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा व 1 पेड छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड से उखडवा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा

थाना मगोरा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे०सी०बी० से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापडी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे०सी०बी० लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने साँख कोठी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिटटी डालते समय कुछ पेड़ जे०सी०बी० मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे०सी०बी० मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये। तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नींबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे०सी०बी० से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाड़ीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोर्रा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्रा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाड़ीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्रा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्रा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोर्रा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 25.11.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पत्ता नं० 135-1 दिनांक 10/12/2025

सेवा में

उप्राधीय प्रिन्सिपल
वन एवं वन प्ररक्षण
मथुरा।

महोदय

उपरोक्त संख्या 15/गोवर्धन/24-25 की जाँच श्री अमन चौधरी वन दरोगा से करायी गयी उन्ही जाँच से सहमत हूँ अतः केस की माफ़-प्रायलक्ष में अपेक्षा की संस्तुति सहित आख्या महोदय की सेवा में प्रेषित हूँ।

अवधीय

@man 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा

जाँच अधिकारी

भा. न्यायालय से भेजने की लट्टा की लट्टा है।

अधिकारी
मथुरा

संज्ञिवाद सं० 15/5/2024-25

1299

प्रभागीय वाद सं० 72/प्रभागी/2024-25

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...स.धु.रा.
उ० प्र० वृज संरक्षण अधि० 1976 की
अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०.....दिनांक 21/11/2024..अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन.....

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौंख तहसील - जोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मधुरा
2. सतवीर इन्द्रि सली 310 मुख्तयार
3. नेत्रपाल 310 श्याम सिंह, उर्फ गुलाब सिंह
4. पुष्पेन्द्र 310 नेत्रपाल
5. दिगम्बर 310 हरी

2. साक्षी का नाम

निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पो. सौंख तहसील - जोवर्धन, थाना - मर्गीरा जिला - मधुरा

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
G.P.S. N - 27° 40' 50"
E - 77° 51' 86.53"

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चक्रोड के डिनारे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूं जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के जिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध 44, 2 पेड़ सहित जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूं जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के जिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,
निवेदन के साथ अलगत कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को शाहीलय वी जफ्त शिकायत के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरझु के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर लगभग 10:40 AM को पहुँचे तो देखा कि चक्रोड के डिनारे पर 9 पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहित जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूं जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखाड़े मिले, बरिबराप्रदगी मोठे पर बनानी गयी। जो संलग्न है बरामद लडकी को चन्द्रभानु पुत्र भेवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट- सौंख तहसील - जोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मधुरा की सुपुदेगी में दी गयी। सुपुदेगीनामा संलग्न है तथा आस- पास प्रदेन पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों की कौलम नं० 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखाड़ वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा उ० प्र० वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 77 2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/06/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

गवाह - (राधेश्याम) व.र.

मेवा में, प्रभागीय निदेशक सा. वा. वन प्रभाग मधुरा महोदय, उम्तकेस की प्रथम गति ब्यौरे अधिकाारी नामित करे हेतु सादर प्रेषित है।


श्रेणीय वन अधिकारी गोवर्धन रंज, मधुरा

21/11/2024 को धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 77 2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/06/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(कुशलपाल) व.र.

नजरी नक्सा घटना नं० 1 दिनांक 21/11/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध सं० 15/जोवर्धन/2024-25
 सह दर्ज F.I.R. सं०-0341/2024 दि० 22/11/2024

घटना स्थल खसरा संख्या 698 क भन्डागी मौजा/ग्राम-शमोबा भाग सिंगापरी
 तहसील जोवर्धन जिला मधुपुरा 27 पेड व 22 नीबू के 22 करोंवा के
 22 झाड़ानुमा पौधों का अर्थव्यकरण।



संकेत-घटना स्थल भन्डागी 698 क जहाँ 27 पेड व 22 नीबू के व 22 करोंवा
 के झाड़ानुमा पौधे अकेले गेपेह को A-B व XXX से
 दर्शाया गया है।

गवाह

नजरी नक्सा मौजा घटना स्थल निरीक्षण दिनांक
 30/11/2024 को मेरे द्वारा बनाया गया।

(अशोक फालाखिहें वं.रं.)
 वन बीट भगोरी
 रेंज जोवर्धन

@mwh
 (अमन चौधरी वन दरोजा)
 वन अनुभाग चौबुहा
 जोवर्धन रेंज

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम दिगावर 510 हरी



पिठे ग्राम शोका भाग सीगापरी
पो. सौख, न.ह. गोवर्धि-
बाना मंगोरा पिठा मधु

देश डेल से 15/जोर/2024-25

जो बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 21/11/2024

आयाद हुआ है।

1: आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 बजे
मामलम मंगोरा वन अधिकारी गोवर्धि देव, पतीडा रोड

मुकाम रावडी दे देर डील जे सामने गोवर्धि, मधु

हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
उ० अ० प्र० सं० म० अधिनियम 1976 की धारा 4/10
मुकदमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा में
सम किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

नोम है और बाद कार्यवाही मुकदमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
मंगोरा विभाग
मधु

R071705075IN INR:6265711705075
RL GVERDHAN SO C281502
Counter No:1.10/12/2024.13:17
To:DIGVMS98..

PIN:281123, Sonkh SO
From:KARYALAY CH,GNR

Mt:10ms,REG=17.0

Am:25.96,Tax:3.96,Net.Paid:26.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 18002668888) (Near Muz, Stay Safe)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... पु.पे.इ. १/०. न.रा.पा.ल.



जि. ग्राम शमोला भाग सीगापट्टी
पो. सोला, तह - गोवर्धन
थाना भर्गाटा जिला मधुप

रेजि. नं. 15/गो. 20 24-21

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

डि.नं. 21/11/20 24

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 18/12/20 24 व समय 11:00 Am बजे

व मुकाम ... राष्ट्रीय वन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत गोवर्धन रेजि. क्षेत्र, जिला मधुप

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ

मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत 1976 में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

तस्तीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
चौमूहाँ

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम सतवीर उर्फ सली 5/0 मूल्यभार



नि० जामा शमोका, आग लीगिपटरी
पोस्ट सौख तह. गोवर्धन
भाना मर्गाहा, मधु.

बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत शेज केस नं० 15/गौ०/2024-25
दिनांक 28/11/2024

माद हुआ है।

प व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM कजे
आमालम क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, जनीपुरा रोड
शहरीय इतर गैलेज के सामने गोवर्धन, मधु।

अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा उ. 5. प्रम संसद अधिन 1976
धारा 4/10 में
या जाये।

वक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

गौर बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
अनुभाग अधिकारी
चौमूहल

RU711703858IN IWR:8285711703858

RL GOMERMAN SO C281502

Counter No:1.10/12/2024.13:17

To:SAITVEER

PIN:281123, Sonkh SO

From:KARVALAY DLGR

#t:10ans,RCI=17.0

Am:25.%,Tax:3.9%,Net.Paid:26.00(Cash)

Track on www.indiapost.gov.in

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरैस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम नेपाल १/० राम सिंह डपि असाव सिंह



निम्न ग्राम शेखा, भाग सींगलपट्टी
को सौदा, नरहील - गोलघर
थाना मर्गोरा जिला मधुवा

रेज डेल नं १५/गौ०/२०२५-२५

यो बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक २१/११/२०२५

भाषाद हुआ है।

आप व तारीख १९/१२/२०२५ व समय ११:०० AM वजे
कार्यालय जोगिया वन अधिकारी गोलघर, धरमपुरा रोड,
काम शाहरी प्रेडर डी ली क डे लाग्ने गोलघर

गजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३० ए व ३० बरकम अधिनियम १९७६
में म किया जाये।
की धारा ४/१०

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
मेम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काविल समात न होगा।

@man
इ. फोरैस्ट आफिसर

6071179328014 IVR:6085711793280
NL BUREAU NN SO CBI/302
Counter Mail:10/12/2024.13:17
Teletype:.....
PIN:281123, Sankh SO
From:KARNALAY CH.OMR
M:100ms,REIP:17.0
Amt:25.36, Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
(Track to www.indiaforest.gov.in)
Chal: 18092668060 (Near Naste, Stay S)




Government of Uttar Pradesh

IN-UP08539596804401W

e-Stamp

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP08539596804401W
 : 18-Dec-2024 03:00 PM
 : NEWIMPACC (SV)/ up14570504/ MATHURA SADAR/ UP
 : SUBIN-UPUP1457050414057051217865W
 : DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 : Article 4 Affidavit
 : NA
 : DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 : DFO MATHURA
 : DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 : 10
 : (Ten only)



STAMP

समक्ष-श्रीमन् प्रभागीय वन अधिकारी महोदय, मथुरा

वन विभाग मथुरा (उप्र०)

शपथपत्र मिनजानिव-दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह आदि निवासीगण ग्राम
 खीला भाग सींगापट्टी तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा उख
 करीब 35 वर्ष, पेशा-कृषि आदि।



शपथकर्तागण धर्म से शपथपूर्वक निम्न व्यान करते हैं कि-

1- यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त पते के स्याई निवासी हैं तथा
 शपथकर्तागण के नाम व पते पर अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं
 करता है एवं शपथकर्तागण उक्त घटना के तय्यों से भली भाँति
 परिचित हैं।

दिगम्बर सिंह

Vertical text on the right edge of the document.

//2//

2- यह कि शपथकर्तागण के ग्राम के व्यक्ति दिगम्बर सिंह आदि ने ग्राम श्यौबा के चकमार्ग यानि सरकारी रास्ता के खसरा सं०-698क, रकवा-0.9510 हैक्टे० की मौके पर पैमाइश यानि चिन्हित कराने और मौके पर निकलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07/11/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, गोवर्धन के यहाँ दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन ने आदेश दिनांक 07/11/2024 को राजस्व टीम तहसील गोवर्धन की गठित कर मौके पर नापकर निशानदेही को आदेश किया था । आदेश दिनांक 07/11/2024 के अनुपालन हेतु दिनांक 09/11/2024को तहसील गोवर्धन की टीम मौके पर गयी और नापकर चकरोह को चिन्हित करके वापिस आ गयी ।



यह कि दिनांक 09/11/2024 को ग्राम श्यौबा के दबंग व्यक्ति चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह व रामजीत व हरवीर व भरतसिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदनसिंह व जीतेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण श्यौबा भाग सीगापट्टी ने उक्त रास्ते में खड़े

पेड़ों को रात्रि में जे०सी०बी० से उखाड़वा दिया है तथा रंजिशवश वन विभाग के दफ्तर में आकर शपथकर्तागण के ग्राम के सीधे साथे व्यक्तियों के नाम बताकर वन विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर ग्राम के रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० भदार व सत्यवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार सिंह व नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह व पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी के विरुद्ध रंजिशवश थाना मगोर्रा में रिपोर्ट झूठी दर्ज करा दी है जो कि असत्य है ।

4- यह कि उक्त रास्ते में से वन विभाग के पेड़ों को चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह व भरतसिंह व रामजीत व हरवीर पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार व जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी ने रात्रि में जे०सी०बी० से उखाड़ दिया है तथा ग्राम के सीधे साथे व्यक्तियों के रंजिशवश नाम बताकर थाना मगोर्रा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जो कि झूठे नामों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दिगम्बर सिंह

79

//3//

5- यह कि शपथपत्र की मद सं० 1 लगायत अन्तिम का ज्ञान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरी मदद करे ।

श्रीगणेश सिंह

ह० शपथकर्तागण

ग्रामवासी ग्राम श्यौबा

भाग सीगापट्टी

तह० गोवर्धन जिला मथुरा।



The Contents of the Affidavit Documents
Read over and explained to the
who is present by Shri. *श्रीगणेश सिंह*
& co. on this day on *18-12-24*
at *Shyoba* and signed in the presence of
श्रीगणेश सिंह

ADVOCATE
MATHURA

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1) श्रीगणेश सिंह | 28) गिरधर | 32) Singh L |
| 2) रामगोपाल | 29) रामगणेश | 33) श्रीगणेश सिंह |
| 3) बगवती सिंह | 30) बालगणेश सिंह | 34) भगवत सिंह |
| 4) हाकिम सिंह | 31) अरवि | 35) नरेश कुमार |
| 5) नरेश सिंह | 22- हनुमंत कुमार | 36) रामजीलाल |
| 6) चन्दुमान | 23- देव | |
| 7) सती उर्मि शपथपत्रमात्र | 24) शशवीर सिंह | |
| 8) श्रीगणेश सिंह | 25) <i>Ramprasad</i> | |
| 9) प्रदीप सिंह | 26) <i>Prakash Singh</i> | |
| 10) जीतनन्द सिंह | 27) <i>श्रीगणेश</i> | |
| 11) शोणवीर | 28) रामधरन | |
| 12) वनेश्वर | 29) <i>श्रीगणेश</i> | |
| 13) प्रदीप सिंह | 30) <i>श्रीगणेश</i> | |
| 14) Monukumari | 31) श्रीगणेश कुमार | |
| 15) वेदप्रकाश | | |
| 16) लखन सिंह | | |
| 17) शोणवीर | | |

(80)

सर्वोप

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह नि० गाँव श्योबा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राथी ने तथा प्राथी के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिन्हित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ रुक प्रार्थना पत्रादि या
था। प्राथी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् उपजिलाधि-
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकता 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिन्हित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की में ड डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में में ड डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भरत सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्द-
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गणेश्यो
बा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रास्ते में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ को
उखाड़ बाँध दिया और वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़ से गुमराह
कर प्राथी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध रजिशन थाना मगोरी
में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँगी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने जाने की सूचना भिज
वायी मयी है जबकि प्राथी ने वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वान
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राथी

दिगम्बर सिंह S/o हरिसिंह
गाँव - श्योबा, सीगापट्टी
पारट - सौरव, जिला - मथुरा
फोन नं० 9760902816

(81)

सर्वोच्च

श्री मान कृतीपवन अधिकारी मेटाग्रम गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०३०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखसार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मंगोरी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
पेशा-कृषि, प्राणी तथा प्राणी के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैमाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटाग्रम गोवर्धन के पट्टी रुक प्राणी पत्र
दिखा था। प्राणी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्राणी पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटाग्रम, गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रक्वा 0.3510 हे०
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024 को
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०-698 क को चिन्हित कर उसी
दिन उसी समय जे.सी.वी.से उक्त रस्ते की मंडे उलवापी इन्व शस्त्रों में जो
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मंडे उलवापी थी राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के इन्व व्यक्ति चन्द्रभान अ.भकर सिंह
व भरतसिंह व हरवीर सिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेन्द्र कौज्यार
व जतिन्द्र 570 वदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो० सौरव
तहसील-गोवर्धन, थाना-मंगोरी, जिला-मथुरा ने जे.सी.वी.से उक्त पेड़ों के
उखाड़वा दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिछले गुमराह कर
प्राणी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश्वर थाना मंगोरी में हमला
के विरुद्ध वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने की डूँटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
जिससे थाना मंगोरी से हमारे लिए थाने जाने की सूचना मिलवायी गयी है।
जब की प्राणी व वन विभाग के पेड़ नष्टी उखाड़े हैं। ध्यान सुनकर तस्दीक किया

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
प्राणी

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ. मुखसार
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पो० सौरव थाना-मंगोरी, जिला-मथुरा


(82)

शेखा में

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, गोवर्धन
खि. ब्रह्मपुरा (डू. प्र.)

मैंने जे.प्र.पाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव रघोवा
भाग श्रीगाणधी तहसील गोवर्धन थाना - गगोरी खि. ब्रह्मपुरा डू. प्र. करीब
118 वर्ष पेशा - कृषि प्रथा से तलाशपूर्ण के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
से सरकारी चक्रभाग के चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पेमाइशा भोके पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के पक्ष प्रार्थना पत्रादिना
का प्रती व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रभाग सं. 698 क रकबा 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन ब्रह्मपुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रभाग
की भोके पर चक्रभाग सं. 698 क के चिन्ह कर उसी दिन उही समय
जे.सी.वी. से उक्त शस्त्र की मेंड डलवायी संभ ज्ञाने में जो चेड रवडे
के इनको राजस्व टीम की उपस्थिति में चेड डलवायी थी राजस्व टीम
के पैमाइशा कर जाने के बाद गांव के दंगल व्यक्ति चक्रभाग पुत्र भवर सिंह
भरत सिंह, अमजीत, हरवीर पुत्र श्याम चक्रभाग व देवेन्द्र फौजदार पुत्र वदन सिंह
व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी श्याम भाग श्रीगाणधी थाना गगोरी से शस्त्र में
जे.सी.वी. से उक्त पेडा के डुरवडवा दिपाया और जनविभाग के कमिश्नरियों को
पीडू से गुमराह कर प्रती व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रिजिस्ट्रेशन
थाना गगोरी में लोगों के विरुद्ध जनविभाग से पेडा के डुरवडवाने की
भूटी रिपोर्ट दल करा दी जिससे थाना गगोरी से हमारे लिए थाने जाने की सूचना
मिजवापी गयी जबकि प्रती व जनविभाग के पेडा जहाँ उरगाई है व्याज सुनकर
तस्वीर किया

दिनांक 18.12.2024

प्रती 

जे.प्र.पाल सिंह डू. ब्रह्मपुरा उर्फ गुलाब सिंह
निवासी श्याम. पोस्ट शेरव
Mch. No. 2393937580

में

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी अद्योदध गोवर्धन

जि. अमुरा (उ.प्र)

में पुष्पेन्द्र पुत्र क्षेत्रपाल गाँव - रूथोवा भाग सींगोपट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगोरी जि. अमुरा

उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी-प्राथमिक ने लष्का प्राथमिक के गाँव के लगभग 10 व्यक्तियों ने सरकारी चकमाग की विन्दत कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु -

श्रीमान उपजिलाधिकारी अद्योदध गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07-11-24 को प्राप्त हुआ था जो कि गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी अद्योदध गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमाग सं. 698 क रकबा 0.3510 है. की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त चकमाग की मौके पर चकमाग सं. 698 क को विन्दत कर उसी दिन उसी समय जे.सी.जी. से उक्त रास्ते की ओर डेढ़वापे राव रास्ते में जी.पेड रवडे से उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में ओड डेढ़वापे की राजस्व टीम के पैमाइश कर जॉन के बाप गाँव के दबंग व्यक्ति चन्द्रमान पुत्र चन्द्रसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्द्रमान रामजीत पुत्र चन्द्रमान हरवीर, पुत्र चन्द्रभाव, व देवेन्द्र चौधरी, जीतेन्द्र पुत्र गण वदन सिंह

निवासी गण रूथोवा भाग सींगोपट्टी जिला मगोरी ने रात्रि में जे.सी.जी. से उक्त पेडा को उरवडवा दिनांक 07-11-24 को जिला विभाग के कार्रवाई के लिए से गुमराट कर प्राथमिक गाँव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्तिशाली शाना मगोरी में हम लोगों के विरुद्ध वन विभाग से पेडों के उरवडवाने की भूमी विपरीत दर्ज करा दी जिसमें शाना मगोरी से हमारे लिए पत्र आने की सूचना मिली गयी जवाब प्राथमिक वन विभाग के पेड नहीं उखाड़े हैं वान सुनकर तस्दीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र प्राथमिक

पुष्पेन्द्र पुत्र क्षेत्रपाल
जिलासी रूथोवा-मगोरी

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM बजे घटना स्थल श्री प्रोवा जमारा सीतापुर
पकरोड़ के किनारे पर पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी 0	आश्रित व्यक्ति
1-	नीम	140	सेमी 0	सम्पूर्ण चेड़
2-	"	60	"	"
3-	"	54	"	"
4-	पीपल	60	"	"
5-	शद्वृत	60	"	"
6-	पापूलर	70	"	"
7-	"	86	"	"
8-	"	62	"	"
9-	"	57	"	"
10-	"	65	"	"
11-	जाड़न	50	"	"
12-	नीम	70	"	"
13-	"	67	"	"
14-	शद्वृत	70	"	"
15-	पापडी	48	"	"
16-	पापूलर	62	"	"
17-	2 पीपल	44	"	"
18-	नीम	53	"	"
19-	6 मोली लोरा	35	"	"
20-	नीम	70	"	"
21-	"	73	"	"
22-	आर्जुन	77	"	"
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	6 मोली लोरा	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	45	"
25-	"	"	60	"
26-	"	"	67	"
27-	नीम	"	127	"

0 से। पासवर्ग चे
 नीवू-27-चेड़
 क्कोदा-22-चेड़
 जलोनी लकड़ी
 वजन लगभग
 90 kg


 अनुमोदित पाल
 वन संरक्षण


 अनिल कुमार
 वन

सुपुर्दगीनामा

मै. चन्द्र शर्मा पुत्र श्री अंबर सिंह निवासी ग्राम शोला भाग पोस्ट मोरवा
तहसील गोवर्धन थाना मवोरा जिला मधुपुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
को समय लगभग 11:15 AM प्रजे घटना स्थल गांव शोला भाग (सीवापट्टी) से
निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई क्षेत्र	आग्निशुक्ति	
1-	सीम	140-सेमी0	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	
5-	शहदत	60 - "	"	
6-	पापुलर	70 - "	"	
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	
10-	"	65 - "	"	
11-	जामुन	50 - "	"	
12-	सीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शहदत	70 - "	"	
15-	पापुलर	48 - "	"	
16-	शहदत	62 - "	"	
17-	सीम	44 - "	"	
18-	जमोली कोरा	53 - "	"	
19-	सीम	35 - "	"	
20-	"	70 - "	"	

0 से 1 पास करवावे
नीव-27- पेड़
करोवा-22-पेड़
जलोनी लकड़ी
प्रधान लगाभग
90 kg

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

21-	सीम	73 - "	"
22-	अर्जुन	77 - "	"
23-	जमोली कोरा	69 - "	"
24-	" "	45 - "	"
25-	" "	60 - "	"
26-	" "	67 - "	"
27-	सीम	127 - "	"

चन्द्र शर्मा - रजवा

9410446249

कुशल पावल
व.र.

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुये हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

एक प्रत
उप
19/03/25
12/03/25

वयान

①

मे- इवेंट मीजपार डूग जी एवंगरिड विवासी ग्राम २थाका
लीगापची तहसील गावठी मळुका का पुन विवासी
पार नोडिस के आधार पर में आज दिनांक 19/3/25 को
वक विभाग मथालय गावठी पर उपस्थित हुआ.

मे वयान करता हूँ कि मेरी विवासी लुणी गाँव २थाका में
है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले नर्सरी लगाई
गयी बहुत बड़ा बगीचा मेरे द्वारा वहाँ निमित्त प्लाट के
मालदार / धामदार वृद्ध मांगे गये थे सभी पेड़ मर व धामदार
को बहुत पक्षी पुन पर विवास करते थे सभी में धोलने वगे
हुने के पचाबराण बहुत अच्छा बना हुआ था.

मगर गाँव कुछ मोगीरीये २॥यद अच्छा न मग रहा हो
व ललिते गाँवके कुछ निम्न निमित्त मोगों के अपने 15-20 मछिये
के साथ नर्सरीय 19-11-२०२5 को मथालय जे.ए. मथालय
मगर पहुँच गये और पेड़ों को उखाड़ने मगे मे मळुका रहता
हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहते हैं उन्हीके उन्हे रोगने का माली
पुमान किया मगर वो मडने मारने को हैयार होकर इमडे
आये थे चाचा द्वारा मुझे पुचना की गयी मे वन्ही
उस समय मळुका से वहाट आ गये 112-०० पर काँन
नर पुनिस मे मजा मगर वो तब भी नही मरने मे तब तब
मोठ पर पहुँचा तब तक के मोग मेरे वजीये के वाली
पेड़ो को जे.ए. द्वारा उखाड़ा मुझे वे और जे.ए.
मुझे चलाई मिली मेरे वहा पहुँचने पर मेरे मग
करने के वावजूद भी मे मोग वही मगे
और मुझे मारने पीरने को हैयार वे

(88)

(2)
लयात

मेरे सारा दुवारा वहां पहुँचने पर फिर 112 को काग
 का रर के गुलवाया गया था जब तक के लोग बहुत
 थी संख्या के सड़ो को उखाड चुके थे
 112 नं. का उगते रिकलाम मोरु मारिवाही नहीं थी
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी
 दूसरे दिन वन विभाग के मन्चारी भोने पर पहुँचे
 तो निम्न लिखित लोगों के रिकलाम वन विभाग द्वारा
 पेंडो भी पुची बनाकर मर मारिवाही की गयी है
 मुख्यतः जो लोग पेंडो को उखाड वा रहे फिनको से जानरा था
 उनको नाम निम्न लिखित

- 1 - सतवीर उर्म सतो पुत्र मुख्तारी निवासी 2 थोका
- 2 - नंग पाल पुत्र श्याम सिंह उर्म गुलाब सिंह 2 थोका
- 3 - पुष्पेन्दु पुत्र नंग पाल गण 2 थोका
- 4 - किगन्वट पुत्र हरी सिंह गण 2 थोका
- 5 - सोसवीर उर्म रीशू पुत्र रामखरप गण 2 थोका
- 6 - वंदप्रताप पुत्र किगन्वट के 2 थोका

आन्ध्र 15-20 लाखियों के लाख मीने पर
 मिले थे.

19/03/2025
 देवेन्द्र मीजदार SP दी वदगसिंह
 निवासी गण 2 थोका सीतापदी
 mob - 9837049037

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रजक प्रात प्राप्त की-

य.व.क.क.

12-03-2025

@man 11.02.25

जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
चौमहा

जबदा

मैं चन्द्रमाला सिंह पुत्र श्री मंवर सिंह निवासी ग्राम रूथोवा
 हीगां पट्टी का निवासी हूँ मुझे एक विभाग गौवर्द्धन द्वारा
 लुनाया गया मे आर्य विभाग 19/03/25 को मर्यादा में
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों के बाड़े में एकान एक मशीने हैं
 तारीख 19/11/24 को अमानत गांव से कुछ लोग
 सतबीट उर्फ सतो पुत्र मुख्तियार . नंग पाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब
 पुष्पेण उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र एही सिंह
 एवं शोभाबीट उर्फ शिशु पुत्र रामचन्द्रन सती निवासी शमला
 अपने अन्य 15-20 मजदूरों के साथ मेरे महीने देवेन्द्र
 की मसरी से 200-से पेड़ों को उखाड़े रहे वे
 मेरे महीने पर गया मेरे बहुत बार मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मगर वो लोग मुझ से मडने मारने को
 तैयार हो गये मेरे बहुत बार मना करने पर भी नहीं माने
 और मसरी से मसूर मेरे खेत में भी जितने भी पेड़ थे
 उन्हे जबरदस्ती 200-द्वारा एक लोगो के उखाड़े दिये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवेन्द्र को भी पूछना ही
 उसने 112-पुस्तक लुप्त की और महीने माने तब उसने
 एक विभाग को पूछना ही तो एक विभाग महीने आये
 और आगे भी माफवादी गयी

19-13-2025

चन्द्रमाला S/O. श्री मजरसिंह
 ग्राम - रूथोवा (हीगां पट्टी)
 फोन नं० - 9510446249-

बयान

मधेदम, जे कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरा/सडींग गोवर्धन रेज साठवाठ वन प्रभाग मधुरा शपत्र पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हमरादारी राधेश्याम वन रक्षक नीमगांव वन वीट गोवर्धन रेज वन प्रभाग मधुरा के सामंदास्त्राल, स्वसरा सं० 698 क मोजा शोवा प्रभाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन पर समग्र लगभग 10.40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया गया कि चक्रमार्ग 698 के किनारे पर पेड़ व फोंचे पर से उखड़े पेड़ हैं और चक्रमार्ग पर लाजा मिली होने के कारण से जे० सी० वी० द्वारा इलाक़ा गरी है जोके पर उखड़े पेड़ पेड़ फोंचों की गणना व माप की गयी तो पाया 09 पेड़ नीम गोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से०मी०, 01 पेड़ पीपल 60 से०मी०, 02 पेड़ शहदूत 60, 70, सेमी०, 06 पेड़ पापूल 70, 86, 62, 57, 62, 65 से०मी० 01 पेड़ भासुन 50 से०मी० 01 पेड़ पापरी 48 से०मी०, 01 पेड़ शीसम 44 से०मी० 05 पेड़ ७शुलीकोरा 35, 49, 45, 60, 67 से०मी० 01 पेड़ सजुन 77 से०मी० कुल पेड़ 27 तथा 27 नीख के झाड़ीनुमा फोंचे व क्योदा के 22 झाड़ीनुमा फोंचे मिली जोके पर कई बरामदगी बनाती गयी और आम पास छुटाए कर उका अपराध करने वाले (आक्रितों के नाम पता ज्ञात कि ये तथा अपराध और आक्रियकों की पुष्टि कर पुरत विष्मगीम वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दर्ज किया गया तथा आक्रियकों 1- रवेन्द्र पुत्र प्रेमासिंह (2) मगदर पोस्ट सोरव थाना मगोरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र सुखला (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गुलाब सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे निवासी गुण ग्राम शोवा प्रभाग सीगापट्टी पोस्ट सोरव थाना मगोरा के विरुद्ध तहसीर थाना मगोरा में ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं० 034/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुखविर खास से सूचना मिली कि ग्राम शोवा में चक्रमार्ग संख्या 698 के दोनो तरफ बम्बा सारइ में उखड़े पेड़ों को उपरोक्त आक्रियकों के द्वारा पुनः पेड़ों को जे० सी० वी० से उखड़ा गया है जे स्वयं हमरादारी राधेश्याम वन रक्षक के साथ दस्ताखल पर समग्र लगभग 8:०० बजे सुबह पहुँचा तो पाया कि चक्रमार्ग के किनारे बम्बा की तरफ जे० सी० वी० अशीन से उखाड़ा गया है तथा चक्रमार्ग पर मिली डाली गयी है जोके पर पेड़ फोंचों की गणना व माप की गयी तो पाया कि 08 पेड़ नीम गोलाई क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से०मी० 03 पेड़ पापरी गोलाई 122, 100, 140 से०मी० 02 पेड़ ७शुलीकोरा गोलाई 68, 80 से०मी०, व 01 पेड़ होकर गोलाई 92 से०मी० कुल पेड़ 14 पाये गये आम पास छुटाए करने पर पता चलता कि प्रद 14 पेड़ भी आक्रियकों (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमासिंह (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र सुखला (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गुलाब सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे के द्वारा ही पुनः जे० सी० वी० से उखड़ाये है अपराध और आक्रियकों की पुष्टि कर उका आक्रियकों, विरुद्ध विष्मगीम वन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहसीर थाना मगोरा में देकर मुकदमा दर्ज किया गया उका आक्रियकों के द्वारा दो बार सलाह-जलाग दिनांक व समग्र से रक ही दस्ताखल पर से बिना पूर्वनिर्मात प्राप्त कि ये अखेर रूप से 41 पेड़ व नीख के 27 झाड़ीनुमा फोंचे व क्योदा के 22 झाड़ीनुमा फोंचों को चक्रमार्ग पर दोनो किनारे से मिली जे० सी० वी० से खोकर इलने के दोरान उखड़ा कर ज० प्र० कुल संरक्षण अधिसिधम 1976 की धारा 4 व 10 तथा माननीय उच्चतम-आपलाय की रिट पेटिशन 1738/1984 रजम.सी. में दता बनाम भारत संघ में मोहित आरि.रग संख्या 527 में पाति (T.F.Z क्षेत्र में वृक्षों के सर्वेक्ष पातन से सम्बन्धित) आदेश दिनांक 08/05/2015 की अनुमानना करने का खुला अशीन अपराध किया है उका दोनो दस्ताखल में उखड़े गये सुब्बी 41 पेड़ों की समस्त लकड़ी रवेन्द्र नीख के 27 फोंचों झाड़ीनुमा और क्योदा के 22 झाड़ीनुमा फोंचों की जलाऊ लकड़ी वर्तमान में लकी की सखिरवा में रखी है। यही मेरे बयान है।

(कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरा/सडींग गोवर्धन रेज वन प्रभाग मधुरा)

भदोका

व्याज

में राधेश्याम वन रक्षक (वीट-नीम गॉंव) रेंज गौवर्धन सांवां वन प्रभाग मथुरा रायप्र धर्क वयाव कोरताई कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से डाकू शुचना के आधार पर कार्य करालपाल सिंह वन रक्षक वन वीट भगौरा, रेंज गौवर्धन के साथ घटना स्थल स्वसरा सं० 698 क मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी तहसील गौवर्धन पट समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुँचे तै पाया कि एकमार्ग स्वसरा सं० 698 की ताजा सफाई करायी गयी है तथा दोनों किनारे से ताजा मिट्टी डगवायी गयी है और एकमार्ग के किनारे पेड उरकडे पेडे है। मौके पर उरकडे पेडों की माप व गणना करायी गयी तै मौके पर 09 पेड नीम गौलारि कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी व 127 सं० मी-01 पेड पीपल 60 सं० मी 02 पेड शहरल 60, 70 सं० मी, 06 पेड पापुल 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी 01 पेड पापुल 50 सं० मी 01 पेड पापुडी 48 सं० मी 01 पेड शौराभ 44 सं० मी 05 पेड धुलीकलेड 35 सं० मी 89 सं० मी 45 सं० मी 60 सं० मी 67 सं० मी 01 पेड अर्जुन 77 सं० मी कुल पेड 27 तथा नीबू के 27 झाडी गुमा पौचे और करौदा के 22 झाडी गुमा पौचे उरकडे हुमे पाये गये मौके पर कार्य करालपाल वनायी उरकडे आस-पास घुलताई की गयी घुलताई में अग्निमुक्तों का नाम पत्रा ताल किया गया तै पत्रा भला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाडी गुमा पौचे अग्निमुक्त 10 रवेन्द्र 09 डेम सिंह कि० मदार धौरुत शौरव थाना भगौरा जिला मथुरा 10 अतवीर उर्फ सलो उर्फ अत्युक्तरा पुत्र सुखव्याट 10 नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलामसिंह 10 कुबेर पुत्र नेत्रपाल 10 दिगम्बर 09 डरीसिंह निवासी गय ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी पीस्ट सेवन थाना भगौरा जिला मथुरा के द्वारा एकमार्ग की सफाई व वन सी० वी० मशीन से एकमार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान खडे डोकर उरकडवायाई अपराध और अग्निमुक्तों पुष्टि हेतु पट उरकडे विभागीय वन अपराध संख्या 15/गौवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तों के विरुद्ध दण्ड किया गया है तथा तहसील थाना भगौरा में देकर उरकडे आर आर सं० 034/2024 दिनांक 22/11/2024 दण्ड करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुख्याई स्वास से शुभना मिलने पर पत्रा भला उक्त सत्री अग्निमुक्तों के द्वारा उक्त एकमार्ग के किनारे से वन्य वन्य पुन कुड पेड वन सी० वी० से उरकडे वा दिये है। तै में वी करालपाल सिंह वन रक्षक के साथ पुन उक्त घटना स्थल पर पहुँचे तै पाया कि 08 पेड नीम गौलारि कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी 03 पेड पापुडी 122, 100, 140 सं० मी 02 पेड धुलीकलेड 68, 80 सं० मी तथा 01 पेड डोकर गौलारि-52 सं० मी कुल पेड-14 पेडों की कार्य करालपाल वनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तों की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० 17/गौवर्धन/2024-25 दिनांक-08/12/2024 दण्डकार तहसील थाना भगौरा में उरकडे आर आर दण्ड कराने हेतु की गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तों 10 रवेन्द्र 09 डेमसिंह 10 अतवीर उर्फ सलो उर्फ अत्युक्तरा पुत्र सुखव्याट 10 नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलामसिंह 10 कुबेर पुत्र नेत्रपाल 10 दिगम्बर 09 डरीसिंह निवासी गय ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी पीस्ट सेवन थाना-भगौरा जिला मथुरा के द्वारा घटना स्थल एकमार्ग स्वसरा सं० 698 मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी के दोनों किनारों पर खडे पेडों की एकमार्ग पर मिट्टी रवीकृत डगवाने के दौरान कुल 41 पेड तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाडी गुमा पौचों का कामरा: अलग-अलग समय और दिनांक को बिना ध्वनिगति डाकू विधे अवैध रूप से उरकड कर उ० 50 वृत्र संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 44/10 तथा मा० उच्चतम-धायलपलीरिड दिशान सं० 13381/1984 रू.सी. भिद्य वनाम भारत संघ में दायर आर. सं०-527 में वृत्तों के अवैध पातन (टी.पी० जेड० अर्तगत) से सम्बन्धित पारित आदेश कि०-08/05/2015 की अनुमति का अपराध किया है। गरी मेरे व्याज है

दिनांक - 12/03/2025

व्याजकर्ता
 (राधेश्याम वन रक्षक (वीट-नीम गॉंव)
 रेंज गौवर्धन वन प्रभाग मथुरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा



पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024


सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रमागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रमारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): मगोरा Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 21/11/2024 Date To (दिनांक तक): 21/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 11 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): ग्राम श्योबा ,भाग नैनूपट्टी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-75953XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पेड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदारं पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No (s).13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 78953XXXXX एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट में है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): Ravindra Kumar Yadav अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403945

-
15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD1

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक):- 23/11/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:30 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 17:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

been

A

004

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त थाना हाजा पर पंजीकृत होकर विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के मुझ विवेचक को सुपुर्द हुई। ग्रहण कर सम्पादित की गयी। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अपराध विवरण पत्र**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

नकल चिक नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा

। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़लील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट नै 0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

- Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : एफआईआर दर्ज
- Witness Name(गवाह का नाम) :
- Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
- Age(उम्र) :
- Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल रपट कायमी इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि० गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी० दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो० उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे । तकमीला दर पेश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे ।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का एफआईआर लेखक थाना परिसर में मौजूद है। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान एफआईआर लेखक है0का0 1550 गिरजेश कुमार पुत्र श्री लज्जा राम नि0 नगला सिंहमन थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद पी0एन0ओ0 न0 062241410 मो0 न0 9411020191 हाल तैनात थाना मगोरा जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 22.11.2024 को मेरी झूटी थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तपत्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 आपको सुपुर्द की गयी । वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते आपको दी गयी । यही मेरा बयान है ।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ। नकल कर संलग्न सीडी किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 7

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

नकल सुपुर्दगीनामा मैं चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग (सीगापट्टी) पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.15 बजे घटनास्थल गांव श्योबा भाग सीगापट्टी से निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भई मा0 न्यायालय या वन विभाग उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है: क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी0 140 सेमी0 अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी0 सम्पूर्ण पेड सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम व पता मोबाइल नंबर चन्द्रपाल स्योबा 9410446249 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम कुशलपाल व0र0

S.No.(क्र.सं.) 8

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल बरामदगी आज दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.00 बजे घटनास्थल श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड़ के किनारे पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड गवाह हस्ताक्षर नाम व पता राधेश्याम व०र० जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करौदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर कुशलपाल वन संरक्षण

S.No.(क्र.सं.) 9

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से मो0 न0 7895373793 से दूरभाष सम्पर्क किया गया तो वादी ने बताया कि अभी किसी कार्य सरकार में व्यस्त हूँ, समय मिलते ही आपके पास आकर बयान दर्ज करा दूँगा।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

99
104

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 23/11/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 23/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ravindra Kumar Yadav
23-11-2024

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted P.P.

Dinesh
24.11.24

Si. 2-2-2024 10:5

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/11/2024 22:19

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day गुरुवार
(दिन):Date From 21/11/2024
(दिनांक से):Date To 21/11/2024
(दिनांक तक):Time Period पहर 1
(समय अवधि):Time From 00:00 बजे
(समय से):Time To 00:00
(समय तक): बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 056 Date & Time 22/11/2024 22:19 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 11 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address ग्राम श्योबा, भाग नैनूपट्टी
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
 (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम)
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7595373793

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदार, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	सतवीर उर्फ सतो		पिता का नाम : मुख्त्यार	1. ग्राम श्यौबा भाग नैनूपट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतुत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

1) व्यास वर्ग के पेड-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपर्दगी में दी गयी, सुपर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट नै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Ravindra Kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): Yadav (पद):

No. 972140517 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म !)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

District

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Magorra
Rank I (Inspector)
No. 9454403945



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मगोरा

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 056

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 22/11/2024 22:19 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS Magorra

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार) : प्रौढ़

6. Subject (विषय):

कायमी मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0

7. G.D. Brief

इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्ट बरामदगी सम्पति ब्योरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नटार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँब तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह में लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में टाखिल किया टाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 दिनांक घटना 21.11.2024 समय अटम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी0 दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौब वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नटार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँब तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह में लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में तपत्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे । तक्मीला दर देश है डेली जरयम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रक्कत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्ट बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे ।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 22/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 5454403945

सुपुर्दगीनामा

मै: धरम आन पुत्र पी. जेठव. सिंह निवासी ग्राम श. गोवा भाग पोस्ट मोरव
 तहसील गोवर्धन थाना अ. गो. र. जिला म. पु. र. का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
 को समय लगभग 11:15 AM बजे घटना स्थल गोव. श. गोवा भाग (सी. वा. प. र.) से
 निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा० न्यायालय या वन विभाग
 उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ-तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्रजाति	गोबाई सेमी०	अतिरिक्त	
1	सीम	140-सेमी०	सम्पूर्ण पेड़	
2	"	60 - "	"	0 से 1 पास वर्ग
3	"	54 - "	"	सी. व. - 27 - पेड़
4	पीपल	60 - "	"	करो. 1 - 22 - पेड़
5	शहदारा	60 - "	"	
6	पापुलर	70 - "	"	
7	"	86 - "	"	जलोनी लकड़ा
8	"	62 - "	"	
9	"	57 - "	"	काम लगभग
10	"	65 - "	"	90 kg
11	जामुन	50 - "	"	
12	सीम	70 - "	"	
13	"	67 - "	"	
14	शहदारा	70 - "	"	
15	पापुलर	48 - "	"	
16	पापुलर	62 - "	"	
17	शहदारा	44 - "	"	
18	सीम	53 - "	"	
19	जलोनी लकड़ा	35 - "	"	
20	सीम	70 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
 नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम व पदनाम

21	सीम	73 - "	"
22	जामुन	77 - "	"
23	जलोनी लकड़ा	69 - "	"
24	" "	45 - "	"
25	" "	60 - "	"
26	" "	67 - "	"
27	सीम	127 - "	"

145
 कुशल पाव
 व. र.

सुपुर्दगी - सुपुर्दगी

9540446249

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM को घटना स्थल 2 प्रोवा जमारा सीतापुर पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमीठ	आप्टेडिफिके	
1-	नीम	140 - सेमीठ	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	0 से 1 पासवर्ग
5-	शद्वरत	60 - "	"	नीवू-27-पेड़
6-	पापूलर	70 - "	"	करोडा-22-पेड़
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	जालोनी लकडी
10-	"	65 - "	"	वजन लगभग
11-	जाड़न	50 - "	"	90 kg
12-	नीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शद्वरत	70 - "	"	
15-	पापडी	48 - "	"	
16-	पापूलर	62 - "	"	
17-	शद्वरत	44 - "	"	
18-	नीम	53 - "	"	
19-	जमोली लोरा	35 - "	"	
20-	नीम	70 - "	"	
21-	"	73 - "	"	
22-	जाड़न	77 - "	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जमोली लोरा	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	"	
25-	"	60 - "	"	
26-	"	67 - "	"	
27-	नीम	127 - "	"	

बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर

 दुशयंत पूजा
 वन रक्षक


 शिवेश्वर
 व-र.

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD2
Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date (दिनांक): 22/11/2024
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण 27/11/2024
दैनिकी तैयार करने की दिनांक):
c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 19:30 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0
1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय
22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज
गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2)
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र
नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

- a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
b) Witness Name(गवाह का नाम) :
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
d) Age(उम्र) :
e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पार्चा नं0 1 दिनांक 23.11.2024 को कित्ता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ़ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का वादी व वन रक्षक राधेश्याम हस्व तलब थाना उपस्थित हुआ। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा मो0 न0 7895373793 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः

140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहनूत गोलाई 60.70, 6

पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड

शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल

27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे

मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोर्ग जिला मथुरा की

सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1.

रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2.

सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल

5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील

गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश

ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 न
दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा
बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री राधेश्याम वन रक्षक (बीट नीमगांव, गोवर्धन) पुत्र श्रीराम नि0
गांव भैंसा थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा मो0 न0 8791315814 हाल तैनात वन संरक्षक
गोवर्धन जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त
शिकायत के आधार पर मैं व श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग
सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड
उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः
140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6
पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50, 1 पेड पापडी गोलाई 48, 1 पेड
शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीप्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67, 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल
27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग, 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखड़े
मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की
सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1.
खेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2.
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल

5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्गा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से घटनास्थल का निरीक्षण कराने हेतु कहा गया तो वादी तैयार है वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर आया। हस्व निशान देही वादी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अपराध स्थल परीक्षण

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

निरीक्षण घटनास्थल घटनास्थल ग्राम श्योबा में नव निर्मित रास्ता का है। घटनास्थल को चिन्ह A व B से दर्शाया गया है घटनास्थल के उत्तर दिशा में खेत हितेन्द्र पुत्र श्री बच्चु सिंह दक्षिण में गांव श्योब को रास्ता जाता है पूरव में खेत हेमन्त पुत्र खजान सिंह एवं ओमिप्रकाश पुत्र सोरन सिंह व विनोद पुत्र भगवत व कुवेद सिंह पुत्र शंकर लाल तथा वेदपाल पुत्र दिगम्बर सिंह के स्थित हैं। पूरव दिशा में सौख मथुरा रोड़ स्थित है। जिसका अक्षांश 27.4333 व देशांत 77.51572 है। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। वाद नक्शा नजरी संलग्न सीडी किया जाता है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 27/11/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 27/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
27-11-2024

Sir

Submitted Pl-

M. Singh
Sho 28.11.24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav


Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

सु० अ० सं० ०३४१/०२४ द्वारा + ११० उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम १९७६ धारा ३(ग) अन्तर्गत मयूर

Lat. २७.४३२३

Long. ७७.५१५७२



Interpretation: धारणा स्थल गा० खोता धारा मगोरी मयूर के जंगल का है। धारणा स्थल जहाँ पेड़ डबड़/काटे को चिन्ह A B व xxx रई दर्शाया गया है जो खेत देवेन्द्र व पत्रमान के हैं।

② धारणा स्थल के इलाके में खेत हिरेन्द्र व पश्चिम दिशा में गया वाला पच्छिम खोता का जाता है पश्चिम दिशा में खेत हेमन्त, ओम प्रकाश, विनोद कुंवर सिंह, व वेदपाल के लिए है। तथा पूर्व दिशा में रास्ता सोखले मगोरी के जाता है लिखल है।

विवरण
 दिनांक २०११
 वि. मगोरी, मयूर

(122)

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

A

009

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौंख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र

व अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुंचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्ट बरामटगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामट लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है एक व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्द बरामटगी फर्द बरामटगी आज दिनांक 08.12.2024 को समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामट किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामट सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) बनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

10.12.24
JHO

Ram...si
09-12-024

संवा में,

129

प्रभारी निरीक्षक

थाना मर्गोरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छाँकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखाड़े मिले। उखाड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकडी को साँख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहड्डील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी

(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभास मथुरा

अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन

o/c

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्याम भाग सींगापट्टी चक्रोड़ के डिग्रे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	सम्पूर्ण वृक्ष
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेतोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	होंडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(शशेश्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रेंज

(कुशलपाल)
ब. र.
जोवर्धन रेंज

कायालय क्षेत्राय वन अधिकारा, गावधन रज सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा



300
130

पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रभागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

131

131

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD4

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 30/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:20 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 19:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुंताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0 गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

CoS

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 3 दिनांक 09.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी आज मैं विवेचक थाना हाजा से खाना होकर ग्राम स्यौबा आया हूँ। जहाँ मुकदमा उपरोक्त की लकड़ी को अपनी सुपर्दीगी में लेने वाले चन्द्रभान पुत्र स्व0 भवंर सिंह को तलाश किा

तो वह अपने घर पर मौजूद मिले। जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री चन्द्रभान पुत्र स्व० भवंर सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा उम्र करीब 68 वर्ष मो० न० 9410446249 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को मैं गांव में ही मौजूद था हमारे गांव से नहर बम्बा की ओर जाने वाली चकरोड़ की नाप तोल एवं सिमांकन राजस्व टीम द्वारा किया गया था मेरे भतीजे देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा मथुरा के चक में लगे पेड़ पौधे चकरोड़ की हद में आ गये थे। क्योंकि चकरोड़ पर खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका ठेकेदार श्री चिरन्जीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह मथुरा को होने वाला था परन्तु अभी तक ठेका हुआ भी नहीं था कि हमारे गांव के पास के गांव भदार निवासी रवीन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह के साथ रहकर उनके ठेके आदि के कार्यों की देखरेख करता है ने हमारे गांव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल एवं नेत्रपाल सिंह पुत्र श्याम सिंह व सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुख्तयार सिंह एवं दिगम्बर सिंह पुत्र हरी सिंह के साथ मिलकर राजनीति की हनक दिखाते हुए बिना किसी बन विभाग की परमीशन के रवीन्द्र एवं हमारे गांव के लोगों ने मिलकर बिना ठेकेदार चिरन्जीलाल गोला की मौजूदगी में जे०सी०बी० मंगाकर चकरोड़ की हद में आये हरे भरे पेड़ पौधों को जे०सी०बी० से उखाड़कर चकरोड़ पर मिट्टी डाल दी। जिसकी सूचना मैंने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी और उसने वन विभाग से पेड़ों को उखाड़ दिये जाने के सम्बन्ध शिकायत की जिस

पर वन विभाग के वनरक्षक श्री कुशलपाल मौके पर आये और समस्त उखड़े पड़े पेड पौधों की नाप तोल कर समस्त पेड पौधों को मेरी सुपुर्दगी में देकर थाने जाकर पाँचों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया तथा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद वनरक्षक श्री कुशलपाल द्वारा अन्य छूटे हुए 14 वृक्षों की नाप तोल करने के बाद उसकी सूचना भी थाने पर दी गयी थी और वृक्षों को स्वयं लेकर गये थे मेरी सुपुर्दगी में नहीं दिया था। जो जो मेरी जानकारी में था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

तत्पश्चात मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य लोगों से जानकारी करनी चाही तो कुछ लोग गवाही से बचने की बात कहते हुए जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री वासुदेव सिंह पुत्र श्री कारे नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष मो० न० 9950422807 ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री वेदप्रकाश पुत्र महाराज सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ और न ही गांव की राजनीती में हिस्सा लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ टबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा आधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेडों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

137

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री रामगोपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र करीब 46 वर्ष मो० न० 9871815991 ने पूछने पर बताया कि साहब मैं गांव की राजनीती में हिस्सा नहीं लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पडी थी इसको निकलवाने एंव बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक):30/12/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 30/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
30-12-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl.

Prinsep
SHO 31.12.24

139

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD5

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 31/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 16:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0स0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen



CoS

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 4 दिनांक 30.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुझ विवेचक द्वारा ठेकेदार चिरन्वीलाल गोला से उनके मो0 न0 8077841369 से सम्पर्क कर मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध बयान दर्ज कराने हेतु कहा गया तो वह आने को तैयार हो

गये और बताया कि मैं इस समय सौख में ही हूँ आप चाहे तो मैं आपके पास चौकी सौख पर ही आ जाता हूँ मेरे कहने पर वह चौकी पर उपस्थित आये जिनसे मुकदमा के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान ठेकेदार गवाह श्री चिरन्जीलाल पुत्र नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम थाना फरह जनपद मथुरा मो0 न0 8077841369 उम्र करीब 56 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं खरन्जा रोड़ आदि बनाने की ठेकेदारी करता हूँ ग्राम स्यौबा में मन्दिर से बम्बा नहर की ओर चकरोड दूरी करीब 700 मी0 पर ईट खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत जनपद मथुरा से स्वीकृत हुआ है यह ठेका मुझे ही दिया गया है परन्तु हम किसी भी साइड पर काम तभी करते हैं जब हमें लिखित में बनाने की परमीशन/कायदिश प्राप्त होता है यह कायदिश मुझे कार्यालय जिला पंचायत मथुरा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति में आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। साहब मेरे द्वारा चकरोड पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है क्योंकि उक्त घटना के समय तक यह क्लीयर नहीं हुआ कि उक्त कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा लेकिन मुझे पता चला कि आपसी राजनिती के चलते द्वेष भावना पूर्वक रविन्द सिंह पुत्र प्रेम सिंह नि0 भदार थाना मगोर्रा मथुरा द्वारा ग्राम स्यौबा के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर जबरदस्ती बिना मेरी मर्जी के चकरोड पर जे0सी0बी0 द्वारा मिट्टी डलवा दी और जे0सी0बी0 से चकरोड की साइड में आने वाले पेड़ पौधों को बिना वन विभाग के परमीशन लिये उखड़वा दिये। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो यह आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है और अभी मैंने कोई कार्य शुरू भी नहीं कराया है। मैं आदेश की कपी दे रहा हूँ। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल कायदेश कार्यालय जिला पंचायत मथुरा पत्रांक 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12/12/24 श्री चिरंजीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम जिला मथुरा। इस कार्यालय के पत्रांक 905/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण जितके काम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। आप द्वारा किए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए पचन राज्य विल्ट आयोन योजनान्तर्गत वर्ष 202425 में प्राप्त आवंटित धनराशि के स ऑनलाईन ईनिविदा के अन्तर्गत विख मोबर्धन के ग्राम पंचायत सींगापट्टी के ग्राम श्यौबा में मन्दिर बम्बा की और ईट खरंजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ईनिविदा की धनराशि रू0 23,36.127.26 40 शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रू0 छब्बीस पै0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्ती अनुसार कायदेश जारी होने के दिनोंक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दश में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अवर अभियंता की देखरेख मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के अमांगत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उ0प्र0 क्षेत्र समिति / जिल पंचायत निर्माण नियमावली 1964 के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय पर जारी दिशानिर्देशों में विहित आविधानों के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से कटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध हेतु सक्षम स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आर पारितोषिक/छूट को थोन्य नहीं होगा साथ ही कार्य में प्रयुक्त

सामिग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन ब्रिट कोर सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एमएम11 पृथक 2 रूप से समयान्तर्गत भुगतान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके भुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तदुसार सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। पृष्ठकिन: 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12.12.24 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1. नाथ अध्यक्ष, जिला पंचायतमथुरा। 2. अभियनका जिला पंचायत मथुरा की तदुसार अनुपालनार्थ। 3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त की दृष्टिमत निर्धारित अवधि में देवबंदार से समन्वय स्थापित कर मानक तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण कराकर ससमय भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। 12.12.2024

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 31/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत


5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commated By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
----------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 31/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):




Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.



कार्यादेश

पत्रांक: 953 / निर्माण अनु0 / 2024-25

दिनांक: 12/12/24

श्री विरजीलाल गोला पुत्र श्री नेगीचन्द
नि0- मुस्ताफाबाद, परखम,
जिला- मथुरा ।

इस कार्यालय के पत्रांक: 905 / निर्माण अनु0 / 2024-25 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण कर जिसके क्रम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है । आप द्वारा किए गए अनुमान / शर्तों के अधीन रहते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्राप्त / आवंटित धनराशि के सांगठन ऑनलाईन ई-निविदा के अन्तर्गत वि0ख0 मोर्चधन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यावा में मन्दिर से बम्बा की और ईट खरजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ई-निविदा की धनराशि रु0 23,36,127.26 पी0 (शब्दों में तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रु0 छब्बीस पी0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्तों के अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनांक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की देख-रेख, मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य का फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त क्षेत्र समिति / जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से जफती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध हेतु स्वयं स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आप पारितोषिक/छूट के योग्य नहीं होंगे। साथ ही कार्य में प्रयुक्त सामग्री (स्टीन बैलास्ट, स्टीन गिट, कोर-सेण्ड, फाईन सेण्ड) आदि के एम0एम0-11 पृथक-2 रूप से समयान्तर्गत मुग्तान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके मुग्तान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । तदनुसार सम्पूर्ण तथ्यों का सञ्ज्ञान लेते हुए प्रस्तुत कार्य सम्पादित करत्या जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

दिनांक: 12/12/24

पत्रांक: 753 / निर्माण अनु0 / 2024-25

प्रतिलिपि निर्मूलित को सुधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मात अध्यक्ष, जिला पंचायत-मथुरा ।
2. अभियन्ता जिला पंचायत, मथुरा के तदनुसार अनुपालार्थ ।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत-मथुरा को इस आदेश के साथ वि उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित अवधि में ठेकेदार से सन्तुष्ट स्थापित कर मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण करकर उपरोक्त मुग्तान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD6

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 02/01/2025

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 09:40 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 12:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताबिक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

3/2/25

SA

004

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 5 दिनांक 31.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त की विवेचात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में मुझ विवेचक को उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौखिक आदेशित कर मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर मुकदमा

उपरोक्त के नामित अभियुक्तगण (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा हस्व तलबिदा थाना हाजा पर उपस्थित हुए। मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे साहब हमें इस मुकदमे की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सजा का प्रावधान 07 वर्ष से कम है। अभियुक्तगण उपरोक्त विवेचना में सहयोग कर रहे है तथा हस्वइंटुल तलब समय से पुलिस व अदालत के समक्ष पेश होंगे। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस में निहित प्रावधानों से अवगत कराते हुये बयान अंकित करते हुये नोटिस तामील कराये गये। तामील शुदा नोटिस सलग केश डायरी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम भदार थाना मगोर्ग जिला मथुरा उम्र करीब 43 वर्ष मो0 न0 9568917071, 9639908116 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

.बयान अभियुक्त सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्तयार सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 58 वर्ष मो0 न0 9720463643 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।..... पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 50 वर्ष मो0 न0 8393937580 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station (पुलिस स्टेशन) :****Country (देश) :****f) Description (विवरण) :**

बयान अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 37 वर्ष मो० न० 9760902816 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 8**a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name (गवाह का नाम) :****c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :****d) Age (उम्र) :****e) Address (पता) :**

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

इसके उपरान्त मुकदमा उपरोक्त के नामित अभिगणों को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराकर एवं बयान दर्ज कर थाना हाजा से सादर रूखसत किया गया ।

S.No.(क्र.सं.) 9**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सभी विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है । घटना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है ।

S.No.(क्र.सं.) 10

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अंतिम प्रतिवेदन/आरोप पत्र

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
- b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 02/01/2025
- c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
- d) Remarks (टिप्पणियाँ):
- e) Description (विवरण):
श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। विवेचना समाप्त।
- f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत


5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 02/01/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):




Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.



पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन निरक्षण आर 1976 दिनांक 22-11-024
 थाना मन्डोरी रो0आम संख्या व समय 056-22-19 वन थाना मन्डोरी जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता रविन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/प्रत्नी पद्म सिंह निवासी
 ग्राम/मोहल्ला मन्डोरी थाना मन्डोरी जनपद मथुरा
 मो0न0 9568917071 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मन्डोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024 धारा 4/10 वन निरक्षण आर 1976 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियो को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/25 को समय 09:00 (9:00 AM) अपराह्न /पूर्वाह्न थाना /कार्यालय मन्डोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशो का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यो के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यो का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित /निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यो का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज /सामग्रिया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण /परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यो के अनुसार अन्वेषण अधिकारी /एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने /अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम /मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/25 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/25 समय 09:00 AM से 10:00 AM तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को जब्ती शापन /प्रस्तुति शापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर /नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

रविन्द्र सिंह

R Singh

9568917071

Ravi Singh
 02/11/25
 रविन्द्र सिंह
 थाना मन्डोरी
 मथुरा

(157)


 भारत सरकार
 Government of India

 श्री रविन्द्र
 Shri Ravindra
 जन्म तिथि / DOB : 11/03/1981
 पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार


 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India
 पता: S/O: प्रेम सिंह, भादर, सोन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
 Address: S/O: Prem Singh, Bhadar, Son, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947
300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

RSingh

9568917071

9639908116

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन निरक्षण शा. दिनांक 22-11-2024
 थाना भगोरा रो0आम संख्या व समय 56-22-1976 थाना भगोरा जनपद
 प्रयाग नाम अभियुक्त/अभियुक्ता नेपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्याम सिंह निवासी
 ग्राम/मोहल्ला धाना थाना भगोरा जनपद भगोरा
 मो0न0 9393937590 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 वन निरक्षण शा. के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये व्यक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 9:00 के लिये अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निर्शांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिस्टेंट द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारधासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 21/10/25 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 21/10/25 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रभाव करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

नेपाल सिंह
 NB

8393937580

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
 21/10/25

रविशंकर सिंह

थाना - भगोरा
 भगोरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1/24 अन्तर्गत धारा 4/10 वन (अ.सं. 30) के दिनांक 22-11-24
 थाना मंगोरी रो0आम संख्या व समय 05:20-20:19 थाना मंगोरी जनपद
 मयुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता एतकी लाला पुत्र/पुत्री/पत्नी सुषार निवासी
 ग्राम/मोहल्ला (श्रीवा सिंग पट्टी) थाना मंगोरी जनपद मयुरा
 मो0न0 9720468643 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको
 सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मंगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1/24 दिनांक 22-11-24
 धारा 4/10 वन (अ.सं. 30) के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य
 और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये व्यक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया
 जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 22/11/25 को समय 9:00 तक अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय
 मंगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व
 निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

- क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
 - ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से
 रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।
 - घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
 - ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।
 - च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी
 तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
 - छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।
 - ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
 - झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति
 नहीं देंगे।
 - ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
- इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा
 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/25 के
 अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/25 समय 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे
 गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिस द्वारा
 प्रस्तुत दस्तावेजों को जल्दी ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जम्ब कर लिया गया है। नोटिस
 प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान
 प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

मंगोरी उर्फ मंगोरी

9720 46 86 43

Ram 51
 02/11/25
 विवेचक के
 थाना - मंगोरी
 मयुरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 UP ग्राहक पत्रिका दिनांक 22/11/2024
 थाना मगोरा रो0आम संख्या व समय 056-22:19:44 थाना मगोरा जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता 66 पंजीकृत पुर/पुत्री/पत्नी नेज्जामुल निवासी
 ग्राम/मोहल्ला 66 पंजीकृत पत्रिका थाना मगोरा जनपद मथुरा

मो0न0 6396857795 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/01/2025 को समय 9:45 पर रोड/पूर्वार्ध थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/ईसैफओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/01/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 01/01/2025 समय 9:45 से 12:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जल्दी ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जम्मा कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

पुष्पराज

6396857795

विवेचक के हस्ताक्षर

Ravi S.
02/01/2025रविशंकर
थाना मगोरा
मथुरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं00341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम 1976 दिनांक 22-11-024

थाना मगोरी रो0आम संख्या व समय 056-23/11/24 थाना मगोरी जनपद

मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता डि.ए.ए. वि. पुत्र/पुत्री/वन्नी डी. वि. निवासी

ग्राम/मोहल्ला खोवा खिगा घरी थाना मगोरी जनपद मथुरा

मो0न0 9760902816 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको

सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024

धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो

और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया

जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/24 को समय 9-10-10-11 अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय

म.म.गोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व

निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यो के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यो का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यो का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रिया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यो के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/पैसिफिकओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/24 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/24 समय 9-10-11 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

9760902816

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
02-11-25

विवेचक के हस्ताक्षर
थाना - मगोरी
मथुरा

भारतीय सरकार
Ministry of India



नाम एवं पता
SATO JRFH SATYA PRAKASH
जन्म तिथि/DOB: 20/08/1966
पुल्ल/ GENDER: MALE

VID :
मेरा पहचान मेरी पहचान

सत्ता उप सत्पुमाश


9720463643

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Ministry of Identification Authority of India

पता: 25, Indraprastha, New Delhi - 110002

Address:
C/O: Mr. Jayar Singh, Village-Syaua, Singa
Basti, Mathura,
Dist: Mathura, U.P. - 281125

VID :
1627 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in



जे. रा. पाल सिंह


NP
83 93 93 75 80

156




 दिगम्बर सिंह
 Digamvir Singh
 जन्म तिथि / DOB: 06/08/1987
 पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार




 आधार

पता:
 आत्मज: हरी सिंह, गांव नमला
 स्यावा, सोनख देहात, मथुरा, सोनख,
 उत्तर प्रदेश, 281123

Address:
 S/O: Hari Singh, Gaon Nagala
 Syauva, Sonkh Dehat, Mathura,
 Sonkh, Uttar Pradesh, 281123

1947
 1800 300 1947


 help@uidai.gov.in


 www.uidai.gov.in

दिगम्बर सिंह
 9760 902016

167 165

पुष्पराज सिंह
Pushpraj Singh
जन्म तिथि / DOB: 20/03/2001
पुरुष / Male

मेरा आधार, मेरी पहचान

पुष्पराज

6396857795

भारत सरकार
Government of India

पता: आत्मज: नेत्रपाल सिंह, स्योबा, सिंग पट्टी, सोनख,
मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123

Address: S/O: Netrapal Singh, syoba, Singa
Patti, Sonkh, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : जे0एम0 प्रथम महोदय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

Year(वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0341

Date(दिनांक): 22/11/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 02/01/2025

4. S.No. Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4

2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet

मूल

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

8. Name of I.O. at the time of charge sheet Ravindra Kumar Yadav
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):972140517
9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name(रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गाँव भदार , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाँव भदार , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रक

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): मुख्त्यार सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1967

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name नेत्रपाल

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1975

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): नेत्रपाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	शयौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	शयौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name दिगम्बर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): हरी सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

176

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

169 177

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए

जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो० नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	कुशलपाल वनसंरक्षक/ 7595373793		1979		वर्तमान पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

(178)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

2	श्री राधेश्याम वन रक्षक / 8791315814	पिता: श्रीराम			वर्तमान पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
3	श्री चन्द्रभान / 9410446249	पिता: स्व० भवंर सिंह	1957		वर्तमान पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
4	श्री वासुदेव सिंह / 9950422807	पिता: श्री कारे	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
5	श्री वेदप्रकाश / 9871815991	पिता: महाराज सिंह	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
6	श्री रामगोपाल / 9871815991	पिता: श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1979		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	श्री चिरन्जीलाल / 8077841369	पिता: नेमीचन्द्र	1969		वर्तमान पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	हे०का० 1550 गिरजेश कुमार पी०एन०ओ० न० 062241410 / 9411020191	पिता: श्री लज्जा राम			वर्तमान पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
9	उ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह पी०एन०ओ० न० 972140517 / 9412563927	पिता: श्री राम कुमार सिंह			वर्तमान पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्ष्य

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्वा) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्त आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

17.Refer Notice served नहीं

Date(दिनांक):

(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed(संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं। चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail

(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age / मफरर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सजा) :

441

351

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.L.F.-V (एकीकृत जाँच कार्य -V)

Ram
2.01.025

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): Si (Sub-Inspector)

PNO/CUG No. 972140517
पीएनओ/सीयूजी सं:

(M) Insp 3.1.25
Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा असेंबित)
Name (नाम): PS Magorra
Rank (पद): I (Inspector)
PNO/CUG No. 9454403945
पीएनओ/सीयूजी सं:

To
ce

A
31/1/25

CO9

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 4612/35-3 मथुरा, दिनांक 11/04/2025.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

- विषय :- ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे विभिन्न प्रजाति के 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों को अवैध रूप से काटे जाने पर दोषियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्यादि।


उपरोक्त विषयगत पत्र के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 व दिनांक 08.12.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों का पातन किया गया है। जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याची श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा मूल आवेदन सं0-1400/2024 दाखिल की गयी है। उक्त मूल आवेदन में याची द्वारा आपको भी प्रतिवादी सं0-2 बनाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय क्षति के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित।

- 1-प्रतिलिपि-वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।
पत्रांक / मथुरा, दिनांक 22/04/2025.
सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
उप प्रभाग, मथुरा।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालन में यथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-
1- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का कार्यालय पत्रांक फाइल नं०-एल-1342/यू०पी०/2025/07 दिनांक 02.04.2025
2-उ०प्रशासन का पत्र सं० एन०जी०टी०-35/81-2-2025 दिनांक 03.04.2025
3-मुख्य वन संरक्षक कोर्टकेस उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक को०के०-2698/6ई-2 (एन०जी०टी०) दिनांक 17.03.2025, को०के०-2960/6ई-2 (एन०जी०टी०) दिनांक 09.04.2025
4-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन आगरा का पत्रांक 2107/35-3 दिनांक 19.03.2025, पत्रांक 2276/35-3 दिनांक 09.04.2025, पत्रांक 2288/35-3 दिनांक 11.04.2025
5-कार्यालय वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा का पत्रांक 3227/35-3 दिनांक 18.03.2025, पत्रांक 3474/35-3 दिनांक 08.04.2025, पत्रांक 3619/35-3 दिनांक 17.04.2025 एवं पत्रांक 3641/35-3 दिनांक 21.04.2025
6-श्रीमती प्रियंका स्वामी, अधिवक्ता मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित ई-मेल दिनांक 27.03.2025
7-इस कार्यालय का पत्रांक 4654/35-3 दिनांक 16.04.2025 पत्रांक 4689/35-3 दिनांक 16.04.2025

विषयक प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं०-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ०प्र० राज्य आदि में दिनांक 28.02.2025 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् है-

".....3. Issue notice to the respondents for filling the reply by way of affidavit.

Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least on week before the next date of hearing.

4. The respondent no.7 -Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5. List on 30.05.2025....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित 04 सदस्यीय जांच कमेटी के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश के बिन्दु-4 के निर्देश के सापेक्ष इस कार्यालय में प्रकरण की तथ्यात्मक विस्तृत आख्या/रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारी वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा/नोडल अधिकारी से प्रतिहरताक्षरित/अनुमोदन कराया गया है।

उपरोक्त के क्रम में विषयक ओ०ए० सं०-1400/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के बिन्दु-4 के सापेक्ष तथ्यात्मक विस्तृत रिपोर्ट मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल कराने हेतु इस कार्यालय से आपको नामित/अधिकृत किया जाता है।

अतः आप स्वयं, श्रीमती प्रियंका स्वामी, अधिकृत अधिवक्ता मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से सम्पर्क व समन्वय स्थापित कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के बिन्दु-4 में दिये गये निर्देश

के सापेक्ष तैयार तथ्यात्मक विस्तृत रिपोर्ट को विधि अनुरूप कार्यवाही करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ससमय अविलम्ब दाखिल कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4776/35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन,आगरा।

2-वन संरक्षक आगरा वृत्त,आगरा।

3-श्रीमती प्रियंका स्वामी अधिकृत अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि राजकीय हित में उपरोक्तानुसार कार्यवाही विधि अनुरूप कराने का कष्ट करें।

4-क्षेत्रीय वन अधिकारी,मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा के निर्देशन में यथानुसार उनका सहयोग करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।